खण्ड-229, अंक-5
सोमवार, 3 वैशाख, शक संवत् 1884
(23 अप्रैल, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 229 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-सं०
उपस्थित सदस्य	.. ..	३४९—३५३
प्रश्नोत्तर	.. ..	३५३—३६७
साप्ताहिक 'देहात' के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	.. ..	३६७—३६८
मुख्य मंत्री तथा सूचना मंत्री द्वारा अधिवेशन काल में सदन के बाहर सरकारी नीतियों की घोषणा करने पर आपत्ति	.. .. ..	३६८—३७०
अमरोहा शुगर फैक्टरी के प्रबन्धकों द्वारा मजदूरों की छटनी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	..	३७०
बलिया जिले के मुडियारो ग्राम के श्री रामजन्मसिंह की पुलिस द्वारा हत्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	.. ..	३७०—३७४
गणेश शुगर मिल, फरेंदा, जिला गोरखपुर के मिल मालिकान द्वारा नैपाल तथा भारत का गन्ना सस्ते दर पर खरीदने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	.. ..	३७४—३७८
१९६२—६३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (समाप्त)	..	३७९—४२२
नतिथयां	.. ..	४२३—४२९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २३ अप्रैल, १९६२

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८८

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छेबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कंधई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती

कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजा प्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री (बलिया)
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कल)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
बौनिहालसिंह चौधरी, श्री

पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (बल्लन जी)

योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रम शाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री

शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिगराम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगंनराम, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २३ अप्रैल, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मुरादाबाद में दफा १४४

१—श्री हलीमुद्दीन** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित) तथा **श्री भगवानदास** (जिला आगरा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मुरादाबाद में धारा १४४, जाब्ता फौजदारी लागू कर दी गई है ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—जी हां।

२—श्री हलीमुद्दीन** (अनुपस्थित) तथा **श्री भगवानदास**—यदि हां, तो क्या सरकार को यह पता है कि धारा १४४, जाब्ता फौजदारी की आड़ में अंधाधुन्ध बिना किसी कारण के सभ्रान्त अल्पसंख्यक जमात, अर्थात् मुस्लिम व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी नहीं । यह सही नहीं है ।

**३—श्री हलीमुद्दीन (अनुपस्थित) तथा श्री भगवानदास—यदि हां, तो ऊपर लिखे मामले में सरकार क्या कर रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि अब तक कितने आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं और उस परिस्थिति को बताने की कृपा करेंगे कि क्यों धारा १४४ लगानी पड़ी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—धारा १४४ इसलिये लगानी पड़ी कि जब १३ तारीख को छुरेबाजी का वाकया हुआ जिसमें एक व्यक्ति मारा गया तो यह कदम उठाना पड़ा जिससे शान्ति खतरे में न पड़े। जो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं उनमें ५७ हिन्दू और ८८ मुसलमान हैं ।

श्री चन्द्रजीत—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुये हैं उनमें ज्यादातर पीतल के बर्तन बनाने वाले मजदूर गिरफ्तार किये गये हैं जिनका संबंध इससे नहीं रहा है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और अगर परिस्थिति नार्मल हो गई तो धारा १४४ हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जिन्होंने जुर्म किया है उनको गिरफ्तार किया गया है । इसका लिहाज नहीं किया गया है कि वे मजदूर हैं या नहीं ।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस छुरेबाजी का कारण क्या था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—वाकया इस तरह से है कि रामनवमी के दिन मकबरा मोहल्ले में एक जगह काली के मंदिर में हवन होने वाला था और उसकी तैयारी हो रही थी तथा कार्यक्रम चल रहा था। इसी के पास चार मुसलमान आये और वे आपस में गालीगलोज तथा शोर कर रहे थे तो हवन करने वालों में से एक व्यक्ति ने कहा कि शोर न मचाइये । हमारे हवन की कार्यवाही चल रही है । दो व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया । तीसरे ने कहा छुरा मारो और चौथे ने छुरा मार दिया । अस्पताल ले जाते हुये उक्त व्यक्ति मर गया । इस तरह से यह वाकया हुआ ।

कूंवर श्रीपाल—क्या मंत्री जी को सूचना है कि जो घटना घटी क्या वह पूर्व निश्चय के अनुसार घटी या बाइ चान्स हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—यह तो कहना मुश्किल है ।

श्री महमूद हसन खां (जिला मुरादाबाद)—क्या यह सही है कि यह वाकया शराब की भट्ठी में हुआ या करीब हुआ ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—यह बात गलत है कि यह वाकया शराब की भट्ठी में हुआ बल्कि मंदिर के पास हुआ जहां कि हवन होने जा रहा था ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह झगड़ा चार पांच व्यक्तियों के बीच में हुआ, जैसा कि मंत्री जी ने बताया तो इतने आदमियों के गिरफ्तार होने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—१४४ में गिरफ्तार हुये हैं, यह उन्होंने कहा ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जिस जगह पर घटना का विवरण दिया गया है वह घटना वहां पर न हो कर, जो जुलूस बना कर जा रहे थे, वहां पर घटित हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जो पहले जवाब दिया गया है, उसमें जिस प्रकार घटना बतायी गयी है, वहीं पर घटना हुई है ।

श्री भगवानदास—क्या यह सत्य है कि जहां पर यह घटना हुई है वहां पर शराब बनाने की भट्ठी थी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—वहां कोई शराब बनाने की भट्ठी नहीं थी ।

कुंवर श्रीपाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना के पीछे कुछ ऐसे आदिमयों का भी हाथ है, जो बहुत खास कहे जा सकते हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इस सम्बन्ध में अधिकारी उसकी जांच करेंगे और जो नतीजा निकलेगा वह सामने आयेगा ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी इस घटना की एफ० आई० आर०, जो थाने में लिखायी गयी है, उसकी मुख्य मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—१३ तारीख की घटना मैंने आपके सामने बयान कर दी है । उसके बाद १५ तारीख की घटना हुई है । वह इस तरह से हुई । चार हिन्दू सड़क पर से निकलते हुये जा रहे थे । ३०, ३२ मुसलमान साहबान ने उनके ऊपर लाठियों और छरियों से हमला किया । उसके सिलसिले में गिरफ्तारियां दो हुई हैं । उसी रात को एक घटना और हुई, जिसमें एक मुसलमान व्यक्ति को कुछ हिन्दुओं ने छुरा मारा । उसे मामूली चोट आई। उसने जो रिपोर्ट लिखायी उसके आधार पर तीन हिन्दुओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है । इस तरह से कुल मिला कर जो मैंने अर्ज किया वह गिरफ्तारियां हुईं ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पहली छुरेबाजी की घटना उन्होंने बतलाई उसमें वह चारों व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—पहली छुरेबाजी की जो घटना हुई है उसमें तीन पहले दिन गिरफ्तार हो गये थे, चौथा व्यक्ति १६ तारीख को गिरफ्तार हुआ ।

श्री जगदीशप्रसाद—यह देखते हुये कि मुरादाबाद ऐसी कार्यवाहियों का गढ़ बन गया है क्या सरकार इसका कोई स्थायी इंतजाम करने पर विचार कर रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—स्थायी इंतजाम सरकार तो यह कर रही है कि जो इस प्रकार के दंगों में हिस्सा लेते ह उनके साथ सख्त से सख्त कार्यवाही करे और सब के सहयोग से इस प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाये जिससे इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में न होने पायें ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वह स्वयं उस जिले के रहने वाले हैं, जो १३ तारीख और १५ तारीख की घटनायें हुई हैं, माननीय मंत्री जी उनकी जांच करने स्वयं गये थे और जो उन्होंने बयान दिया है वह स्वयं उनका बयान है या अधिकारियों का है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—यह जो मैंने आपको सूचना दी है वह जिला अधिकारियों ने सूचना भेजी है उसके आधार पर है ।

श्री रामकुमार (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस घटना से सम्बन्धित जितने लोग गिरफ्तार हुये हैं उनमें कितने मुसलमान हैं और कितने हिन्दू ?

श्री अध्यक्ष—यह बता दिया गया है ।

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १३ तारीख को घटना हुई उसके बारे में एफ० आई० आर० में यह लिखाया गया था कि ४ शराबी थे और शराबियों के झगड़े के फलस्वरूप वह घटना हुई थी ? बाद में कुछ लोगों ने उसका इस्तेमाल किया और उस सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं । वहां कुछ आदमी पकड़े गये और वह थाने पर ले जाकर छोड़ दिये गये, इसलिये स्थिति ऐसी हो गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जो एफ० आई० आर० लिखाया गया था, उसी के आधार पर गिरफ्तारियां हुई थीं ।

कुंवर श्रीपाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १३ तारीख को जिन चार व्यक्तियों ने छुरेबाजी की वह खाकसार या मुस्लिम संस्था के सदस्य हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—यह अभी कहना मुश्किल है कि किस संस्था के सदस्य हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां के अधिकारियों के विरुद्ध भी मुस्लिम सम्प्रदाय ने कोई आवेदन-पत्र इस सम्बन्ध में दिया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—कोई आवेदनपत्र दिया है या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता । लेकिन एक बात है— जिलाधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है उससे मालूम होता है कि १७ तारीख को जब यह वाकयात हो चुके थे तब भी मुजफ्फर हुसैन जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, वह मुरादाबाद आये, वह उस क्षेत्र में गये जहां कि छुरेबाजी के वाकयात हुये थे, उनके उस जगह पर जाने के बाद से मुसलमानों की तरफ से यह बात कही जाती है कि अधिकारियों ने उनके ऊपर ज्यादती की है और उनके घरों में घुस कर उनके किवाड़ वगैरह तोड़े हैं, उस के पहले कोई बात नहीं थी ।

श्री कल्पनाथसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस माननीय सदस्य का नाम उन्होंने लिया है उनके बारे में या उनके भाषणों के बारे में या ऐक्टिविटीज के बारे में सरकार को कुछ पता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी हां, उसके लिये इस वक्त इतना ही कहा जा सकता है कि उनके जो भाषण या उनकी जो ऐक्टिविटीज हैं वह काफी फिरकापरस्ती से भरी रहती हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस तरह की भी जानकारी सरकार को है कि माननीय सदस्य जिनके बारे में यह बात कही गई है, उनके ऊपर इस प्रकार की तोहमत लगाकर इस बात को छिपाने की कोशिश की जा रही है कि वहां के मुस्लिम सम्प्रदाय ने जो शिकायत की है वह सही है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने यह कहा है कि ऐसा कहा जाता है । उन्होंने यह नहीं कहा है कि मैं जानता हूं बल्कि यह कहा है कि ऐसा कहा जाता है ।

चीनी मिलों पर गन्ना किसानों तथा केन सेस का बकाया

४—श्री रामसुन्दर** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री शिवेन्द्रप्रताप** (जिला सीतापुर)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों के जिम्मे वर्तमान सीजन तथा गत वर्ष का गन्ना किसानों एवं केन सेस का अलग-अलग कितना-कितना रुपया बाकी है और प्रावेशिक सरकार द्वारा वसूल करने के लिये कौन-कौन कार्यवाही की गई है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इस प्रदेश की चीनी मिलों पर वर्तमान सीजन तथा गत वर्ष (१९६०–६१) का गन्ना किसानों का गन्ने के मूल्य के रूप में तथा केन सेस व पर्चेज टैक्स का अलग-अलग जितना रुपया ३१–३–६२ तक बकाया है उसका मिलवार विवरण संलग्न तालिका 'क' व 'ख' में दिया हुआ है। १९६०–६१ सीजन के गन्ने की कीमत की वसूली के लिये रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किये जा चुके हैं और निर्दिष्ट तारीख को उक्त सीजन का रुपया ६०२९.१९ लाख में से केवल रुपये १८.४३ लाख वसूल किया जाना शेष था। सीजन १९६१–६२ के गन्ने के मूल्य के बकाया की वसूली के लिये गन्ना आयुक्त ने कई मिलों के विरुद्ध रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिया है। १९६०–६१ के केन सेस तथा क्रय-कर के बकाया के दो तिहाई भाग की वसूली तथा वर्तमान सीजन के कुल देय का ५० प्रतिशत क्रय-कर की वसूली के लिये जिलाधीशों को लिखा गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आग पृष्ठ ४२३–४१७ पर)

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलायेंगे कि १९६०–६१ के गन्ने की कीमत की वसूली के लिये रिकवरी सर्टिफिकेट कब जारी किये गये?

श्री दाऊदयाल खन्ना—१९६०–६१ की जो बकाया रकम है उसके रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। किस तारीख को जारी हुये, यह बताना इस समय मुश्किल है।

श्री रामसुन्दर—क्या यह सही है कि रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने के लिये मार्च में आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो इतना विलम्ब का क्या कारण है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं, यह मैंने अर्ज कर दिया है निश्चित तारीख नोटिस देने पर बता सकूंगा।

श्री रामसुन्दर—इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कारण दो नहीं, तीन नहीं, कई मर्तबे इस सदन को सूचित किये जा चुके हैं। कारण यह है कि हमारे प्रदेश में जो अधिक गन्ना पैदा हो गया है उसको किसी न किसी प्रकार से पिरवा देना है। यदि किसी कारण से मिल बन्द हो जाय और किसानों का गन्ना पिर न सके तो उससे किसानों को भारी नुकसान होने की सम्भावना है। अतएव सरकार का यह प्रयत्न है कि कोई मिल बन्द न हो ताकि सारा गन्ना पेर दिया जाय। इसी कारण से सरकार ने वे कार्यवाहियां नहीं बरती जोकि वह कानून के तहत में बरत सकती थी।

श्री रामसुन्दर—अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले वर्ष १९६०–६१ के बारे में पूछा है और माननीय मुख्य मन्त्री जी इस वर्ष के बारे में कह रहे हैं। मैंने पूछा कि ६०–६१ का बकाया क्यों पड़ा है?

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में इस सदन के समक्ष उन के कई बयान हो चुके हैं। आपने पूछा कि क्यों नहीं वसूली हुई, तो वजह उन्होंने बता दी।

श्री चन्द्रजीत—जहां तक सरकार को इस बात का ध्यान है कि किसानों का वर्तमान गन्ना पेर दिया जाय, वह ठीक है लेकिन पुराने दो–तीन वर्षों का जो गन्ने का दाम बकाया है उसको फौरन चुकता न करने का क्या कारण है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—सन् ६०–६१ में लगभग ६० करोड़ रुपया गन्ने की कीमत का था। उसमें से इस वक्त केवल १८ लाख रुपया बाकी है। इससे साफ जाहिर है कि कितनी बड़ी रकम वसूल करके किसानों को पहुंचा दी गई है। शेष १८ लाख रुपये के लिये रिक्वरी सर्टिफिकेट्स जारी कर दिये गये हैं।

श्री रामसुन्दर—६०-६१ के गन्ने की कीमत के सिलसिले में गन्ना आयुक्त ने किन-किन मिलों पर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—ऐसी ३१ मिलों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किये गये हैं ।

तारांकित प्रश्न

अध्यक्ष, नगरपालिका, झांसी के विरुद्ध आरोपों की जांच

*१—**श्री लखपतराम शर्मा** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध जनवरी, १९५७ से मार्च, १९६२ तक कितने मामलों पर राज्य सरकार के आदेश पर जांच हुई और अध्यक्ष के विरुद्ध कितने मामले सरकार में निर्णय के लिये विचाराधीन हैं तथा सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध जनवरी, १९५७ से मार्च, १९६२ तक माननीय सदस्य द्वारा प्रकाशित "श्री बाबूलाल उदैनिया, अध्यक्ष, नगरपालिका, झांसी के कार्यों पर खुला अभियोग पत्र नं० १ तथा २, दिनांक २० फरवरी, १९५९ तथा ३ सितम्बर, १९५९" नाम की पुस्तकों में वर्णित मामलों के अतिरिक्त ३१ और विषयों पर राज्य सरकार के आदेश पर जांच हुई । चूंकि माननीय सदस्य द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में उल्लिखित सभी आरोप सिविल जज, झांसी के न्यायालय में विचाराधीन हैं अतः सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कहने में असमर्थ है । अन्य ३१ मामलों में से ३ मामलों पर अध्यक्ष को चार्जशीट दी गई । उनका उत्तर २ मामलों में सन्तोषजनक पाया गया और उनके विरुद्ध उस आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । तीसरे आरोप पर प्राप्त उनका उत्तर तथा अन्य मामले सरकार के विचाराधीन हैं ।

*२—**श्री लखपतराम शर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिकअप नं० ९६४४ यू० एस० जे० की खरीदारी में राज्य सरकार के आदेश पर क्या सूबे की सी० आई० डी० ने जांच की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, शासन के आदेशानुसार उक्त मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा की गई ।

*३—**श्री लखपतराम शर्मा** (अनुपस्थित)—क्या उपरोक्त पिकअप कांड से सम्बन्धित मामले पर डी० जी० सी० झांसी से कोई कानूनी राय ली गई ? यदि ली गई तो उसके पश्चात् पिकअप कांड को न्यायालय में भेजने के लिये क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह मामला आज भी गुप्तचर विभाग में सरकार का कोई आदेश न मिलने के कारण करीब-करीब एक वर्ष से पेंडिंग में पड़ा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उपरोक्त पिकअप कांड से सम्बन्धित मामले पर डी० जी० सी०, झांसी से कानूनी राय ली थी जिन्होंने कि मामले को प्रान्तीय सी० आई० डी० (C. I. D.) द्वारा जांच कराने के लिये अपनी राय दी थी। उक्त मामले में सी० आई० डी० की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार द्वारा गुप्तचर विभाग को आवश्यक आदेश दिये जा चुके हैं ।

कानपुर नगरमहापालिका से कोलतार ड्रम लेने में गड़बड़ी की जांच

*४—**श्री बेदराम** (जिला एटा), **श्री हरीशकुमार गंगवार** (जिला बरेली) तथा **श्री बसन्तसिंह** (जिला बिजनौर)—क्या स्वायत शासन मन्त्री बतायेंगे कि क्या नगरमहापालिका, कानपुर के गोदाम से खाली ड्रम आदि को चुराने के सम्बन्ध में कोई मामला जनवरी, १९६२ में पकड़ा गया है? अगर हां, तो वह क्या है तथा उसमें अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई है?

स्वायत्त-शासन मंत्री के सभा-सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—वास्तव में स्थिति यह है कि कोलतार के खाली ड्रमों से वृक्षरक्षक (Tree guards) बनाने के लिये एक ठेकेदार को १०० ड्रम का इण्डेंट दिया गया था जिसे उसने १,००० बनाकर महापालिका के स्टोर से अधिक ड्रम निकलवा लिये। मामला पुलिस में दे दिया गया है और छानबीन हो रही है।

जिला जेल, लखीमपुर में स्थान तथा पानी की कमी

*५—**श्री रामचरणशाह** (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट जेल, लखीमपुर में कितने हवालाती तथा कैदियों के रखने का स्थान है और इस समय वहां पर कुल कितने कैदी हैं?

वन मंत्री के सभा-सचिव (श्री हरीदत्त)—इस जेल में १८५ हवालाती और २२२ कैदियों के रखने का स्थान है। ५ अप्रैल, १९६२ को इस जेल में ७३६ कैदी थे।

*६—**श्री रामचरणशाह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट जेल, लखीमपुर में कैदियों के पीने के पानी के लिये दो ही हैंड पम्प हैं जिसमें सभी कैदियों को पानी पीने में तकलीफ है? यदि हां, तो सरकार इस तकलीफ को दूर करने की क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री हरीदत्त—जी नहीं, इस जेल में ७ हैंड पम्प हैं। जिनसे कैदियों को पीने के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है।

*७—**श्री रामचरणशाह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बन्दीगृह, खीरी में कितने ऐसे हवालाती हैं जिन्हें बन्दीगृह में ६ माह से अधिक समय हो चुका है परन्तु अभी तक उनके मुकदमों के फैसले अदालत द्वारा नहीं किये गये हैं?

श्री हरीदत्त—५ अप्रैल, १९६२ तक ऐसे कैदियों की संख्या २५० थी।

श्री रामचरणशाह—क्या सरकार बतायेगी कि जब वहां ४०७ कैदियों को रखने का स्थान है फिर वहां ७३६ कैदी क्यों रखे गये हैं? क्या उसको सरकार कलकत्ते का ब्लेक होल बनाना चाहती है?

श्री हरिदत्त—इन कैदियों में ५७५ कैदी अण्डरट्रायल्स हैं जिनका तबादला दूसरी जेलों में नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, इसलिये दिक्कत है।

श्री रामचरणशाह—क्या सरकार बतायेगी कि ऐसे कितने अण्डरट्रायल्स को बाहर भेजने का प्रबन्ध किया गया और वे कब भेजे गये?

श्री हरिदत्त—मैंने यह नहीं कहा था कि अण्डरट्रायल्स का तबादला किया गया। मैंने तो यह कहा था कि उनमें ५७५ अण्डरट्रायल्स हैं जिनका तबादला नहीं किया जा सकता क्योंकि उन पर मुकदम चल रह ह।

श्री कल्पनाथसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि क्या कैदियों की संख्या अगर चौगुनी अथवा दस गुनी हो जाय तो भी क्या उनको उसी जेल में ही रखा जायगा ?

कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्द सहाय)—जाहिर है कि कुछ कैदियों की संख्या ज्यादा है लेकिन इसी वजह से उनको छोड़ा तो जा नहीं सकता। हां, टेंट वगैरह लगा कर उनको सहूलियत दी जा सकती है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार का ध्यान इस तरफ है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि ३ महीने से ऊपर के अण्डरट्रायल्स उनमें से कितने हैं ?

श्री गोविन्द सहाय—अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न नम्बर ७ पर पूछा गया है, उसमें इस प्रश्न का भी जवाब आ जाता है।

श्री रामचरणशाह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो ७ हैंड पम्प लगाये गये हैं उनमें से कितने कैदियों के लिये कैदखाने में लगाये गये हैं और कितने अधिकारियों के घरों में लगाये गये हैं ?

श्री गोविन्द सहाय—श्रीमन्, ७ कम्पाउण्ड हैं और हर कम्पाउंड में एक हैंड पम्प लगा हुआ है। बावजूद इसके कि सरकार यह समझती है कि पानी काफी मात्रा में मौजूद है, फिर भी कोशिश की जा रही है और एल० एस० जी० इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मांगा गया है कि कितना रुपया और खर्च करने की जरूरत होगी ताकि पानी और इफरात में दिया जा सके।

पालिकाओं एवं महापालिकाओं को जल-कल योजना बढ़ाने तथा इलाहाबाद नगरमहापालिका को जल-निकासी योजना के लिये ऋण

*८—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन महापालिकाओं तथा पालिकाओं को कितना-कितना धन जल-कल योजना बढ़ाने हेतु १९६१-६२ में दिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिन महापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं को जलकल योजना बढ़ाने हेतु १९६१-६२ में ऋण दिये गये हैं, उनकी एक सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४२८-४२९ पर)

*९—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद महापालिका को अब तक कितना धन सीवर बनाने हेतु दिया गया और नगर में वह सीवर किन-किन स्थानों पर काम दे रहा है तथा किन-किन स्थानों पर नहीं दे रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इलाहाबाद नगरमहापालिका को अब तक ४६.७० लाख रुपये का ऋण निम्न प्रकार से उनके विस्तृत जल निकासी योजना के लिये दिया जा चुका है—

	(लाख रु०)
(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में	१५.००
(२) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में	२०.७०
(३) १९६१-६२ में	११.००
कुल ..	४६.७०

इस धन से निम्नलिखित मुहल्लों में सीवर बिछाये गये हैं। ये सभी सीवर चालू हैं। केवल लीथर रोड पर ४५ इंच व्यास वाला सीवर का कुछ भाग चालू नहीं है:—

(१) ट्रंक सीवर १२ इंच से ३६ इंच फुलवरिया रोड से अलोपी बाग ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन तक ।

(२) ३६" ×४५" व्यास वाला ट्रंक सीवर अलोपी बाग पम्पिंग स्टेशन से गऊ घाट पम्पिंग स्टेशन तक।

(३) १८" ×२४" व्यास वाला ट्रंक सीवर कालविन एवं कैनिंग रोड के क्रासिंग से जी० टी० रोड एवं सीमेट्री रोड के जंक्शन तक ।

(४) कटरा थार्नहिल रोड ट्रंक सीवर वाया चिन्तामणि घोष रोड ६" ×२४" ।

(५) ६" ×३०" कुंड गार्डन टैगोर टाउन ट्रंक सीवर ।

(६) १८" ×२७" महाबीरन लेन ट्रंक सीवर ।

(७) १८"कल्याणी देवी एवं तिलक रोड सीवर ।

(८) ६" व्यास ट्यूम पाइप ब्रांच कमला नेहरू रोड थार्नहिल रोड के जंक्शन से थार्नहिल रोड पर मैरीज स्कूल के फाटक तक।

(९) ६"एवं ६" ब्रांच सीवर टैगोर टाउन एवं फतेहपुर बिचवा ६"से १२" ब्रांच सीवर कटरा एवं कर्नलगंज में ।

६"एवं ६" ब्रांच सीवर दरबंगा उपनिवेश में।

(१०) ६", ६" एवं १२" सीवर कल्याणी, भारती भवन, यहियापुर, काटजू रोड, ठठेरी बाजार, शाहगंज, क्लाइव रोड, मिशन रोड, कचेहरी रोड, चिन्तामणि घोष रोड, मोरी रोड, मोरी गेट के नीचे ६" ब्रांच के साथ रेलवे के किनारे तक, दारागंज, विरहना, मधवापुर, कृष्णकान्त रोड, बन्ड रोड में ।

गाजियाबाद मास्टर प्लान के लिये अर्जित भूमि का प्रतिकर

*१०—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद मास्टर प्लान के संबंध में जो अन्तिम विज्ञप्ति दिनांक १ फरवरी, १९६२ को तकरीबन ६,००० एकड़ भूमि अर्जित करने के लिये की गयी है, उस जमीन का मुआवजा तय करने के लिये लैंड एक्वीजीशन आफिसर को कुछ खास दर पर अर्जित करने के लिये कहा गया है या उसी दर पर जिस पर साधारणतया अर्जित की जाती है ? अगर वैसा नहीं किया गया है, तो क्या तय हुआ है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—गाजियाबाद के सुनियोजन विकास के लिये ६,१५९ एकड़ भूमि अर्जित करने के लिये ९ फरवरी, १९६२ को एक विज्ञप्ति सरकार ने जारी की है किन्तु उस विज्ञप्ति में वर्णित भूमि का मुआवजा तय करने के लिये लैण्ड एक्वीजीशन अफिसर को कोई निर्देश नहीं दिया गया है और न सरकार को इस प्रकार का कोई निर्देश देने का अधिकार ही है। लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत भूमि का मुआवजा साधारण बाजार भाव के अनुसार निर्धारित किया जाता है और उसी के अनुसार निर्धारण इसमें भी होगा ।

श्री तेजसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि २३ अगस्त, १९६० को गाजियाबाद के किसानों का एक डेपुटेशन मुख्य मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द जी से मिला था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—फाइल में तो कोई इनफार्मेशन नहीं है, लेकिन जब वे महाशय भी कह रहे हैं तो जरूर मिला होगा।

श्री तेजसिंह—क्या उसी दिन आपको भी वही डेपुटेशन मिला था और आप से यह मांग की थी ? मेरा मतलब मिनिस्टर साहब से है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, मुझसे मिला था।

श्री तेजसिंह—इस संबंध में आपने उन्हें कोई आश्वासन दिया था या नहीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने यह आश्वासन दिया था कि उचित मूल्य उनको दिया जायगा। उत्तर में भी करीब-करीब यही चीज है कि जो बाजार भाव है उसी हिसाब से उन को मिल सकेगा।

श्री तेजसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि श्री जगजीवनराम जी ने एक बयान दिया है कि बिहार सरकार जिस जमीन का मुआवजा २,५०० रु० दिलाती है उसी जमीन का मुआवजा यू० पी० सरकार २५ रु० दिलाती है? यदि हां, तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इतना बाजार भाव में क्यों फर्क है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैंने लोगों से ऐसा कहते हुए सुना। मेरे पास कोई रेकार्ड नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि ऐसा उन्होंने कहा।

श्री ऊदल—श्रीमन्, उनका कहना है कि जितना रुपया मुआवजा देने के लिये सरकार लिखती है उतना रुपया मिलता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि गाजियाबाद प्लान के संबंध में किसानों को मुआवजा देने के संबंध में यू पी० सरकार ने दिल्ली नगर के प्रशासन को या केन्द्रीय सरकार को क्या लिखा है कि इनको कितना दिया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कुछ कायदे बने हैं और एक्वीजिशन होता है तो उसके अनुसार होता है, इसके अलावा कोई हिदायत सरकार नहीं देती है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने जो कहा कि जनता यह कहती है कि क्या वह कोई जांच करायेंगे कि इतना भेद रेट्स में क्यों है ?

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई रिकार्ड नहीं है।

श्री तेजसिंह—रेवेन्यू मैनुअल के आर्टिकल ४७५ में लिखा है कि :—

"Certain land, whether cultivated, culturable or barren, may have a special market value exceeding its market value as agricultural land owing to its proximity to a town or large village and its potential value as a building site."

तो यह जितनी भूमि ली जा रही है वह किसी पब्लिक परपज के लिये नहीं ली जा रही है, उसे इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एक्वायर कर रहा है जो आगे उसे बेचेगा। इस वक्त उसकी स्पेशल मार्केट वेल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या मंत्री जी लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर को आदेश देंगे कि इस जमीन को स्पेशल मार्केट वेल्यू लगाकर एक्वायर किया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—हमारा जो कानून है उसके अनुसार प्रेजेंट मार्केट वेल्यू दी जा सकती है। उनके साथ कोई हार्डशिप न हो, इसलिये १-२-६२ को जो मार्केट रेट्स थे क्योंकि वहां बहुत से बाहर के लोग जमीनें खरीद रहे थे उसका या जो भी मौजूदा रेट होगा वह स्वयं ही आ जायगा, इसलिये जो किया जा रहा है उसी से वह चीज पूरी हो जाती है।

रेलवे वैगन्स की कमी का कोयले की सप्लाई पर प्रभाव

*११—श्री चन्द्रजीत—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोयला और अनाज ढोने के लिये आबंटित रेल डिब्बों में कमी कर दी है? यदि हां, तो कितने डिब्बों की और कब से ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी हां। पहिले राज्य सरकार का कोटा ५०,००० डिब्बे कोयला चूर तथा १६,२०० डिब्बे घरेलू उपयोग और लघु उद्योगों के लिये था। १ मई, १९६२ से क्रमशः २६,४०० डिब्बे और १०,८०० डिब्बे देने का आश्वासन दिया है। इस प्रकार कोयला चूर के डिब्बों में २३,६०० डिब्बों तथा घरेलू उपयोग और लघु उद्योगों वाले कोयले में ५,४०० डिब्बों की कमी हुई।

जहां तक अनाज ढोने के लिये डिब्बों का प्रश्न है इनकी संख्या निर्धारित नहीं होती। आवश्यकतानुसार डिब्बे दे दिये जाते हैं। अतएव इनके कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*१२—श्री चन्द्रजीत—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस संबंध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—राज्य सरकार इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से बराबर लिखा-पढ़ी कर रही है।

श्री चन्द्रजीत—इस बात को देखते हुए कि हमारे राज्य में पिछले २ वर्ष से कोयले की कमी से भारी संकट उत्पन्न है और इस साल हमारे यहां कोयले की कमी की वजह से उसमें ५० और ४० प्रतिशत की कमी हुई है और उससे संकट और गहरा हो जायगा। तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने किन आधारों पर इतने बड़े पैमाने पर प्रदेश के रेल के डिब्बों को कम किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो उद्योग बढ़े हैं और जो विकास के कार्य हुए हैं उनकी वजह से कोयले की खपत अधिक हो गई और केन्द्रीय सरकार उस मात्रा में वैगन्स नहीं दे पायी और इसलिये कोयले की कमी हुई। जब हमने कहा कि हमारा कार्य रुका रहा है तो उन्होंने डम्प करने की स्कीम निकाली, उसको हमने स्वीकार किया जबकि और किसी भी राज्य ने उसको स्वीकार नहीं किया, ६–७ जगह हमने कोयला डम्प किया लेकिन फिर भी कोयले की जितनी जरूरत थी वह पूरी नहीं हुई, अब सब स्टेट्स का जितना पेपर पर कोटा था वह नहीं पहुंचा इसलिये अब उन्होंने प्लान कर दिया कि हम इतना दे देंगे और इसी बेसिस पर कोटा निर्धारित कर दिया। एक फ्लेक्सीबिलिटी जरूर उन्होंने कर दी कि एक किस्म का कोयला दूसरी चीज में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन उससे भी काम नहीं चलेगा। इस वास्ते हम केन्द्रीय सरकार से निरंतर लिखा पढ़ी करते चले आ रहे हैं और हमारा कोयले का कोटा जितना है उतना आना चाहिये उसके लिये वैगन्स और मिलने चाहिये। यों तो हमने कोशिश की है कि रोड ट्रांसपोर्ट से मंगायें मगर वह मंहगा पड़ता है। अब फिर मुख्य मंत्री जी स्वयं इस बात पर संभवतः प्रधान मंत्री से विचार-विमर्श करें।

श्री चन्द्रजीत—मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने बताया केन्द्रीय सरकार ने जो गृह उद्योग बढ़े हैं उनको देखते हुए यह निर्धारण किया है। तो इसका अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश में गृह उद्योग कम हुए हैं इसलिये कोयले का कोटा ५० और ४० फीसदी कम कर दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने पहले कहा एक ही स्टेट के लिये प्रश्न नहीं है, सब स्टेटों में इस प्रकार की कमी हुई है।

श्री चन्द्रजीत—क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि पिछले सप्ताह जो कोयले में ५० फीसदी कमी की गई डिब्बों के कारण इस संबंध में वह दिल्ली गये थे और जैसा खाद्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधान मंत्री से बात-चीत भी की, तो वह बतायेंगे कि इस संबंध में कोई कदम अब तक केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने उठाया है कि इतने बड़े पैमाने पर वैगन्स की क्यों कमी की गई जब पहले से ही राज्य में संकट था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरी पहले हफ्ते में तो केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों से कोई बात हुई नहीं, क्योंकि मंत्रि-मंडल में कुछ तबदीली होने वाली थी। जो व्यक्ति पहले यह विभाग चलाते थे ऐसा सुना जाता था वे उस विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे और कदाचित् ऐसा ही हुआ, तो अभी नये मंत्री महोदय से कोई बात नहीं हुई है। पहले मंत्री महोदय से इस संबंध में बात करते हुए प्रदेशीय सरकार का दृष्टिकोण भी उनके सामने रखता रहा हूं और यह भी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कहता रहा हूं। जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है वहां उन नजदीक के प्रदेशों के मुकाबले में हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमें कोयला कम मिल रहा है। ऐसा वह नहीं मानते, उनका कहना है कि नहीं जैसा हमने दूसरे प्रदेशों के साथ बरताव किया है वैसा ही इस प्रदेश के निवासियों के साथ भी बरताव कर रहे हैं।

कोयले का जो प्रश्न है उसका मुख्यतः संबंध वैगन्स से है। वैगन्स की उपलब्धि उतनी मात्रा में है नहीं। केन्द्रीय सरकार के बहुत से पब्लिक सेक्टर के कार्य इस तेजी से चल रहे हैं कि वैगन्स का डाइवर्जन वहां की आवश्यकताओं के लिये अधिक होता है। इस कारण मुगलसराय के आगे जो एक सीमित कोटा है उसके लिये वेगन्स हमें मिल नहीं पाते। आज उसी समस्या को किसी प्रकार से हल करना है। केन्द्रीय सरकार ने यों तो यह इजाजत दे रखी है कि सड़क द्वारा अगर कोयला लाना चाहें तो ला सकते हैं। कुछ लोग बनारस तक कोयला लाते भी हैं, परन्तु उस कोयले के लाने की कीमत इतनी बढ़ जाती है कि जिस काम में वह कोयला इस्तेमाल होता है उस काम की भी कीमत बढ़ जाती है। इसलिये बनारस के आगे कोयले को ट्रांसपोर्ट के द्वारा लाने में काफी दिक्कतें हैं।

केन्द्रीय सरकार ने आसाम से भी कुछ कोयला छोटी लाइन के जरिये से लाने की इजाजत दे रखी है और कुछ कोयला वहां से आया भी है, परन्तु फिर भी उस कोयले के आ जाने के बाद और ट्रांसपोर्ट द्वारा कोयला प्रदेश में थोड़ी मात्रा में आने के बावजूद भी हमारी दिक्कत वैसी ही बनी हुई है जैसे पहले थी। अब नये मंत्री जो नियुक्त हुए हैं उनसे इस संबंध में बात करने वाला हूं। अभी दिल्ली नहीं गया हूं, यद्यपि आखिरी खत पहले मंत्री को लिखा था। मैं ऐसा समझता हूं कि वह खत भी नये मंत्री महोदय के सामने पेश किया गया होगा। अभी उसका उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में रेक सिस्टम द्वारा जिलों में कोयले का बटवारा होता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जो आपके डम्प्स हैं उन पर ज्यादा जाता है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार ने जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में वैगनों की कमी की है उस हिसाब से और प्रदेशों में नहीं की है?

श्री अध्यक्ष—आप आधार जानना चाहते हैं?

श्री ऊदल—जी हां।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मेरे पास जो इत्तिला है उसके अनुसार सभी में कमी की है।

श्री चन्द्रजीत—जब माननीय मंत्री इस बात को स्वयं मानते हैं कि एक बड़ा संकट प्रदेश में उत्पन्न हो जायगा स्थानीय घरेलू उद्योगों में, तो पहली मई से पहले, जब से यह कोटा कम होने वाला है, नये मंत्री से माननीय मुख्य मंत्री वार्ता कर सकेंगे ताकि इस प्रकार की कटौती न हो सके?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस संबंध में तो यही हो सकता है कि अब मैं पहली मई से पहले फोन से बातचीत कर लूं क्योंकि दिल्ली जाने का तो कोई प्रोग्राम निकल नहीं रहा है।

*१३-१५—श्री कमलासिंह—[७ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१६—श्री तेजासिंह—[७ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

लखनऊ नगरमहापालिका को डेपुटेशन पर दिये गये व्यक्ति

*१७—श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन साल में लखनऊ नगरमहापालिका ने सरकार से किन किन अधिकारियों की मांग की है और उन पदों पर किन व्यक्तियों को सरकार ने नियुक्त किया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—गत तीन वर्षों में लखनऊ नगरमहापालिका ने एक एकाउन्ट्स आफिसर तथा एक नगर अभियन्ता ड्रेनेज की नियुक्ति हेतु शासन से अधिकारियों की मांग की थी । इन पदों पर क्रमशः श्री रमेशचन्द्र चटर्जी सहायक सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा श्री मुसद्दीलाल, अवकाश प्राप्त मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, की सेवायें महापालिका को प्रतिनियुक्ति (डिपुटेशन) पर सौपी गई थीं ।

*१८—श्री किशोरीलाल अग्रवाल—क्या उन नियुक्त व्यक्तियों में आवश्यक योग्यतायें हैं ? अगर नहीं , तो ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति क्यों की गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—नगरमहापालिकाओं के विभिन्न पदों के लिये जो योग्यताएं निर्धारित होनी हैं वे अभी विचाराधीन हैं और उन पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । फिर भी सरकार की चेष्टा रही है कि जहां तक हो सके प्रत्येक पद के लिए योग्य तथा अनुभवी अधिकारी ही भेजे जायं । तदनुसार श्री मुसद्दीलाल को अभियन्ता (ड्रेनेज) के लिये सरकार ने ठीक समझा क्योंकि श्री मुसद्दीलाल अत्यन्त अनुभवी अभियन्ता हैं और स्वायत-शासन अभियन्त्रण विभान के मुख्य अभियन्ता के पद पर काफी समय तक कार्य कर चुके हैं । जो भी आवश्यक योग्यताएं अभियन्ता के पद के लिये आगे चल कर तय की जायेंगी वे सभी श्री मुसद्दीलाल में आवश्यक मौजूद है क्योंकि वे उन योग्यताओं से अधिक नहीं हो सकतीं जो कि स्वायत शासन अभियन्त्रण विभाग के मुख्य अभियन्ता के लिये आवश्यक हैं ।

एकाउन्ट्स आफिसर के पद पर श्री रमेशचन्द्र चटर्जी को उपयुक्त पाया गया क्योंकि उन्हें एकाउन्ट्स के मामले में काफी अनुभव है और वे सचिवालय के वित्त विभाग में विभिन्न पदों पर बहुत लम्बे अर्से तक काम कर चुके हैं । महापालिका में जाने के पहले वे वित्त विभाग में सहायक सचिव के पद पर थे ।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि योग्यतायें निर्धारित करने में अभी कितना समय और लगेगा ?

श्री अध्यक्ष—यह तो शीघ्रति शीघ्र होगा ।

स्टेट ट्यूब वेल, कन्नौज में पाइप लगाने पर विचार

*१९—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वायत्त शासन (स) विभाग द्वारा लिखित G.O. पत्र नं० १३४८ -५१/९-बी-१६ ए-क्यू/१९६० दिनांक २२ मार्च, १९६१ का चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग को मिला है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हां ।

सिंचाई विभाग ने स्टेट ट्यूब वेल (State Tube well no.43) कन्नौज और रेलवे क्रासिंग रोड में स्थिति कुएं के पानी का परीक्षण किया । दोनों जगह के पानी में से स्टेट ट्यूब वेल के पानी को पीने योग्य और कम भारी पाया गया अतएव शासन से चीफ इन्जीनियर ने स्टेट ट्यूब वेल से एक सार्वजनिक नल लगवाने की अनुमति मांगी है जो कि विचाराधीन है ।

श्री होरीलाल यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त नल लगाने के लिये सरकार ने कोई एस्टीमेट तैयार कराया था ? यदि हां, तो किस विभाग द्वारा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जी हां, यह एस्टीमेट सिंचाई विभाग के अभियन्ता द्वारा तैयार करवाया गया था जो कि ९१० रुपये का था।

श्री होरीलाल यादव---माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सिंचाई विभाग के अभियन्ता द्वारा यह एस्टीमेट तैयार कराया गया था तो किस कुएं से पानी लेने का उसमें विचार था ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---श्रीमन्, उत्तर में बताया जा चुका है कि कुयें का पानी भारी होने की वजह से पाइप नहीं लग सकता है। अतः नलकूप के द्वारा पाइप लगाने की योजना बनायी गयी है।

जंगल विभाग की सड़कों पर सामान ले जाने की सुविधायें देने पर विचार

*२०---**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा) तथा **श्री मुन्नूसिंह** (जिला बहराइच)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दो गांवों के बीच में जहां जंगल विभाग की सड़क पड़ जाती है और जहां कोई दूसरा सार्वजनिक मार्ग नहीं है ऐसे जंगल के मार्गों पर चलने के लिये तथा सवारियों द्वारा सामान लाने व ले जाने के लिये क्या जंगल विभाग हर मौसम में तथा निःशुल्क सुविधा देने पर विचार करेगा ?

श्री हरिदत्त---जी हां। वन विभाग इन सुविधाओं के दिये जाने पर विचार करेगा।

श्री मुन्नूसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन सुविधाओं के देने पर विचार किया जायगा उनमें मोटर सड़कें भी होंगी या सिर्फ गाड़ी की सड़कें ?

श्री हरीदत्त---यह एक जनरल सवाल है किसी खास सड़क की बाबत नहीं है। जहां पर सड़कें मौजूद हैं और कोई दूसरी सड़क नहीं है वहां पर सुविधा की बात कही गयी है तो उस सुविधा के देने पर सरकार विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष---मोटर की सड़कों के लिये भी विचार हो रहा है या नहीं ?

श्री हरीदत्त---जी हां, होगा।

श्री मुन्नूसिंह---क्या सरकार जंगल की जो अपनी निजी मोटर रोडस हैं उन पर भी यह सुविधा देने का विचार कर रही है या नहीं ?

श्री हरीदत्त---आवश्यकता पर देंगे क्यों नहीं। लेकिन सवाल हेवी वेहिकिल्स का है, तो हेवी वेहिकिल्स का सवाल जब आयेगा तो उनसे शुल्क लिया जायगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी कि जो छोटी-छोटी जंगल की सड़कें दो सार्वजनिक सड़कों के बीच में आती हैं उनको सरकार सार्वजनिक सड़कें बना दे ताकि जो दिक्कत महसूस हो रही है वह न हो?

श्री हरीदत्त---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मुन्नूसिंह---क्या मंत्री जी गल्ला वगैरा ले जाने के लिये सुवधा प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त—अध्यक्ष महोदय, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है कि वे क्या सामान ले जाती हैं, लेकिन हमें तो वास्ता इस बात से है कि हमारी सड़कों के द्वारा माल चोरी न हो जाय और हथियार ले जाकर लोग शिकार न करें यह बंदोबस्त रखेंगे। बाकी सामान ले जाने में हमें कोई एतराज नहीं है।

*२१-२२—**श्री गिरधारीलाल** (जिला वाराणसी)—[७ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२३—**श्री हरीशकुमार गंगवार**—[१० मई, १९६२ के लिये प्रश्न ८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२४—**श्री रामकिशोर**—[१० मई, १९६२ के लिए प्रश्न ८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

साप्ताहिक 'देहात' के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—हमारे सामने एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना आयी है। माननीय विजयपालसिंह ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है जिसमें वह कहते हैं कि "मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम ४३ के अनुसार एक विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर के एक साप्ताहिक पत्र 'देहात' में तारीख १६ अप्रैल, सन् १९६२ के अंक में एक प्रश्न शिकारपुर क्षेत्र मुजफ्फरनगर के विधायक श्री सुगनचन्द शर्मा का छपा है जिसका सम्बन्ध विधान सभा के विशेषाधिकार की अवहेलना से है क्योंकि जब तक विधान सभा में प्रश्नों का उत्तर सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता उसके पहले अखबारों में नहीं छपना चाहिये। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर उचित निर्णय देने की कृपा करें।"

मैं माननीय विजयपालसिंह से यह जानना चाहता हूं कि इसमें यह स्पष्ट नहीं होता है कि किसके विरुद्ध यह विशेषाधिकार का प्रश्न आप उठाना चाहते हैं।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफरनगर)—श्रीमन्, मैं अखबार के सम्पादक के खिलाफ यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सुगनचन्द जी आपको इस सम्बन्ध में कुछ कहना है जो चीज इस साप्ताहिक 'देहात' में छपी है वह इस प्रकार से है। "शिकारपुर क्षेत्र के विधायक श्री सुगनचन्द शर्मा ने गत सप्ताह विधान सभा में यह प्रश्न किया कि सिसोली के आस पास एक ही रात्रि में ६ डकैती पड़ीं उसके विषय में पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है। इन डकैतियों में एक व्यक्ति मारा गया है।" अब आपने जो प्रश्न किया है वह इस प्रकार है कि "गृह मंत्री क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफफरनगर के शिकारपुर क्षेत्र के अन्दर एक ही रात्रि में जो डकैतियां कस्बा सिसौली के निकट पड़ी थीं उस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है?" यह प्रश्न आपने किया। क्या आप कृपा कर बतलायेंगे कि उस पत्रिका में किस प्रकार से यह आया? क्या आपने यह सूचना दी थी?

श्री सुगनचन्द (जिला मुजफफरनगर)—श्रीमन्, मैं चूंकि नया विधायक बनकर आया हूं और वहां पर उस साप्ताहिक अखबार के एडीटर का मकान मेरे पास है इसलिये वहां पर यह जिक्र आया जो कि मैंने सवाल किया था। यह गलती मुझसे नियमों के न जानने की वजह से हो गई इसलिये मैं इसकी क्षमा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब यह प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि नियमों के न जानने के कारण उनसे गलती हो गई। ऐसी अवस्था में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मुख्य मंत्री तथा सूचना मंत्री द्वारा अधिवेशन काल में सदन के बाहर सरकारी नीतियों की घोषणा करने पर आपत्ति

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—श्रीमन्, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हो गया है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे सामने दो पेपर हैं। एक संडे पायनियर और दूसरा नवजीवन। एक में माननीय मुख्य मंत्री ने अपनी नीति की घोषणा की है कि एक हाई पावर कमेटी शुगर इंडस्ट्री के प्राब्लेम को साल्व करने के लिये नियुक्त की जायगी। दूसरे हिन्दी के पत्र में सूचना मंत्री द्वारा घोषणा हुई है कि जिलास्तर पर सभी समाचार पत्रों को यथाशक्ति सहायता दी जायगी। इस सम्बन्ध में जब सदन की बैठक हो रही हो और कोई नीति की घोषणा करनी हो तो पहले वह सदन के सामने प्रकट करनी चाहिये सदन से ऊपर उठकर इस तरह की नीति की घोषणा नहीं होनी चाहिये ....

श्री अध्यक्ष—मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि किन शब्दों का प्रयोग किया गया है और किस तरह से वह एक नीति सम्बन्धी घोषणा है?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—पहले तो मैं उसको सुनाना चाहता हूं जो सूचना मंत्री द्वारा कहा गया है। उन्होंने कल यह कहा कि जिला स्तर पर सभी समाचार पत्रों को यथाशक्ति सहायता दी जायगी और दूसरे चीफ मिनिस्टर महोदय ने कहा था कि—

"Mr. C. B. Gupta, today disclosed that a high power committee, representing all interests, is proposed to be set up to examine the problems confronting the sugar industry in the State and to formulate suitable recommendations to Government so that a concerted effort was made to improve sugarcane cultivation in the State and to make sugar industry competitive."

मेरी दृष्टि में यह एक नीति की घोषणा उन्होंने की है और एक परिपाटी चली आयी है और अपने यहां के स्पीकर महोदय की रूलिंग भी है, लोक सभा के स्पीकर की भी रुलिंग है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो और ऐसे महत्व का प्रश्न सामने रखना हो तो पहले उस संबंध में घोषणा सदन में होनी चाहिये। कहीं अन्यत्र ऐसा नहीं करना चाहिये। श्रीमन्, इस के बारे में अगर आप रेफरेंस चाहें तो मैं दे दूं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैंने चेम्बर आफ कामर्स के सदस्यों के समक्ष कहा था वह कोई नयी बात नहीं थी, क्योंकि उसके पूर्व मुझ से जो शुगर इंडस्ट्री का संचालन करते हैं उनका डेपुटेशन मिला था। यह महीने दो महीने की बात है और उस समय भी इस विषय पर उनसे बात हुई थी और उनको मैंने कहा था कि शुगर इंडस्ट्री एक क्राइसेस से गुजर रही है और उन्होंने स्वतः हमें सलाह भी दी थी और उस समय मैंने उनको कह दिया था कि इस प्रकार की कमेटी नियुक्त की जायगी। इस विषय में पहले भी अखबार में निकल चुका है। अब जब मैं चेम्बर आफ कामर्स के सदस्यों के बीच गया और उसके सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया और बहुत से अन्य प्रश्न उठाये तो उनके उत्तर में मैंने उसी बात को, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका था, दोहरा दिया। मैं नहीं समझता कि कोई नयी नीति शुगर इंडस्ट्री के विषय में मैंने ऐसा कर के घोषित की हो। ऐसा मैं समझता हूं और इस कारण से कोई प्रश्न इस सदन में यह नहीं उठ सकता कि मैंने अधिक गन्ना उत्पादन के कारण जो शुगर इंडस्ट्री के विषय में घोषणा की है वह कोई नयी नीति की बात है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मैं आपकी आज्ञा से एक दो जुमले इस में से और पढ़ देना चाहता हूं। यदि यह नीति नहीं तो क्या है:—

"This committee could consider the suggestion made by the President of the Chamber that part of the cess and purchase tax collected by the State Government should be utilized in the improvement and development of cane cultivation instead of being absorbed as at present, in the State's general revenues completely."

अगर यह पालिसी का स्टेटमेंट नहीं है तो क्या हो सकता है, जो मैं समझता हूं कि सदन के विचाराधीन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—माननीय सूचना मंत्री कुछ कहेंगे ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—श्रीमन् जो प्रश्न उठाया गया है उसमें कोई नीति का सवाल नहीं है। जो जिला स्तर के पत्र हैं उनको विज्ञापन दिये जाते हैं कुछ पत्रकार उस समय बात कर रहे थे और उनकी कुछ शिकायतें थीं कि उनका नाम एप्रुव्ड लिस्ट पर नहीं है। उस समय मैंने इसका संकेत किया था। मैं समझता हूं कि यह कोई नीति का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप जरा उस अखबार को मेरे पास भेज दें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—इसमें एक महत्व का प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष—इस तरह से तो नहीं चलेगा। मैंने दोनों ओर की बात सुन ली है। जो माननीय प्रश्नकर्त्ता ने कहा है वह बात बिल्कुल ठीक है कि जब सदन बैठा हो तो उस समय कोई नीति के संबंध में घोषणा सदन के बाहर नहीं होनी चाहिये और अगर घोषणा करते हैं तो सदन में ही होना चाहिये अगर सदन में बैठक उस समय हो रही हो। सदन में बैठक न होती हो तो अवश्य मंत्रि परिषद् में जो नीतियां निर्धारित की जायं उनकी घोषणा बाहर हो सकती है। मेरे समक्ष प्रश्न यह आता है कि जो घोषणायें हुई हैं वे नीतियों से संबंधित हैं या घोषणायें यह है कि अपनी नीतियों का निर्धारण करने के लिये हम किस रास्ते का पालन करेंगे इन दोनों में फर्क है। एक तो नीतियों की घोषणा है और दूसरी नीतियों के निर्धारण के लिये एक विशेष पद्धति को अंगीकर करना है। प्रागदर्शन में मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष इस सदन में और इस सदन के बाहर भी इस जटिल समस्या के संबंध में विभिन्न विचार रखे जाते हैं। आप देखेंगे कि इधर जब से बैठक हो रही है इस सदन की तब से लगातार इस संबंध में प्रश्न होते रहे हैं। मैं स्वयं इस प्रश्न के महत्व को अनुभव कर रहा हूं और उसकी स्वीकृति देता चला आता हूं। जहां भी गन्ना, गन्ना मालिकों या शकर का प्रश्न आता है मैं चाहता हूं कि वह सदन में आये ताकि मंत्रिमंडल का ध्यान उस विषय पर आकर्षित होता रहे और सुव्यवस्था होती रहे। जहां तक माननीय मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा का संबंध है, वह तो इस समय शकर के उद्योगों की जो समस्यायें हैं उनके समाधान करने के लिये व्यग्र है। उसी के समाधान के लिये उन्होंने कहा कि एक कमेटी की नियुक्ति का विचार है। तो इसमें नीति की बात नहीं है। किसी नीति की घोषणा का प्रश्न इसमें आता है, इसमें मुझे बड़ी शंका है। इसमें किसी नीति घोषणा का प्रश्न नहीं आता।

अब दूसरा माननीय सूचना मंत्री के संबंध में है जो इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश के सूचना मंत्री श्री बनारसीदास ने यहां कहा कि जिलास्तर पर सभी समाचार पत्रों को यथाशक्ति सहायता दी जायगी। यह उन्होंने स्थानीय पत्र-प्रतिनिधियों के समक्ष भाषण

[श्री अध्यक्ष]

में कहा। तो इस संबंध में मैंने जो बात माननीय मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा के संबंध में कही वह बात इस संबंध में स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती, जिसे कहते हैं कि:—

it is precariously on the brink of that objection

में समझता हूं कि जो हमारी पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस है और जो हमारी परम्परायें हैं उसके अनुसार मैं आशा करूंगा कि मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे कि नई घोषणाएं कि क्या वह करने जा रहे हैं किस रूप से करने जा रहे हैं और स्पष्टतः क्या किसके लिये कर रहे हैं यह बाहर कहना सदन की मर्यादाओं के विपरीत है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—आपने अध्यक्ष महोदय अभी-अभी यह कहा कि कई बार गन्ने की समस्या के लिये यहां उठाने की इजाजत दी गयी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने २ बार इस सदन के बाहर इस बात को कहा, लेकिन एक बार भी इस सदन में उसकी चर्चा करना उपयुक्त नहीं समझा। मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने इसका जिक्र यहां क्यों नही किया ?

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठिये। आपने प्रश्न कर दिया। मैंने सुन लिया है। अब उसको तो मैं न एलाऊ करूंगा। आपको तो नहीं करना है।

अमरोहा शुगर फैक्टरी के प्रबन्धकों द्वारा मजदूरों की छटनी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे सामने एक सूचना कार्य-स्थगन प्रस्ताव की माननीय चन्द्रजीत जी यादव तथा शराफत हुसैन रिजवी की तरफ से है वह इस प्रकार है :—

"अमरोहा शुगर फैक्ट्री, जिला मुरादाबाद, के प्रबन्धकों ने गत एक सप्ताह से मजदूरों को मनमाने ढंग से मिल से निकालना प्रारम्भ कर दिया है। इस समय तक लगभग २ सौ मजदूर हटाये जा चुके हैं। मजदूरों में गहरा असंतोष व्याप्त है। जिला अधिकारियों ने भारतीय जनविधि संग्रह की धारा १४४ लगा दी है। मजदूरों में तथा साधारण जनता में क्षोभ व्याप्त है।" आदि आदि।

इस सम्बन्ध में एक अल्पसूचित प्रश्न आ चुका है और वह २५ अप्रैल के लिये स्वीकृत हो चुका है। उसका उत्तर दिया जायगा। तो इस विचार से कि अब यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में आ रहा है मैं माननीय चन्द्रजीत जी यादव से अनुरोध करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को प्रेस न करें।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—मैं प्रेस तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि उसका उत्तर २५ अप्रैल तक जरूर आ जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं सरकार से आशा करूंगा कि यह अल्पसूचित प्रश्न जो २५ को आ रहा है उसके लिये वह तैयार हो कर जवाब दे देगी।

बलिया जिले के मुड़ियारी ग्राम के श्री रामजन्मसिंह की पुलिस द्वारा हत्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब एक विषय के सम्बन्ध में मेरे पास कई एक नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें आयी हैं और एक माननीय नरसिंहनारायण जी की भी सूचना उसी विषय के सम्बन्ध म कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में है। माननीय मैनेजरसिंह, माननीय चन्द्रजीत जी यादव

और माननीय काशीनाथ मिश्र यह चाहते हैं कि जो माननीय नरसिंहनारायण जी ने विषय रखा है उसको नियम ५२ के अन्तर्गत रख कर जानकारी प्राप्त करना या सरकार से वक्तव्य करा लेना पर्याप्त होगा। तो ऐसी दशा में मैंने, कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो है उसको अस्वीकार करके नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचनायें मिली हैं उनको स्वीकार कर लिया है और सम्बन्धित मन्त्री महोदय के पास यह भेज दिया गया है।

अब मैंने जो स्वीकार किया है, श्री मैनेजर की सूचना उसको पढ़ के सुना दूं :

"गत १९ अप्रैल को बलिया जिले के मनियार थानान्तर्गत मुड़ियारी ग्राम के श्री रामजन्मसिंह की हत्या मनियार की पुलिस द्वारा हुई। उसी दिन शाम को इस घटना की रिपोर्ट लिखाने बलिया कोतवाली में गये उनके भाई तथा एक और व्यक्ति को पुलिस ने कोतवाली में बन्द कर दिया। २० अप्रैल को कोतवाली में बन्द लोगों की जमानत के लिये गये एक व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके बन्द कर दिया और पुलिस मुड़ियारी गांव में जाकर आतंक फैलाने से जनता में भय एवं चिन्ता का वातावरण के पैदा होने से उत्पन्न परिस्थिति की ओर में माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

तो यह और अन्य जो सूचनायें हैं वह भेज दी गयी हैं। क्या सम्बन्धित मन्त्री बतायेंगे कि कब वक्तव्य देंगे ?

गृह उप-मंत्री (श्री नवलकिशोर)—इस सम्बन्ध में घटना का विवरण मेरे पास है, यदि आपकी आज्ञा हो तो अभी दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—अभी दे दीजिये।

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, बलिया जिले में जो घटना घटित हुई उसका विवरण इस प्रकार है :

"मनियार थाने के ४ सिपाही मुड़ियारी गांव, जिला बलिया रामजन्मसिंह को जो एक कुख्यात डाकू था तथा जिसकी हिस्ट्रीशीट भी खोली गई थी, १९ अप्रैल, १९६२ को सुबह गिरफ्तार करने गये। वहां सिपाहियों तथा रामजन्मसिंह के समर्थकों में लड़ाई हो गई। लाठी, बल्लम व फरसे का उपयोग किया गया। दो सिपाहियो ने भी लाठी व फरसा अपने बचाव में प्रयोग किया। रामजन्मसिंह और पुलिस के सिपाहियों को चोटें आयीं। अस्पताल ले जाते समय रामजन्मसिंह की मृत्यु हो गई। पुलिस और मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है। जिलाधीश और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस घटना स्थल पर हो आये हैं। इस समय शांति है। रामजन्मसिंह के भाई श्री शंकरदयाल ने चारों सिपाहियों के विरुद्ध धारा ३०२ के अन्तर्गत रिपोर्ट पुलिस में लिखा दी है।"

श्री मैनेजर (जिला बलिया)—क्या मुख्य मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या रामजन्मसिंह को गिरफ्तार करने के लिये जो चार सिपाही गये थे वह सादी वरदी में थे ?

श्री नवलकिशोर—जो सिपाही गिरफ्तार करने के लिये गये, मैं समझता हूं कि वह अपनी ड्रेस में होंगे। वैसे इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जिस समय रामजन्मसिंह को गिरफ्तार करने के लिये सिपाही गये उस समय वह अकेले खलिहान में दौरी हांक रहे थे, और सिपाहियों ने गड़ासे के साथ उनपर हमला किया और उसी हमले के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हुई और सिपाहियों को कोई धारदार औजार की चोट नहीं लगी ?

श्री नवलकिशोर—सिपाही जब रामजन्मसिंह को गिरफ्तार करने गये तो उन्होंने और उनके समर्थकों ने सिपाहियों पर हमला किया, उनको चोट भी आई और बचाव में मार-पीट भी हुई जिसमें उनको भी चोट आई।

श्री चन्द्रजीत—क्या मन्त्री जी के पास सूचना है कि जिन सिपाहियों को वह कहते हैं चोट आई, उनको किस प्रकार की चोट आई, कितनी चोटें आयीं और कितने सिपाहियों को चोटें आयीं ?

श्री नवलकिशोर—मैंने अर्ज किया कि इसकी जांच पुलिस और मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। जबतक कि पूरी रिपोर्ट न आ जाय तब तक विवरण की बातें बताना सम्भव नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन, मेरी यह प्रार्थना है कि माननीय मन्त्री जी जो वक्तव्य दे रहे हैं उसमें सिपाहियों की चोटों का विवरण नहीं है और कहते हैं कि उन पर हमला किया गया। वह विवरण उनको प्रस्तुत करना चाहिये, क्योंकि सब पार्टियों ने तार से सरकार से इस बारे में प्रार्थना की थी ?

श्री अध्यक्ष—मेरा खयाल है कि माननीय मन्त्री जी इसकी सूचना मंगा लें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि रामजन्म सिंह किस धारा के अन्तर्गत वान्टेड थे ?

श्री अध्यक्ष—उनका कहना यह है कि उनके पास जो सूचना थी वह उन्होंने सदन को दे दी। अब मैं उनसे कह रहा हूं कि सारी सूचना इकट्ठी करके वे सदन को दे दें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, एक प्रश्न आपने एलाऊ किया और अभी वह चल रहा है। फिर उस पर प्रश्न पूछने की हमको इजाजत दीजिये। यह एक मामूली सी बात है।

श्री अध्यक्ष—अच्छा पूछिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि वह किस धारा के अन्तर्गत वान्टेड थे ?

श्री नवलकिशोर—वह एक डाकू था, लेकिन इसमें स्पष्ट धारा दी हुई नहीं है कि किस धारा के अन्तर्गत उसको गिरफ्तार किया जा रहा था। सम्भवतः किसी डकैती के सम्बन्ध में ही गिरफ्तारी की जा रही होगी।

श्री मैनेजर—मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ण विवरण जब माननीय सदन के सम्मुख वे प्रस्तुत करें तो कृपा करके ईमानदारी और नेकनीयती के साथ करें....

श्री अध्यक्ष—आप ऐसे शब्दों का प्रयोग न कीजिये। जो सूचना उनके पास होगी वे उसी को तो रखेंगे।

श्री मैनेजर—इस बात की गम्भीरता को देखते हुए माननीय मुख्य मन्त्री जी यह अनुभव करेंगे कि इस प्रकार के विवाद अक्सर होते हैं....

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न कीजिये।

श्री मैनेजर—मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि ऐसी ही बातों से इलाहाबाद में एक कांड हो गया....

श्री अध्यक्ष—आप जो प्रश्न करना चाहते हैं वह करें।

श्री मैनेजर—मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए क्या वे इस घटना का सही विवरण इस सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे ? उसके सिलसिले में मैं दो तीन बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न करें ।

श्री मैनेजर—पहला प्रश्न मेरा यह है कि क्या चारों पुलिस कर्मचारी सादी वर्दी में वहां गये थे ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न पूछा जा चुका है ।

श्री मैनेजर—दूसरा प्रश्न यह है कि क्या उस समय अकेला रामजन्मसिंह दंवरी कर रहा था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है ।

श्री मैनेजर—तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसमें कितने लोग घायल हुए, उन लोगों में से जिनके बारे में यह कहा जाता है कि और लोग भी उस मुठभेड़ में शामिल थे । इसके अलावा पुलिस के कितने कर्मचारी घायल हुए और किस-किस को कितनी-कितनी चोटें आयीं । अन्त में मैं आपसे निवेदन करूंगा और आशा है आप मुझे माफ करेंगे कि आप भी इस प्रश्न की गम्भीरता को महसूस करते होंगे कि ऐसे गम्भीर प्रश्न का पूरा उत्तर सरकार को देना चाहिये नहीं तो उसके जो दुष्परिणाम होंगे वे प्रदेश को भुगतने पड़ेंगे ।

(श्री अध्यक्ष ने उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं बुलाया ।)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—जैसा कि बताया गया कि पुलिस के लोगों को भी गंड़ासे आदि की चोटें आयीं तो उन चार पुलिस वालों में से कितनों को क्या-क्या चोटें आयीं, तथा जो सूचना माननीय मन्त्री जी को मिली है वह किस आधार पर मिली है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर जो सूचना हमारे पास आयी है उससे यह स्पष्ट है कि पुलिस वालों को चोटें आयीं हैं ।

श्री चन्द्रजीत—श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर । जब आप नियम ५२ के अन्तर्गत कोई प्रश्न स्वीकार करते हैं तो या तो माननीय मन्त्री उस पर तत्काल वक्तव्य दे देते हैं अथवा अगर उनके पास सूचना नहीं होती तो समय मांग लेते हैं । मैं देखता हूं कि माननीय मन्त्री जी के पास सूचना तो है नहीं और प्रश्नों में सदन का समय बरबाद किया जा रहा है । अगर उनके पास सूचना नहीं है तो वे समय मांग लें । और जो प्रश्न उठा हुआ है, तो क्या इस प्रकार का प्रश्न उठाये जाने पर माननीय मन्त्री जी के पास कोई वक्तव्य न हो कि कम से कम एक प्रश्न का भी वे जवाब दे सकें, तो क्या यह उचित है और क्या यह सदन का समय बरबाद करना नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—मैं प्रारम्भ में ही कह रहा था कि मैं यह आदेश देना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी को कि वे पूरी सूचना इस सम्बन्ध में प्राप्त करके सदन में एक निश्चित दिन रखें लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि उस पर हमारे माननीय सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया और जिद्द करने लगे कि नहीं एक सवाल पूछ लेने दीजिये । तो यह चीज अच्छी नहीं मालूम होती । मैं स्वयं चाहता था लेकिन सदन नहीं चाहता था, तो मैंने सोचा कि प्रश्न हो जाय । वरना जो सुझाव आपने रखा है वह मैं स्वयं करना चाहता था । अब इस पर कोई प्रश्न नहीं होगा । माननीय गृह मन्त्री इस सम्बन्ध में और सूचना एकत्रित करें । क्या यह बयान २५ तारीख को यहां दे सकेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नवलकिशोर—मैंजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो रही है जो मैं कह नहीं सकता कि कब तक समाप्त हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष—मैंजिस्टीरियल इन्क्वायरी से कोई मतलब नहीं है। जो इस सम्बन्ध में तथ्य हैं वे एकत्र करके आप २५ तारीख तक दे दें।

श्री नवलकिशोर—ठीक है, मैं २५ तारीख को वक्तव्य देने की चेष्टा करूंगा।

गणेश शुगर मिल, फरेंदा, जिला गोरखपुर के मिल मालिकान द्वारा नैपाल तथा भारत का गन्ना सस्ते दर पर खरीदने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब गन्ना विकास राज्य मन्त्री गणेश शुगर मिल, फरेंदा, जिला गोरखपुर के मिल मालिकान द्वारा नैपाल तथा भारत का गन्ना १० आने से १२ आने मन तक खरीदने के सम्बन्ध में श्री नरसिंहनारायण पांडेय द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत १८ अप्रैल, १९६२ को दी गई सूचना पर अपना वक्तव्य देंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब आपने प्रश्न उपस्थित करने की आज्ञा दी और हम प्रश्न उपस्थित करते हैं तो यह खेद का विषय किस प्रकार हो गया?

श्री अध्यक्ष—माननीय गन्ना विकास राज्य मन्त्री अपना वक्तव्य दें।

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से—श्री नरसिंहनारायण पांडेय द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्तुत ध्यान आकृष्ट करने के प्रस्ताव (Calling attention motion) के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो यह आशंका प्रकट की गई है कि गणेश शुगर मिल्स, फरेंदा, जिला गोरखपुर द्वारा नैपाल राज्य का गन्ना बस्ती जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित झंडेनगर में कांटा लगा कर खरीदे जाने की वजह से बृजमनगंज स्टेशन पर गन्ने की खरीद नहीं की जा रही है और बृजमनगंज सोसाइटी के अन्तर्गत लाखों मन गन्ना किसानों का 'पर्ची' न मिलने के कारण सूख रहा है, वह तथ्य हीन है। वर्तमान सीजन १९६१-६२ में बृजमनगंज सोसाइटी ने आनन्दनगर मिल को जितना गन्ना सप्लाई के लिये 'आफर' किया था व जितना गेट तथा बृजमनगंज सेन्टर पर १७ अप्रैल, १९६२ तक सप्लाई हुआ और जो शेष रह गया है और जितना निर्दिष्ट तारीख के बाद अब इस मिल को प्रति दिन सप्लाई हो रहा है उसके आंकड़े इस प्रकार हैं :—

गन्ने की यूनियन का नाम	क्रय केन्द्र का नाम	१७-४-६२ आफर किये गये गन्ने की मात्रा (लाख मनों में)	१७-४-६२ तक सप्लाई किये गये गन्ने की मात्रा (लाख मनों में)	१७-४-६२ के बाद उपलब्ध गन्ने की मात्रा (लाख मनों में)	प्रति दिन गन्ने की खरीद की मात्रा (मनों में)
१	२	३	४	५	६
बृजमनगंज ..	गेट ..	००.७०	००.६०	००.१०	३००
	बृजमनगंज ..	४.४५	४.०२	००.५३	२,०००
	कोल्हुई ..	००.३५	००.३२	००.०३	कुछ नहीं।

बृजमनगंज सेंटर पर जितना गन्ना मिल को सप्लाई होना है उसी के अनुसार डिब्बों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। इस समय इसी सिद्धान्त के अनुसार केवल ६ डिब्बों की खरीद हो रही है। इसके अतिरिक्त मिल के अन्य केन्द्र जो अभी चालू हैं उनसे समान रूप से गन्ना खरीदा जाता है अन्यथा दूरी पर स्थित केन्द्रों के गन्ना किसानों को (driage) के कारण आर्थिक हानि होने का खतरा है। अतएव मिल के अन्य केन्द्रों से गन्ना समान रूप से लेना होगा और आशा की जाती है कि बृजमनगंज सोसाइटी का समस्त गन्ना मिल द्वारा मई के तीसरे सप्ताह तक क्रश हो जायगा। मिल मई के अन्त तक चल कर बन्द होगी।

इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह भी स्मरण दिलाना होगा कि नैपाल जो हमारा पड़ोसी राज्य है वहां का भी चार-पांच लाख मन गन्ना आनन्दनगर चीनी मिल द्वारा गत वर्षों में खरीदा जाता था। इस वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा चीनी का कोटा गत वर्ष की अपेक्षा १० प्रतिशत कम निर्धारित किये जाने से मिल ने नैपाल राज्य का गन्ना नहीं लिया जिससे वहां के किसानों में बहुत क्षोभ फैला। हाल में इस मिल को १,००० मीट्रिक टन का अतिरिक्त कोटा (quota) बढ़ने पर इसने नैपाल राज्य का गन्ना झंडा नगर से गत १८ मार्च से अपने एग्रीमेंट के अनुसार ३.३५ न० पै० प्रति क्वींटल या १.२५ रु० प्रति मन की दर से खरीदना प्रारम्भ किया और नैपाल का गन्ना प्रति दिन ३,३०० मन के हिसाब से खरीद रही है और इस प्रकार ०.८० लाख मन गन्ना अब तक खरीद चुकी है। नैपाल क्षेत्र के झंडानगर कांटे पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है। मिल द्वारा नैपाल राज्य का १.३० लाख मन गन्ना और खरीदने की आशा की जाती है जबकि उसे इस सीजन में नैपाल राज्य का २.८१ लाख मन गन्ना खरीदना है। बढ़नी हिन्द क्रय केन्द्र झंडानगर से लगभग एक फर्लांग है और जांच से ज्ञात हुआ कि बढ़नी क्षेत्र के काश्तकारों ने अपना गन्ना झंडानगर कांटे पर सप्लाई नहीं किया क्योंकि उनको बढ़नी हिन्द केन्द्र पर गन्ना का मूल्य ०-४-० अधिक अर्थात् १ रु० ८ आना प्रति मन की दर से मिलता है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बृजमनगंज आउट स्टेशन पर जो गन्ना खरीदा जाता था उसके लिये पहले कितने डिब्बे आते थे और अब कितने डिब्बे आ रहे हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि बृजमनगंज सेन्टर पर अभी तक ४.०२ लाख मन गन्ना खरीदा जा चुका है, डिब्बों की तादाद तो नहीं मालूम, लेकिन अभी ५३ हजार मन बाकी है और २,००० मन रोज गन्ना खरीदा जा रहा है। उसके लिये जितने डिब्बों की जरूरत होती है वह भेजे जा रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण—क्या गन्ना विकास मन्त्री जी बतायेंगे कि री-सर्वे के बाद जो भी ४–५ लाख मन गन्ना बृजमनगंज सोसाइटी के अन्तर्गत खड़ा है उसके लिये जो डिब्बे भेजे जा रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—आप री-सर्वे के बारे में उत्तर दीजिये कि कोई री-सर्वे हुआ है या नहीं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है बल्कि सूचना इसके खिलाफ है कि जितना भी गन्ना सोसाइटी का है वह सब क्रश होकर मई के तीसरे सप्ताह के बाद मिल बन्द हो जायगी।

श्री नरसिंहनारायण—क्या गन्ना मन्त्री जी को मालूम है कि मैंने स्वयं काश्तकारों की दरख्वास्तों को अभी दो तीन रोज पहले भेजा है कि री-सर्वे के अनुसार पुर्जियां नहीं मिल रही हैं....

श्री अध्यक्ष—आप यों कहिये कि क्या कोई ऐसी शिकायत पहुंची हैं कि २,००० मन की पर्चियां नहीं मिल रही हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—ऐसी कोई शिकायत नहीं पहुंची है, २,००० मन गन्ना रोज लिया जा रहा है और उसकी पर्चियां दी जा रही हैं।

श्री नरसिंहनारायण—क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि री-सर्वे के बाद वहां का गन्ना मई के अन्त तक मिल चलने के बावजूद भी पड़ा रह जायगा और क्या....

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता, वह कह रहे हैं कि मई के तीसरे सप्ताह के अन्त तक सब गन्ना क्रश हो जायगा।

श्री नरसिंहनारायण—मैंने पहले भी प्रश्न किया था और फिर अब दोहराता हूं कि री-सर्वे के बाद अब कितना मन गन्ना खड़ा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—उसके लिये नोटिस दी जाय तो मैं यह आंकड़े पेश कर दूंगा।

श्री नरसिंहनारायण—श्रीमन्, न तो इस बात की सूचना है कि कितने डिब्बे पहले आते थे और अब बृजमनगंज में कितने डिब्बे दिये जा रहे हैं, मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं कि..

श्री अध्यक्ष—आपने यह कहा है कि आफर किये गन्ने की मात्रा ४.४५ लाख मन है। १७ अप्रैल, १९६२ तक सप्लाई किये गये गन्ने की मात्रा आपने बतायी है ४.०२ लाख मन। आपने यह भी कहा है कि प्रति दिन २ हजार मन खरीदा जा रहा है और वहां ५३ हजार मन है।

श्री नरसिंहनारायण—यह तो पहले कहा है, री-सर्वे के बाद नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष—१७ अप्रैल के बाद का जवाब है।

श्री नरसिंहनारायण—जो डिब्बे आ रहे हैं जो जरूरत है उससे कम हैं और किसानों को उसके मुताबिक पुर्जियां नहीं दी जा रही हैं जितनी पहले दी जाती थीं। आप कोई व्यवस्था करने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—मेरे पास सूचना यह है जितनी पुर्जियां जरूरी हैं देने के लिये आज की गन्ने की स्थिति को देखते हुए वह जारी की जा रही हैं जिससे गन्ना समय के अन्दर पेरा जा सके।

श्री अध्यक्ष—उनका प्रश्न यह है कि डिब्बे जो जा रहे हैं वह पर्याप्त हैं या नहीं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—२,००० मन गन्ने के लिये डिब्बे पर्याप्त हैं, ६ डिब्बे जा रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—जैसी उनकी सूचना है ५३ हजार मन गन्ना रह गया है और माननीय नरसिंहनारायण जी कहते हैं कि री-सर्वे के बाद ४ लाख मन के करीब गन्ना है। तो मन्त्री जी पता लगायेंगे कि वाकई कितना गन्ना है और अगर आवश्यकता पड़े तो मई के अन्दर ही किसानों का गन्ना पिर जाय इसके लिये २,००० मन से अधिक कोटा बढ़ायेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—हमारे अधिकारियों ने यह सूचना दी है कि २,००० मन गन्ना जो रोज ले रहे हैं इससे सब गन्ना क्रश हो जायगा। इसलिये यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—मन्त्री जी बतायेंगे आनन्दनगर शुगर फैक्ट्री में कौन सी स्थिति पैदा हो गई जिसके कारण नैपाल का गन्ना खरीदने के लिये उनको छूट दे दी गई जब कि प्रदेश में स्वयं गन्ना पेरने के लिये हाहाकार मचा हुआ है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—श्रीमन्, जो माननीय सदस्य ने यह कहा कि छूट दे दी तो उनको गलतफहमी है। इसके लिये मुझे यह कहना है कि नैपाल से हर साल, पिछले ८, १० साल से बराबर गन्ना खरीदा जाता रहा है, ऐसा ऐग्रीमेंट रहा है। इस साल चूंकि गन्ना हमारे यहां ज्यादा था और १० परसेंट चीनी का कोटा कम कर दिया गया था लिहाजा सरकार की तरफ से मिल को आदेश दिया गया कि जब तक हमारे क्षेत्र का गन्ना पूरा न हो जाय आप नैपाल का गन्ना नहीं खरीद सकते। इसलिये मिल ने नहीं खरीदा। इसके बाद सेन्ट्रल गवर्नमेंट बीच में आयी, नैपाल की तरफ से कुछ रिप्रेजेन्टेशन हुआ होगा, उस पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने १,००० मेट्रिक टन शुगर का कोटा उस फैक्ट्री का बढ़ा दिया इस मकसद के लिये कि उस कोटे के अगेन्स्ट नैपाल का गन्ना खरीदे। तो १८ मार्च से उन्होंने गन्ना खरीदना शुरू किया। इसलिये छूट देने की बात नहीं है, बल्कि जो शुगर का कोटा सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है उसी के अगेन्स्ट इस वक्त गन्ना नैपाल से खरीद रहे हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—मन्त्री जी बतायेंगे कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जब यह छूट दी तो उसके विरोध में कोई पत्र-व्यवहार प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच में हुआ ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इसमें विरोध की जरूरत नहीं थी जब हमारे सामने आंकड़े मौजूद हैं कि हमारा गन्ना पूरा पेर लिया जायगा और नैपाल का भी पिर जायगा। इसलिये कोई विरोध की बात नहीं थी।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—इस बात को देखते हुए कि झंडानगर और बढ़नी में केवल कुछ गजों की दूरी है जहां गन्ने के दो भाव प्रचलित हैं। क्या सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा नैपाल सरकार से यह प्रार्थना करेगी कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि दोनों तरफ गन्ने का भाव एक सा रहे, क्योंकि एक सा न रहने के कारण किसानों को हानि होती है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—नैपाल सरकार से हमें प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है, गन्ने का जो भी निर्ख रहे उनके यहां यह उनकी बात है। हमारे यहां जो गन्ने का निर्ख रहे उसमें किसान को कोई दिक्कत और परेशानी न हो यह हमारे देखने की बात है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या यह सही है कि यह समस्या उत्तर प्रदेश में इसलिये उत्पन्न हुई कि इस मिल ने नेपाल से २ लाख मन गन्ना अधिक लेने का निश्चय किया जब कि पहले लेना तै नहीं था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—यह बिलकुल वाकयात के खिलाफ है। जैसा कि मैंने अर्ज किया वाकया यह है कि गन्ना नेपाल से नहीं खरीदा जा रहा था मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मिल को १ हजार मीटरिक टन अधिक शुगर बनाने की इजाजत दे दी। इस वजह से वह मिल २.८१ लाख मन गन्ना खरीदने को मजबूर हुई, लेकिन जो वह खरीद पायेगी वह है २.१० लाख मन।

श्री नर्रासिहनारायण—क्या सरकार बतलायेगी कि १८ मार्च को जब तौल शारदा नगर में शुरू हुई तो उस दिन कितने डिब्बे आये थे और गन्ने को ले जाने के लिये इस वक्त कितने डिब्बे वहां जा रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इस वक्त तो सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—नेपाल राज्य से यह मिल गन्ना किस भाव पर ले रही है और अपने यहां से किस भाव पर ले रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—मैं बतला चुका हूं कि वहां सवा रुपये के भाव के हिसाब से ले रही है और हमारे यहां डेढ़ रुपया है ।

श्री चन्द्रजीत—नेपाल का गन्ना अधिक सस्ता मिल रहा है सवा रुपये मन पर और हमारे यहां का १ रुपये १० आने मन पर, इसलिये यह मिल नेपाल के गन्ने को प्राथमिकता दे रही है, जिससे यह कठिनाई उत्पन्न हो गई, क्योंकि सस्ता गन्ना वहां से उपलब्ध होता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—ऐसी बात नहीं है । यह बात होती तो पहले से खरीद शुरु हो गई होती, जब कि खरीदना १८ मार्च से शुरू किया है ।

१९६२-६३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद जारी होगा ।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया । इस वर्ष का बजट एक घाटे का बजट है । लगभग १३ करोड़ ३५ लाख रुपये की घाटे की रकम नये करों द्वारा इकट्ठी की जायगी, यह माननीय मन्त्री जी के भाषण में संकेत मिला है । यह भी माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रगति, विकास और निर्माण कार्य के लिये जनता को आवश्यक त्याग और बलिदान करना चाहिये और यह रकम तृतीय पंचवर्षीय योजना के निमित्त खर्च की जायगी । तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारी आर्थिक प्रगति के नाम पर एक तीसरा कदम है और इससे पहले हमारी पहली और दूसरी दो योजनायें हो चुकी हैं । इसलिये हमें अपने पहले नियोज़न के प्रति इस बात को देखना होगा कि हमने जिस प्रकार की अर्थ व्यवस्था की है उससे हमें सफलता प्राप्त हुई है, हमारे नियोजन का रुख ठीक है और हम जिस प्रकार की अर्थ व्यवस्था अपने प्रदेश में लाना चाहते हैं वह उससे सम्बद्ध है अथवा नहीं । विकास, प्रगति और नव निर्माण, ये बड़े आकर्षक शब्द हैं, परन्तु हमें यह भी देखना होगा कि विकास के स्थान पर विनाश तो नहीं हो रहा है । हमें यह भी देखना होगा कि प्रगति के स्थान पर अवनति तो नहीं हो रही है । हमारा इस ओर भी ध्यान जाना चाहिये कि नव निर्माण के स्थान पर हम विध्वंस तो नहीं कर रहे हैं । और इन सब के सम्बन्ध में हमें निष्पक्ष हो कर अपनी राय कायम करनी होगी । पिछले १४ या १० वर्षों का इतिहास अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा आर्थिक कार्य-क्रम एक गलत दिशा की ओर चल रहा है । इन सालों में हमने अपने स्वतन्त्र विचार से देश की स्थिति और विशेषताओं पर ध्यान देकर अपनी अर्थ व्यवस्था का निर्माण नहीं किया है । पिछले दस वर्षों का जो हमारा इतिहास है वह एक आत्मविस्मरण और दूसरे लोगों का परानुकरण करने का इतिहास है । हमने अपने देश की परिस्थिति न देख कर एक ऐसे बाद से अपने को बांध दिया है कि हम स्वतन्त्र विचार नहीं रख सकते । इसलिये जो भी प्रश्न हम सामने रखते हैं उसके जबाब में केवल

---

†१९ अप्रैल, १९६२ की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक ही बात हमारे सामने आती है कि हम समाजवादी ढांचे की ओर धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि हमने जो विदेशी परिपाटी अपनाई है, जो हमने समाजवादी ढांचा बनाने का निश्चय किया है वह हमारी परिस्थितियों में अनुकूल है या नहीं। यह भी सत्य है कि जितना भी काम हम आज कर रहे हैं उसमें हमारी स्वयं की प्रतिभा दिखायी नहीं पड़ती है।

भाषा के प्रश्न में भी आज हम हिन्दी को जिस स्थान पर लाना चाहते हैं नहीं ला सके हैं। हमारे वित्त मन्त्री जी ने यह कहा है कि सन् १९६७ में हम सारा काम हिन्दी में करेंगे। हिन्दी भाषी प्रदेश होने पर भी अभी हिन्दी को वह स्थान नहीं दिला सके जो उसे देना चाहिये। यह केवल इसलिये है कि दूसरे लोगों को अंग्रेजी बोलते देख कर नकल करने की भावना अभी हमारी बनी हुई है। दूसरे, हमारी शासन पद्धति या जो और व्यवस्थायें हैं वे इंग्लैंड या अमरीका से नकल कर के बनी हैं। आर्थिक व्यवस्था में भी हम अपने आप अपनी समस्याओं का समाधान न सोच कर एक विदेशी अर्थ व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। इन सब बातों से हमें लाभ नहीं हुआ है। यहां तक कि हम अपने देश में बांट और जो अन्य कार्य हैं वे सब नकल के अनुसार ही कर रहे हैं। सवाल यह है कि हम अपना विचार अपने आप न करके, परानुकरण करके स्वयं अपनी प्रतिभा को नष्ट कर रहे हैं। इसीलिये पिछले दिनों डाक्टर जेड० ए० अहमद ने कहा था कि इस प्रान्त में क्राइसिस आफ रिर्सोसेज है और माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा था कि यहां क्राइसिस आफ फेथ है, लेकिन में कहना चाहता हूं कि सब से बड़ी क्राइसिस आफ थाट है। हम अपनी समस्याओं को सोच नहीं सकते और जो हमने योजनायें बनाई हैं उनसे मालूम होता है कि हम दसरे देशों के सामने कटोरा लेकर बेंगिग के नाम पर बनायी हैं।

आप देखें कि हमारी आर्थिक योजना में क्या कमी है। हमारे सामने मुख्य समस्या एक तो बेकारी की है। दूसरे खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। तीसरे आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है। हम जितना जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते थे उतना अभी नहीं कर सके हैं और अपने प्रदेश से गरीबी का कलंक मिटा नहीं सके हैं। क्या ये समस्यायें हमारी पिछली दो योजनाओं से पूरी हुई हैं इस पर हमें विचार करना चाहिये। खाद्यान्न के मामले में हम अभी आत्मनिर्भर नहीं हैं। हमारी दो योजनाओं के समाप्त होने के बाद भी आज बेकारी बढ़ी है। इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि हमारे यहां जो योजनायें बन रही हैं उनसे हम काम लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। जहां एक तरफ हमारा उत्पादन बढ़ा अवश्य है वहां हमारे उत्पादन के हाथ नहीं बढ़े हैं, जहां हम मास प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं वहां हम प्रोडक्शन बाई मासेज करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। इस लिये हमारे यहां बेकारी बढ़ रही है। जहां तक जीवन स्तर का सवाल है, आपने देखा होगा कि हमारी पर कैपिटा आमदनी बढ़ी नहीं है, बल्कि देहातों में उल्टे घटी है और जहां तक लोगों की आमदनी में अन्तर का सवाल है वह और भी बढ़ा है।

इसके साथ ही साथ प्रश्न है सुरक्षा और शिक्षा का, इसमें भी हम आगे नहीं बढ़ सके हैं। इसके अतिरिक्त चीन के अतिक्रमण के बारे में हमने सुना ही है। इसलिये हमें यह कहना पड़ता है कि पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं की असफलता से लाभ न उठाकर हम उसी ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिये आज हम एक भयंकर परिस्थिति में पड़ रहे हैं,। माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि हमारे सामने जटिल समस्या पैदा हो गई है। हम इससे निकलना चाहते हैं और त्याग भी करना चाहते हैं, लेकिन चीज को बदलना नहीं चाहते हैं, इसलिये हम इस जटिल समस्या से बाहर नहीं निकल सकते हैं।

पिछले दिनों कहा गया कि इन योजनाओं के बारे में विरोधी दलों की ओर से कोई सुझाव नहीं आते हैं। सबसे पहले मेरा कहना यह है कि हमारी जो योजनायें हैं उनमें खराबी यह है कि हम देश की आवश्यकता और स्थिति को नहीं समझते हैं। हमारे यहां विशाल जनसमह है इसलिये हर एक को काम चाहिये और जब हम प्रत्येक व्यक्ति को काम देंगे तो

[श्री शारदाभक्तसिंह]

हम अपने यहां से बेकारी दूर कर सकते हैं और हमारी वितरण की समस्या भी हल हो सकती है। इसलिये जो भी हमारी योजना हो वह श्रम प्रधान होनी चाहिये और हर एक आदमी को काम देना चाहिये।

इसके साथ ही साथ समाजवादी और पूंजीवादी ढांचे से जो केन्द्रीय अर्थ व्यवस्था के हामी हैं उनसे अलग करके विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था करके नीचे से ऊपर को काम प्रारम्भ करना चाहिये। आज हमने अपने देश में प्रजातन्त्र को अपनाया है, इसलिये हमें लोकतन्त्र की जड़ों को मजबूत करना है। इसलिये जहां राजनीतिक शक्ति को जनता में विकेन्द्रित करने से प्रजातन्त्र बढ़ता है उसी तरह से हमें लोकतन्त्र की अर्थ--व्यवस्था में नीचे से चलना चाहिये। जहां हम पंचायतों और गांव सभाओं द्वारा लोकतन्त्र को ऊपर उठाते हैं वहां अर्थ व्यवस्था में काटेज इंडस्ट्री और छोटे छोटे उद्योगों से हमारी अर्थ व्यवस्था ऊपर उठनी चाहिये ताकि हमारे यहां लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत हों।

दूसरा पहलू यह है कि हमें छोटे--छोटे उद्योग धन्धे और काटेज इंडस्ट्रीज को लेकर आगे चलना है। अगर हम बड़ी--बड़ी मशीनों को लेकर, जो पश्चिम से आ रही हैं उनको लेकर आगे बढ़ते हैं तो बेकारी बढ़ायेंगे। छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को पनपाने से हम गांवों से बेकारी को समाप्त करेंगे।

इसके अलावा जहां तक खेती का प्रश्न है सहकारी खेती की ओर इंगित किया गया है। इसके लिये हमें सोचना होगा कि अगर हम सहकारी खेती करते हैं और बड़े--बड़े यन्त्रों द्वारा खेती करते हैं तो हम बेकारी बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास हल और बैलों की पूंजी है और हमारी क्रेडिट साधारण लोगों का रुपया पैसा है। अगर हम ट्रैक्टर के द्वारा खेती करते हैं तो हमारे हल बैल की पूंजी समाप्त होती है। हमारे पास श्रम स्किल्ड नहीं है और वह ट्रैक्टर नहीं चला सकता है और न आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग ही कर सकता है। इसके साथ ही साथ जो हमारा क्रेडिट है वह भी नष्ट होता है। इसलिये आज की स्थिति में सहकारी खेती लाना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य का समय समाप्त।

†**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट को सिद्धान्त की दृष्टि से कोई नाम नहीं दिया जा सकता। जितनी कमियां इस बजट में हैं उसके दो स्वरूप हैं, जो हमें भयभीत करते हैं। एक स्वरूप इसका यह है कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का मतभेद तीव्रतर होता जा रहा है यह बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। हमारे सामने केरल और भारत सरकार का सम्बन्ध बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात, जो भय पैदा करती है वह यह है कि जितनी ही अधिक पंचवर्षीय योजनायें कार्यरूप में परिणत होंगी उतनी ही अधिक हमारे देश के नौजवान बेकार होंगे। इस वर्ष इस बजट के साथ ६ लाख नौजवान श्रमिक बेकारी की फौज में अपना नाम लिखायेंगे। बजट पर विचार करते समय, यह दोनों स्वरूप हमको भयभीत किये बिना नहीं छोड़ते।

श्रीमन्, यह भी है इसके साथ-साथ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के आखीर तक ४० लाख से कुछ अधिक व्यक्ति हमारे सामने काम देने के लिये होंगे। उनमें से हम किसी तरह से ९ लाख आदमियों को काम दे पायेंगे। ३१ लाख व्यक्ति तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम फेज में बगैर रोजगार के रहेंगे। कहा यह गया है कि अगर पांच अरब पूंजी होती जिसको इकट्ठा कर लेना नामुमकिन नहीं है, तो ३१ लाख की बेकारों की फौज इस प्रदेश में न होती। श्रीमन, मैं सरकारी बातों को एक किनारे रखता हूं। मैं यह कहता हूं कि इस पांच अरब की पूंजी को छुटाने के लिये चाहे इस सरकार की केन्द्रीय सरकार के साथ कुछ

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थोड़ी सी बदमजगी भी होती, और प्रदेश में उस रुपये की उगाही के लिये कुछ थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ती, तो मैं समझता हूं कि यह सदन उसका स्वागत करता। लेकिन जो कुछ भी हम सख्ती करने जा रहे हैं, या भयभीत कर रहे हैं लोगों को टैक्सेशन के डर से वह केवल इसलिये कि हमको कुछ रुटीन कामों में जरूरत है। तो श्रीमन्, इस बजट को क्या कहा जाय। माननीय मुख्य मन्त्री जी मुझे क्षमा करेंगे अगर मैं इस बजट को सिद्धान्तहीन बजट कहूं। क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी से यही आशा की जा सकती है, उनकी उन सेवाओं से, उनके जीवन के उद्देश्यों से, कि जैसे जैसे वह बूढ़े होते जायेंगे, जैसे जैसे इस मुल्क में स्वराज्य मजबूत होता जायगा, वैसे वैसे बेरोजगारी की फौज अधिक बढ़ती चली जायगी, विषमता अधिक बढ़ती रहेगी, गरीबी और बढ़ेगी, अमीरी और बढ़ेगी ? यह बहुत अफसोसनाक बात है।

पांच अरब की जरूरत आपको मालूम होती है। मैं यह कहता हूं कि आपको टैक्सेशन में, एक्साइज ड्यूटी में हिस्सा मिलेगा, उसमें आपने केन्द्रीय सरकार से कहने में संकोच नहीं किया, लेकिन जिस वक्त रिसोर्सेज का बटवारा हो रहा था और प्लानिंग कमीशन के सामने यू० पी० को धन देने की बात चल रही थी, उस समय क्यों शरमा गये थे ? हमारा हिस्सा साढ़े १२ अरब रुपया होता था, अगर कोई सिद्धान्त है तो साढ़े १२ अरब उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिये। उसमें ५ अरब रुपया ले कर क्यों खामोश हो गये ? उस वक्त क्या इस सदन की बैठक नहीं हो सकती थी ? उस वक्त क्या इस सदन में इस बात को कहने से सरकार को कोई रोक सकता था ? सरकार उस वक्त भी इस बात को कह सकती थी, उत्तर प्रदेश की जनता से कह सकती थी, इस सदन से कह सकती थी कि ७५ अरब रुपयों में से छठवां हिस्सा उत्तर प्रदेश का होता है। उस छठवें हिस्से में साढ़े १२ अरब (कुछ कम बेस आने पाई में) हमको मिलना चाहिये था। तो श्रीमन्, ४९७ करोड़ या कुछ करोड़ और मिल गया हो, बाद को तो मैं जानता नहीं हूं, इतना लेकर ही साढ़े सात अरब पर तो हमने मुहर लगा दी और फिर यहां आकर प्रदेश के सामने हम यह कह रहे हैं, यह बात चाहे वहां से हमारे जेड० ए० अहमद साहब कहें या माननीय दुबे जी कहें, कि हमारे पास रिसोर्सेज का क्राइसिस है या विचारों का क्राइसिस है। मैं कहता हूं कि क्राइसिस मन का है। रिसोर्सेज की इस उत्तर प्रदेश में कमी नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश एक पार्ट ऐंड पार्सल है सारे भारतवर्ष का। अगर सारे भारत में रिसोर्सेज ७५ अरब रुपये के इकट्ठा हो सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के लिये क्यों केवल ५ अरब ? वह रुपया अगर मिल जाता तो हमारे इन नवजवानों की बेकारी बढ़ाने का मौका सरकार को नहीं मिलता और सरकार इस प्रदेश में वह काम कर गुजरती कि जिस काम को करने से इतिहास में उसका एक स्थान होता। सारे देश में एक पूजा करने की पात्र सरकार हो सकती थी ?

श्रीमन्, आखिर, कहां इस मुल्क को ले जाना है ? मैं इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले दोनों तरफ बैठने वालों से यह कहना चाहता हूं कि जरा दिल पर हाथ रख कर वह बतायें—इलेक्शन मैनिफैस्टो की चर्चा माननीय वित्त मन्त्री जी ने की है, एलेक्शन मैनिफेस्टो कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन पढ़े-लिखे नवजवान जो हैं उन्होंने यह जरूर कहा होगा कि हमारे लिये रोजी की कोई व्यवस्था कर सकोगे, कहीं रोजगार का इन्तजाम हमारे लिये करा सकोगे ? अब मैं नहीं जानता हूं कि कितने लाख लोगों से हम लोगों ने इधर के बैठने वालों ने भी और उधर के बैठने वालों ने भी वादा किया होगा। तो सबसे बड़ा इलेक्शन मैनिफैस्टो यह है। कहां से उनको रोजगार दीजियेगा ? यह एलेक्शन मैनिफैस्टो जो दरवाजे-दरवाजे हमने रखा है उसे पूरा करने का कौन सा इन्तजाम है ? कौन सी व्यवस्था है ? तो श्रीमन्, इससे डेमोक्रेसी से फेथ लोगों का उठ जायगा और ऐसा फैथ उठ जायगा कि जिसमें उसे किसी नीति, घोषणा को पढ़ने की फुर्सत नहीं होगी। कहां हम ले जा रहे हैं देश को ?

श्रीमन्, हमारा बजट डेफिसिट है। मैं दो चार बातें उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं और माननीय वित्त मन्त्री जी इस बात को ध्यान रखेंगे कि कुछ आदत है हमारी कि हम डेफिसिट बजट ले आये ? लेकिन वह सरप्लस हो जाय बीच में ही। हमारी समझ में बात नहीं आती कि कैसे वह सरप्लस हो जाता है। पिछले वर्ष कितने का बजट था ? हम पिछले वर्ष भी

[श्री गेंदासिंह]
यह सोच रहे थे कि हमारे रिसोर्सेज की कमी होगी, लेकिन हम सरप्लस हो गये और श्रीमन्, इतने सरप्लस हो गये, कि उस सरप्लस को छिपाने के लिये जो काम नहीं करने चाहिये थे वह काम भी हमने किये। ३१ मार्च को हमको शायद मालूम हुआ कि कई करोड़ रुपये हमारे सरप्लस हो रहे हैं। तो जहां नहीं भेजना चाहिये था रुपये को, वहां उस रुपये को जल्दी से जल्दी भेज करके हमने अपने बजट को कुछ कम सरप्लस दिखाने की कोशिश की। मैं इन बहुत पेचीदा मामलों में जाता नहीं। वह रुपया तो सरप्लस हुआ और जहां नहीं जाना चाहिये था वहां भेजा गया। मैं समझता हूं कि जो फाइनेंस के एक्सपर्ट लोग हैं वह इस बात को समझते होंगे और इस पर वह सोचेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिये।

श्रीमन्, एक बात बहुत गौर करने की है। जब हम केन्द्र की सरकार को यह कहते हैं कि हमारी बातों को नहीं सुनती, हमारी परवाह नहीं करती तो कम से कम इस बात की भी चिन्ता की जाय कि जो रुपया कर्जा लेकर या टैक्स से हम इकट्ठा करें या केन्द्रीय सरकार से ग्रांट की शक्ल में हमको मिले उसको तो खर्च कर लिया जाय। मेरे पास उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा एक अंकों की किताब हासिल है। उसमें यह बतलाया गया है कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के भीतर जितना द्रव्य हमको खर्च करना था उसका ६९ फीसदी हमने खर्च किया है। १०० रुपये में से हमने ६९ खर्च किया है। उसमें आप देखेंगे कि किस-किस मद में हमने कितना खर्च किया। हमने कृषि उत्पादन पर ६६ फीसदी खर्च किया। छोटे सिंचाई के साधनों पर ६४.४ फीसदी। भूमि विकास पर ५८·९ फीसदी। पशु-पालन पर ६१·३ फीसदी। मत्स्य पालन पर ५७·२ फीसदी। शिक्षा पर ६३.२ फीसदी। श्रम कल्याण पर ४१·४ फीसदी। समाज कल्याण पर ४२·८ फीसदी। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में जो रकम हमको खर्च करने के लिये मिली थी उसमें हमने इस तरह से खर्च किया। अब इस तरह से खर्च करने के बाद हम दुनियां में यह ढोल पीटना चाहते हैं कि हम खर्च तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास धन की कमी है।

उस धन की कमी के लिये जाना कहां चाहते हैं ? धन की कमी के लिये जाना चाहते हैं उस तबके के पास इस सूबे में जिस वर्ग को इन पंचवर्षीय योजनाओं में सब से कम मिला है। उसके पास हम भीख मांगने के लिये जायेंगे। हम निर्धन बिला जमीन वाले मजदूर के पास जायेंगे। हम, जो भूमि जोतने वाले हैं चाहे ५ बिस्वे के हों या ५ बीघे के हों उनके दरवाजे पर जायेंगे। मुझे यह मालूम है, माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की सफाई अपने भाषण में कर देंगे, कि इस देश के खेती करने वालों के ऊपर सरकार का मालगुजारी बढ़ाने का विचार है। कुछ ऐसा सोचा गया था कि शायद उन लोगों की मालगुजारी दुगुनी कर दी जाय। अब शायद ऐसा विचार है कि ड़ेढ़ गुनी कर दी जाय। अब भूमि की मालगुजारी की बाबत में इस वक्त उन आंकड़ों को पेश करके फिर माननीय मुख्य मंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी को परेशान करना नहीं चाहता हूं। वह स्वतः इस बात को जानते हैं कि सारे भारत की ग्रामीण आमदनी जो हमारी गिरी है वह इस प्रकार से गिरी है कि उसको उठाना ५ या १० वर्ष के भीतर सम्भव नहीं हो सकेगा। हम उनको उठाने के प्रयत्न में पीछे रहे, लेकिन फिर उनके पास जाकर हम यह कहें कि आज हमारा बजट १३ करोड़ ३५ लाख का डेफिसिट है तो उसके देनदार तुम हो और उस १३ करोड़ ३५ लाख की कमी को पूरा करने के लिये तुम्हारी चमड़ी उधेड़ी जायगी तो यह क्या न्याय की बात होगी ? इस भूमि की मालगुजारी पर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस समय खेती करने वालों की संख्या इस मुल्क में, इसमें कोई संदेह नहीं है, बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या में होने के नाते वे संगठित नहीं हैं और संगठित न होने के नाते उसके ऊपर जितनी ज्यादती होती है वह उस ज्यादती को बरदाश्त करता है और उसका स्वभाव ही इस तरह की ज्यादतियों को बरदाश्त करने का है। वह जल्दी से किसी के विरुद्ध खड़ा नहीं होता है। कांग्रेस नाम में उसकी बड़ी आस्था है। उस आस्था का दुरुपयोग मैं समझता हूं

नहीं करना चाहिये । आज इस बात को सोचना कि उसके ऊपर जो नंगा है भूखा है, जो कपड़े नहीं पहन सकता, जो ठिठुरकर अपनी जिन्दगी काटता है, जो भखा रहकर अपनी जिन्दगी काटता है, आज इस प्रकार से टैक्स का भार डालना और उस धन को लेकर उसका दुरुपयोग करना, अगर मैं उसको दुरुपयोग करना कहूं तो आप माफ करें, मैं समझता हूं यह पाप होगा । और यह भी सोचना चाहिये कि कहीं उसके सब्र का बांध न टूट जाय । सितार का तार इतना कस के न देखा जाय कि वह बजने लायक ही न रह जाय, वह टूट जाय । इस मुल्क के किसानों को उस सीमा तक नहीं ले जाना चाहिये और मैं समझता हूं कि उस तरफ बैठने वाले लोगों में इस तरह के समझदार लोग हैं जो ऐसी भूल नहीं करेंगे ।

श्रीमन्, आखिर उस पैसे से क्या करियेगा । इस समय डेफिसिट बजट आ गया और हम देखते हैं कि इसमें १३ करोड़ ३५ लाख की कमी है । मैं समझता हूं कि कैबिनट को पहले से अपना माइन्ड मेकअप करना चाहिये था कि हमें इस पैसे को किस से वसूल करना है । श्रीमन्, सर्वमान्य सिद्धांत है कि ऐसे बजटों से इंफलेशन बढ़ता है । मुद्रास्फीति इनका अनिवार्य परिणाम है । श्रीमन्, हम यह १३ करोड़ ३६ लाख की रकम कर लगा कर लें या न लें साल भर में, लेकिन इसके कारण मुद्रास्फीति होगी, कीमतें चढ़ेंगी और इस दुष्परिणाम को माननीय वित्त मंत्री जी बतायें कि कौन रोक सकेगा । बाजार में स्पेकुलेशन्स होते हैं और वह इन्हीं चीजों को लेकर होते हैं । तो दरिद्र लोगों की आवश्यकता की जो वस्तुयें हैं, जो खरीदार है गरीब तबके का उसे आप कोई मदद नहीं देते । उस पर बोझ बढ़ गया है । यह अनुचित बात है । बगैर किसी उसूल के,मार्ग दर्शन के हम इस तरह की बातें कर दिया करें और उसका दुष्परिणाम सारे प्रदेश को भोगना पड़े यह उचित नहीं है । सरकार के बस की बात नहीं है कि वह कीमतों का चढ़ना रोक सके । सरकार का इरादा नहीं था कि कीमतें चढ़ें, लेकिन वह चढ़ती जा रही हैं और वह चढ़ेगी । सरकार को अपने को इसके लिये निर्दोष नहीं समझना चाहिये । सरकार को बिना किसी सिद्धांत या मार्गदर्शन के इस तरह का डेफिसिट बजट नहीं लाना चाहिये ।

श्रीमन्, एक बात की ओर जब ध्यान जाता है तो बड़ी चिन्ता होती है । इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि आखिर यहां जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्च इतना अधिक क्यों है । अगर उसमें एफीशियेन्सी हो, अगर उसमें मुल्क का भला करने की ताकत हो तो वह खर्च जस्टीफाइड भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर उसका अनुपात लगाया जाय योजना के खर्च से तो वह बहुत अनुचित समझ में आयेगा । खर्च तो प्रशासन का टाप हैवी है और देश में सब से कम रुपया योजना के लिये मिलने पर भी वे यहां उसे खर्च कर सकने में कामयाब न हो सकें, यह उचित बात नहीं है । इसके अलावा ३१ मार्च, की बड़ी महत्ता है । पता नहीं कितने लाख रुपया इन प्रशासनिक अधिकारियों के नाम से इस दिन होगा जो खर्च में डाल दिया जाता है । इतनी बड़ी प्रशासन की जो मशीनरी, बनी हुई है उसे मैं निकम्मा कहने का साहस तो नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पाणिक्कर साहब ने भी बड़ी प्रसिद्धि की और जब स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन बैठा तो पाणिक्कर साहब ने बटवारे के नाम पर जो नोट आफ डीसेन्ट लिखा उसमें यह लिखा कि यह सूबा फिजूल खर्ची है इसको दो हिस्सों में बांटा जाय ताकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के खर्च में कमी आवे । आखिर जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की यह जिम्मेदारी है कि नहीं कि वह कृषि उत्पादन को बढ़ावे ?

मैं न्याय प्रशासन के संबंध में भी दो बात कहना चाहता हूं । मैंने कई सूबों के न्याय प्रशासन के खर्चों को देखा है और मैं खास तौर से बम्बई और मद्रास की तुलना उत्तर प्रदेश से करना चाहता हूं । क्या कारण है कि वहां पर न्याय जल्दी मिल जाता है । हमारे यहां ५/५, ८/८ और १०/१० वर्ष तक मुकदमे सड़ते रहते हैं और जब १० वर्ष लगेंगे तो

[श्री गेंदासिंह]

तब तक तो न्याय पाने वाला भी मर जायेगा । श्रीमन्, आप तो कानून से भी संबंध रखते हैं, आपको मालूम है और स्वतः इस बात का आपको ज्ञान है कि न्याय में कितनी देर लगती है । हमारे हाई कोर्ट में, दोनों बांचों में, उसकी दुर्दशा हो रही है । अगर बम्बई और मद्रास में यह हो सकता है कि वहां न्याय एक वर्ष में या दो वर्ष में मिल जाय तो क्या वह चीज यहां नहीं हो सकती । यहां के मंत्रि-मंडल में क्या वह एफिसिएन्शी नहीं है ? हमारे डाइरेक्ट प्रिन्सिपिल्स आफ स्टेट पालिसी में यह चीज स्पष्ट है कि १० वर्षों के भीतर न्याय और प्रशासन दोनों को, अलग हो जाना चाहिये । अब तक उसके न होने का क्या कारण है ? आखिर मद्रास और बम्बई उसको अलग कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश को क्या दिक्कत है सिवाय इसके कि जो मजा अंग्रेज उठाना चाहते थे न्याय और प्रशासन को एक साथ रखकर, हमारी जबान में भी वही खून लग गया है और उस के कारण हम उसे अलग नहीं करना चाहते । प्रजातंत्र को जिन्दा रखने के लिये यह जरूरी है कि हम उससे अपने को बरी रखें ।

एक बात की श्रीमन्, और इसमें बड़ी महत्ता है । हम हर साल बजट में देखते हैं कि मोटर गाड़ियों के लिये कर्जा दे रहे हैं । मैं कहता हूं कि आप इसे बन्द कर दीजिये कम से कम वे घोड़ों में जाकर गांव में देखें तो कि वहां क्या हो रहा है ? गांव के कागजों को अगर आप देखें तो वहां १०० में से ७० इन्ट्री गलत मिलेंगी । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को या दो तीन और व्यक्तियों को लेकर चलता हूं, मेरे साथ वे चल कर देखें वहां कागजों में ७० फीसदी इन्ट्री गलत मिलेगी । बाप की जगह बेटे का नाम है, बेटे की जगह किसी का नाम है, एक की जगह दूसरे का नाम है । यह कागजात का हाल है और अगर दूसरी तरह से आप न देख सकें तो जो चकबन्दी की कार्यवाही हो रही है उसमें जो रिकर्ड आपरेशंस का काम होता है उसके नतीजे को देखें तो उससे मालूम हो जायगा कि उसमें कितनी गलतियां हैं । क्या हम कलेक्टर, कमिश्नर और तहसीलदार को मोटरों पर बैठाकर मेंड़ों पर ले जा सकेंगे । अंग्रेजों के जमाने में कलेक्टर, कमिश्नर और डिप्टी जो रहते थे वे घोड़े पर चढ़कर मेंड़ों पर जाकर कागजात को देखते थे । अब क्या इस बात को देखा जायगा कि कौन कलेक्टर अब पड़ताल करता है, कौन कमिश्नर पड़ताल करता है श्रीमन्, अगर उनसे पूछ लिया जाय कि साल भर में कितने दिन घोड़े पर सवारी करते हो तो पता चल जायगा कि जो दुर्दशा आज है वह किस कारण है । यह हमारे जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की एफीशियेंसी है और उसी के बूते पर हम काश्तकारों की चमड़ी उधेड़ कर मालगुजारी में पैसा बढ़ाना चाहते हैं ।

श्रीमन्, हमने बातें बहुत कीं, दुहाई बहुत दी, सिद्धान्त हमने बहुत प्रतिपादित किये कि हम विषमता को कम करेंगे और गरीबों के पास पैसा पहुंचायेंगे और जो लेस प्रिविलेज्ड हैं उनको कुछ सहायता देंगे इस पंचवर्षीय योजना में लेकिन मैं फिर विवश हूं कि कुछ आंकड़ों में जाऊं । हमारे जो उद्योग धंधे हैं उनके बारे में कुछ आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं । हम समझते हैं कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया बहुत ही विश्वस्त संस्था इस देश की है और अगर हम उसके आंकड़ों से इंकार करेंगे तो फिर हमारे लिये कोई आधार नहीं रह जायगा । मैं कुछ आंकड़े उसके दे रहा हूं । यद्यपि यह जरूर है कि ये सारे आंकड़े अखिल भारतीय हैं और हो सकता है कि कुछ उत्तर प्रदेश में थोड़ा फर्क पड़े लेकिन मैं सारे देश को देकर उत्तर प्रदेश को उसकी रोशनी में आपके सामने रखना चाहता हूं । अगस्त, सन् १९६१ का रिजर्व बैंक आफ इंडिया का बुलेटिन हमारे सामने है । इस प्रदेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो शुगर है उसके मुनाफे के बारे में उसमें लिखा है कि सन् १९५५ में २ करोड़ ८८ लाख रुपया हुआ और सन् १९५९ में वह मुनाफा ५ करोड़ ४१ लाख हो गया । यह उस वक्त है जब हम अपने को सोशलिस्ट कहते हैं और समाजवादी समाज बनाने की चेष्टा में रत हैं । उसी तरह से जूट, उसी तरह से सिल्क, वूलेन इन सब में थोड़ा फर्क नहीं है कहीं दुगुना और कहीं उससे भी ज्यादा । तो फिर मैं उसी डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स आफ स्टेट

पालिसी की ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसमें कंसेंट्रेशन आफ वेल्थ को रोकने की चेष्टा की गयी है । हमारी एकोनामिक पालिसी उसके आधार पर ऐसी होनी चाहिये कि जिसमें विषमता नहीं बढ़ेगी । लेकिन यह हो क्या रहा है ?

आखिरी बात कह करके मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इस तरफ बहुत सोचने की आवश्यकता है । ग्राम पंचायतों की ओर बहुत जोर है । मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि जरा सौराष्ट्र, बम्बई और राज्यस्थान से पूछें कि क्या यह बात सही नहीं है कि वहां जो जमीन की मालगुजारी है उसका ३३,१/३ प्रतिशत गांव पंचायतों को जाता है । बम्बई में ३० प्रतिशत गांव पंचायतों को वह अपनी मालगुजारी से देते हैं । सौराष्ट्र और और प्रदेशों की भी मैं चर्चा करता हूं । अगर मुख्य मंत्री जी इसको पसन्द करेंगे तो मैं उसको उनके पास भेज देता हूं । यह बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने इसकी चर्चा की है । श्रीमन्, तो हमारी ग्राम पंचायतों की यह दुर्दशा, हमारे खेतिहर मजदूरों की यह दुर्दशा, हमारे श्रमिकों की यह दुर्दशा, हमारे खेती करने वालों की यह दुर्दशा और मेहनत करने वालों की यह दुर्दशा है । अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस सूबे से बेरोजगारी दूर करने के लिये आज सरकार कोई योजना बनाये और जैसी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ५ अरब रुपये की व्यवस्था करने की चर्चा है, इस तरफ के बैठने वाले सदस्यों की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम कन्धे से कन्धा लगायेंगे हम तकलीफ उठाने के लिये तैयार होंगे, अपने पेटों पर पट्टी बांधने को तैयार होंगे लेकिन मारे मारे फिरने वाले शिक्षित नवयुवकों को रोजगार दिलाने की आप व्यवस्था करें । इसके लिये आप हमसे जो कोआपरेशन मांगते हैं उसके लिये हम तैयार हैं । आप पांच अरब रुपये की व्यवस्था कीजिये और उनको रोजगार देने की व्यवस्था कीजिये ।

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गेंदासिंह जी ने अभी कहा कि हमारा यह बजट सिद्धान्तहीन बजट है । आय-व्ययक साधारणतया किसी सिद्धान्त पर आधारित होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं । आजकल प्लानिंग के जमाने में जिस प्रकार से एक गणतन्त्र राज्य के अन्तर्गत बजट एक तरह से बना-बनाया होता है उस हद तक जहां तक कि प्लानिंग का संबंध है और उसके अनुसार कुछ पूर्व निर्धारित सिद्धान्त या परम्परायें होती हैं, उनके आधार पर ही बजट बनता है । अगर साधारणतः निश्चित परम्पराओं के सिधान्तानुसार जो बजट बनता है और उसके विपरीत होने के कारण इसे सिद्धान्तहीन कहना उनका तात्पर्य है तो ठीक ही है इसलिये मैं समझता हूं कि अगर वह इस बजट के लिये सिद्धान्तहीन शब्द का प्रयोग न करके कोई और शब्द "रुटीन" वगैरह प्रयोग किये होते तो वह ज्यादा उपयुक्त होता । इस बजट को समाजवादी कहा जाय या न कहा जाय, यह प्रश्न भी इस सदन के समक्ष कई माननीय सदस्यों ने उठाया । माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने कहा कि समाजवादी बजट वह होता है जिसमें जनता पर कर न लगाये जाते हैं बल्कि सरकार के पास इतने साधन होते हैं जिनसे सरकार का कार्य चल जाता है । अगर यह कहा जाय कि जब सारे साधन पूरे हो जायेंगे सरकार के, टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं रह जायगी तभी समाजवादी बजट होगा तो मेरी समझ में यह नहीं आया कि रूस में कम्युनिज्म पहले क्यों नहीं आ गया, बीच की सोशलिस्ट स्टेज क्यों रही । तो यह एक ट्रान्जीशनल पीरियड है जिसमें हम समाजवादी व्यवस्था की ओर चल रहे हैं । उसके लिये यही मार्ग है । इसमें यह देखना चाहिये कि जो हमारा लक्ष्य है उसकी ओर हमारा कदम बढ़ रहा है या नहीं । जहांतक इस चीज का संबंध है कि अनेक चीजों का नेशनलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) हो, हमारे विरोधी दलों में जो बहुमत में दल है, जिस पार्टी के लीडर आफ आपोजीशन हैं, वह तो इस चीज के विरुद्ध हैं, वह किसी चीज का नेशनलाइजेशन नहीं चाहती है, लेकिन हमारे जो माननीय सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी और रिपाब्लिकन पार्टी के हैं वह चाहते हैं कि नेशनलाइजेशन हो । तो विरोधी दल भी एकमत नहीं हैं और न सरकार ही अभी यह दावा करती है कि हमने पूरी तरह से सोशलिस्टिक ढांचा

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

अपना लिया है जिसमें अभी हमारी एकोनामी मिक्स्ड है जिसमें पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। दोनों चीजें चलती हैं। तो मैं समझता हूं कि यह जो आपने कहा कि हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं, मेरे खयाल से यथार्थ नहीं है। यदि आप ठंडे दिल से विचार करें तो अवश्य ही विरोधीदल के सदस्यों को यह चीज स्पष्ट हो जायगी कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं।

मैं इस वादविवाद में इसलिये अवश्य ही हिस्सा लेना चाहता था कि क्यों हमारे लायक दोस्त श्री जेड० ए० अहमद साहब ने प्रदेश का एक बहुत गलत चित्र चित्रण किया था। जिससे एक बड़ी गलतफहमी प्रदेश के बारे में लोगों को हो सकती है और उसका कुप्रभाव हमारी आर्थिक नीति पर पड़ सकता है। उन्होंने हमारे कर्जे की हालत को बड़ा खराब बताया और यह कहा कि वह गत कुछ वर्षों के अन्दर २३ लाख से बढ़ कर २५ करोड़ के लगभग हो गया है। मेरी यह बात समझ में नहीं आयी क्योंकि हमारा इस समय व्यय का बहुत बड़ा भारी हिस्सा केपीटल एक्सपेंडीचर में हो रहा है। बांध बांधे जा रहे हैं, नहरें बनायी जा रही हैं। इसी प्रकार से कर्जे के पैसे को सारी प्रोडक्टिव चीजों में लगाया जा रहा है जिनसे न केवल हम इंटरेस्ट ही पे करेंगे बल्कि धीरे-धीरे सारा कर्जा अदा करके बाद में लाभ उठायेंगे।

उदाहरण के लिये मैं कहूंगा, यद्यपि इसका उससे कोई संबंध नहीं है, कि पिछले ३–४ वर्षों में हमने २३ से ४० करोड़ रुपये भिन्न-भिन्न वर्षों में अन्न की खरीद में लगाये हैं, रोडवेज भी हमारी चल रही हैं। उस पर भी निरन्तर हमारा केपीटल एक्सपेंडीचर बढ़ता चला जा रहा है। इस लिये मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह कर्जा दिवालियापन लाने वाला है और उससे हमारी आर्थिक नीति कमजोर होती जा रही है अपितु दृढ़तर हो रही है अतः आपको (श्री जेड० ए० अहमद) यह बात कि हमारे कर्जे की हालत खराब है जनता को भ्रम में डाल सकती है। चाहे वह व्यापारी हो, अथवा कोई सरकार हो, अगर उसकी साख बिगड़ जाती है तो वह उसके लिये घातक होती है। यद्यपि विरोधीदल का यह कर्त्तव्य है कि वह सरकार को समय-समय पर चेतावनी देता रहे लेकिन उसे इस प्रकार की कोई बात नहीं कहनी चाहिये जिसका हमारी अर्थनीति पर कुप्रभाव पड़े। इस बारे में संयम के साथ कहने की आवश्यकता है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि यह पेरेसाइट बजट है और यह कि हम भिखमंगे की तरह से गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास जाते हैं। हमारी एक फेडरल स्टेट है। हमारे सेंटर को रेजुडियरी पावर्स हैं। जब वे सभी महत्वपूर्ण टैक्स हमारे प्रदेश से वसूल करते हैं तो हमारा यह हक है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने अपनी मांग रखें। इसमें भीख मांगने की कोई बात नहीं है बल्कि अपने राइट्स को क्लेम करने की बात है। इसलिये उनका यह कहना भी गलत है।

उन्होंने यह भी कहा कि पहले हमें मुस्तहक बनना चाहिये, पैसा ठीक प्रकार से खर्च करके। उन्होंने कहा कि थर्ड फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उत्तर प्रदेश के साथ कोई ज्यादती नहीं की जा रही है। मैं उदाहरण के लिये कहता हूं। ३–४ साल पहले की बात है जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस वक्त हमने अपने प्रदेश में ९३ हजार किलोवाट बिजली अधिक पैदा की थी तो भी पर केपिटा कन्जम्पशन केवल ६.९० यूनिट पहुंच पाया अब फारेन एक्सचेंज के बारे में जो एलोकेशन भारत सरकार से हमें हुआ ०.१ प्रतिशत था। जब कि आंध्र को दिया ४ परसेंट, बम्बई को २९.६ परसेंट, बंगाल को १३ परसेंट, मद्रास को २६ परसेंट, मध्य प्रदेश को १८ परसेंट और पंजाब को १८ परसेंट। बावजूद इसके कि हमने भी अपने यहां ९३ हजार किलोवाट बिजली बढ़ायी। हमें सबसे कम एलोकेशन हुआ। यही कारण बिजली के उत्पादन एवं खर्च में पिछड़ी रहने का हमारा प्रदेश के लिये है।

एक बात मैं और बतला दूं कि जब एलोकेशन की बात हुई सेकेंड फाईव इयर्स प्लान में और जब इसके लिये पापुलेशन बेसिस पर जोर दिया गया तो उन्होंने औरों के लिये रुपया देना तो दूर रहा, चुर्क सीमेंट फैक्टरी के लिये भी फारेन एक्सचेंज देने में टाल मटोल की तथा काफी दिक्कत रही । हमने डेफर्ड पेमेंट के लिये भी कहा लेकिन उस पर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कोई गौर नहीं किया । यह तो सन् ५८ तक की बात मैं कहता हूं । माननीय गेंदा-सिंह जी कहते हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया जो रुपया देती है उसको भी हम खर्च नहीं कर पाते । थोड़ी देर के लिये मान लें कि किसी चीज के लिये रुकावट पड़ती है जैसे आजकल कोयले के लिये वैगन्स का अभाव है, और डेवलपमेंट का कितना भी प्लान हो, उसमें सामान न मिलने के कारण पैसा खर्च न हो पावे तो डेफिसिट बजट सरप्लस स्वतः ही हो जायगा ।

(इस समय १ बजकर ३२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर पीठासीन हुए ।)

एक माननीय सदस्य ने कहा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया हमारे साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं करती है । ठीक है, इतनी सारी बातें देखने के बाद भी आप ऐसा समझते हैं तो ठीक ही है लेकिन इसके साथ-साथ यह भी देखना पड़ेगा जो गेंदासिंह जी कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो हमारा झगड़ा है वह अच्छा नहीं है । यह झगड़े का सवाल नहीं है, गवर्नमेंट आफ इंडिया के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है बल्कि यह तो हमारा हक है और अपने हक को मांगने का हमें अधिकार है । अगर बच्चा रो-रो कर चिल्ला चिल्ला कर अपनी मां से दूध मांगता है तो इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है यह तो उसका हक है । आप भी इसके लिये कोशिश कीजिये, चिल्लाइये और हमारी मदद कीजिये ।

दूसरी बात यह है कि एक चिल्लाहट तो यह है कि नेशनलाइजेशन किसी चीज का न किया जाय और दूसरी चिल्लाहट यह है कि हर चीज का नेशनलाइजेशन हो, सब रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हों । विरोधी दलों के ऐसे झगड़े में हमारी सरकार ने एक बीच का रास्ता ठीक ही अपनाया है, इसलिये कि हम मिक्स्ड इकोनामी में विश्वास करते हैं । अच्छा यह है कि सब आपोजीशन वाले एकमत हो जायं । आखिर हम किसकी बात को मानें । हमारा जो उद्देश्य है उसे पूरा करने के लिये हम तैयार हैं और इसीलिये बीच का रास्ता अपनाया गया है ।

जहां तक गैप की बात है अगर आप देखें तो वह भी हमारे यहां सबसे ज्यादा है। फाईव ईयर्स प्लान में जो रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया गया वह हमारे यहां बहुत कम मिला । हमारे यहां ५७ है जब कि आसाम को ७१, बिहार को ६०, मध्य प्रदेश को ५९, उड़ीसा को ७३ और पंजाब को ७२ । अगर आप फीगर्स देखें तो सारी बातें साफ हो जायेंगी ।

जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों में प्रति व्यक्ति खर्च स्वीकृति का प्रश्न था हमारे रिसोर्सेज तथा प्लान के साइज के अनुसार जो गैप पड़ता है वह ५७ प्रतिशत है जब कि अन्य कुछ प्रदेशों में इससे कहीं अधिक है जैसे आसाम ७१ प्रतिशत, बिहार ६० प्रतिशत, मध्य प्रदेश ५९ प्रतिशत, उड़ीसा ७३ प्रतिशत और पंजाब ७२ प्रतिशत फिर भी उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति ४० रु० के हिसाब से स्वीकृत हुआ जब कि पंजाब में १०२, मध्य प्रदेश में ५७, बम्बई में ७४, बिहार में ४७, आन्ध्र में ५७ और आसाम में ६४ दिया गया । इसलिये जेड० ए० अहमद साहब का जो कहना था कि हम पहले मुस्तहिक बने तो हमने तो अपने को मुस्तहिक साबित कर दिया।

वह (जेड० ए० अहमद) कहते हैं कि काटेज इंडस्ट्री, मिडिल साइज इंडस्ट्रीज और बड़ी इंडस्ट्रीज के लिये कुछ नहीं किया गया । आप काटेज इंडस्ट्री को ही ले लें उसमें हमने कितनी तरक्की की है । हम कार्पेट्स का ही कितना वैल्यू का एक्सपोर्ट करने लगे हैं । भदोही में सन्, ५२ में १३१ लाख के करीब के कालीन बने और सन् ५६–५७ में वही बढ़कर २१६ लाख के करीब का हो गये । इसी तरह से बनारस की साड़ियों की बात है । उसमें भी हमने बहुत तरक्की की है । सन् ५२ में ७०.५१ लाख का सामान बनकर गया और सन् ५६–५७ में उसकी

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

संख्या ७८.०० लाख के करीब हो गई। फिर भी यह कहा जाय कि काटेज इंडस्ट्री की कोई तरक्की नहीं हुई कहां तक मुनासिब है। कहते हैं कि पंजाब में यह हो रहा है और यहां कुछ नहीं हो रहा है। हमने अपने यहां फाइनेन्सेज की सुविधाओं के लिये फाइनेंस कार्पोरेशन बनाया और मार्केटिंग का इंतजाम किया। इंडस्ट्रीयल कार्पोरेशन कायम किया, डिपार्टमेन्ट आफ एग्रीकल्चर स्थापित किया, पहाड़ पर हिल वूल स्कीम चलाई, खादी और अम्बर खादी का प्रबन्ध किया गया। यह सब कुछ होने के बाद भी यदि कुछ नहीं हुआ तो उनका मतलब क्या है और क्या वे चाहते हैं।

बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज के बारे में कहा गया कि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरा कहना है कि इस दिशा में तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही प्रयास हो चुका था, अल्मूनियम फैक्टरी, रासायनिक खाद का कारखाना, चुर्क फैक्टरी, केमिकल्स की फैक्टरी, कास्टिक एसिड का कारखाना, प्लास्टिक के सामान का काम यह सारी चीजें पिछली योजना में ही बन कर तैयार हो चुकी थीं जिनके लिये रा-मेटीरियल पहले से ही मौजूद था। वह कहते हैं कि हम गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के पास मांगने जाते हैं, हमने कुछ किया ही नहीं लेकिन यह सब चीजें कैसे बन गई। हमें अफसोस मालूम होता है कि इतने काम हुए किन्तु विरोधी दल को कुछ दिखाई ही नहीं देता। वह सोते रहे, उन्होंने देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है। जब आप इस प्रदेश वाले ही नहीं देखते तो गवर्नमेंट आफ इंडिया का क्या कहा जाय।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—आप को ही नहीं दिखाई देता।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जौनपुर से महुवाडीह और रिहन्द करीब है, आप जाकर देख आयें क्या हुआ है, जानबूझ कर आंख न बन्द करें, इस तरह से तोता चश्मी ठीक नहीं होती। जैसा मैंने बताया कि काटेज इंडस्ट्रीज और हैवी इन्डस्ट्रीज दोनों ने यहां तरक्की की है। पर यह अवश्य है कि हमारा अभी कार्य पूरा नहीं हो पाया।

इसके अलावा जेड० ए० अहमद साहब का कहना है कि यह मुफ्तखोरों का बजट है, उन्होंने अखबारों में जो उसके लिये पैरासाइट बजट छापा था तो पैरासाइट का अनुवाद मुफ्तखोरों का बजट कर दिया मैं आप से पूछता हूं कि इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या कोई मान सकता है कि यह पैरासाइट बजट है। मैंने एक आर्टिकिल लिखा था 'यू० पी प्लेस आन दि इंडस्ट्रियल मैप आफ इंडिया। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में लिखा था जो अमृतबाजार पत्रिका में छपा था....

श्री अधिष्ठाता—आप किसी से बातचीत न करें, वह आप को बहका देंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे यहां के बड़े-बड़े लीडर और लीडर आफ आपोजीशन ऐसे हैं कि उन्हें यह भी नहीं मालूम कि कौन फैक्टरी और इन्डस्ट्री यहां चल रही है या नहीं चल रही है। केन्द्रीय सरकार की सिन्थेटिक रबर फैक्टरी बरेली में चल रही है। आर्टिफिशियल रेयन का कारखाना है, रेलवे के डिब्बों का कारखाना, जो बनारस और जौनपुर के करीब है उसके विषय में भी राजा साहब को जानकारी न हो तो ताज्जुब है, सोडा ऐश फैक्टरी, सल्फयूरिक एसिड का कानपुर का कारखाना, आर्टिफिशियल सिल्क फैक्टरी, सूती मिलों के पुर्जों का कारखाना, चुर्क के अलावा एक और सीमेन्ट फैक्टरी देहरादून में खोलने की तजबीज है। रेल के डिब्बे बनाने की फैक्टरी, बरेली में, ट्रांसफार्मर और स्विच गीयर फैक्ट्री, नैनी, इलाहाबाद में, रैपिंग पेपर फैक्ट्री इलाहाबाद में और न जाने कितनी फैक्ट्रीज हैं, मैं तो गिनते गिनते परेशान हूं, सूती कपड़ों की मिलें, क्रीम क्रस्ट बनाने की फैक्ट्री आदि।

माननीय जेड० ए० अहमद ने कहा कि टेक्सटाइल में कुछ नहीं हुआ। मैंने सारे आंकड़े देखे और मैं तो परेशान हो गया देखते देखते।

टैक्सेशन और परकैपिटा इन्कम का रेशियो क्या है, बड़ा भारी फर्क माननीय सदस्य उस दिन बता रहे थे। मैं मानता हूं हमारी परकैपिटा इनकम अर्बन और रूरल मिलाकर सन् ४८-४९ में २४६ थी वह ६०-६१ में २६६ के करीब है और टैक्सेशन सब स्टेट्स का देखा तो यू० पी० में ७.१० परसेंट के करीब आता है इसमें राजस्व कर भी सम्मिलित है जब कि पंजाब में १२.२२ परसेंट है और आसाम में ११.०१, महाराष्ट्र में १३.२४ और वेस्ट बंगाल में १४.५३, परसेंट है। और हमारे यहां कुल ७.१० परसेंट। उनकी पर कैपिटा इन्कम देखी जाय। सन् १९५५-५६ में वह पंजाब में ३४४.५ आसाम में २४४.९ वेस्ट बंगाल में २९५.०० थी। सन् ६०-६१ की फीगर्स अभी मालूम नहीं हो पायी इस हिसाब से यद्यपि हमारी परकैपिटा इनकम कम है किन्तु और प्रदेशों के मुकाबले में परकैपिटा टैक्सेशन तो हमारा बहुत ही कम है। इसलिये इस बजट को पैरासाइट बजट किस प्रकार कहा जा सकता है। हमारी पावर कन्जम्प्शन फी यूनिट ८ परसेंट है जब कि उनकी १२ और १३ परसेंट है। हम अपने आपको इंडस्ट्रियलाइज अभी कर रहे हैं। फिर आपने कहा इंडेक्स आफ वौल्यूम और वेल्यू को देखिए ऐग्रीकचरल प्रोडयूस की। यह तो सब को मालूम है १४० लाख टन हमारा ज्यादा उत्पादन हुआ। १९४७-४८ में ११० हमारा वाल्यूम आफ इंडेक्स था वह अब १९६०-६१ में १४२ है। १९४७-४८ में वैल्यू ९८ थी वह १९६०-६१ ११८ है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में उस वक्त इंडेक्स था १०० वह आज १४७ है। तो यह क्या कम एचीवमेन्ट है? अगर आपको अपना एचीवमेन्ट खलता है तो इसके लिये अफसोस ही प्रकट किया जा सकता है। आप अपने आपको पहचान नहीं रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप पुनः इस बात पर विचार करेंगे और देखेंगे कि आपका खयाल गलत है।

अभी भाई गेंदासिंह जी ने कहा कि जितने बेकारों की पल्टन तैयार हो रही है उसके लिये जितना भी टैक्स लिया जाय देने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि बेकारों की पल्टन हट जाय, जितना टैक्सेशन इसके लिये लगायें लगा दें। पहले जो १३ करोड़ का डेफिसिट है इसको पूरा करके देख लें इसमें आप कितनी मदद करते हैं। अगर आपने मदद की तो दूसरे वायदे भी पूरे हो जायंगे। जेड० ए० अहमद साहब कहते थे चूंकि हम यू० पी० में कोई काम नहीं किये हैं इसलिये बैकवर्ड है और इसलिये गवर्नमेन्ट आफ इंडिया क्यों आपको मदद दे। अगर यही सवाल है तो पूर्वी जिले वाले क्यों कहते हैं कि उनको पहले ज्यादा दो, क्योंकि वे बैकवर्ड हैं। गवर्नमेन्ट का काम यह है कि जहां से कर ले सकती है वहां से ले और जहां आवश्यकता हो वहां दे जैसे समुद्र से बादल पानी लेता है और वहां बरसाता है जहां आवश्यकता होती है। गवर्नमेन्ट टैक्स किनसे लेती है? उनसे लेती है जिनकी ताकत देने की है और देती कहां है, जो पिछड़े हुए हैं, जैसे पूर्वी एरियाज, बुन्देलखण्ड, पहाड़। अब इस बात को आप सोचिये। अब अगर जेड० ए० अहमद साहब कहते हैं कि चूंकि यू० पी० सबसे पिछड़ा हुआ है इसलिये उसको अधिकार नहीं है सेंटर से कुछ मांगने के लिये, तो यह सिद्धान्तहीन बात ही नहीं है बल्कि ऐसा कहने में वे स्वयं सिद्धान्तहीन हो गये हैं। मैं उनकी स्पीच सुनने के लिये बड़ा उत्सुक था लेकिन उस रोज की स्पीच सुन कर बड़ी मायूसी हुई कि उन्होंने ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जो कि किसी कसौटी पर नहीं कसे जा सकते।

अब दुबे जी ने कहा कि प्राइसेज मुकर्रर होना चाहिये एग्रिकल्चर प्रोडयूस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टस की। मैं यह बतला दूं कि यह विषय इस सदन का नहीं है, यह अखिल भारतीय प्रश्न है और केन्द्रीय सरकार का विषय है और उन्होंने एक बार इस सवाल को उठाया भी। इससे जनता और गवर्नमेन्ट दोनों को ही दिक्कतें होती हैं क्योंकि प्राइसेज अगर फ्लकचुएट करती हैं तो हमारी प्लानिंग ठीक नहीं चलती है। नेशनल प्लानिंग ऐण्ड डेवलपमेन्ट कौंसिल इस चीज को स्वयं चाहती थी और इसके लिये कुछ सुझाव उन्होंने हमसे मांगे भी। डेढ साल पूर्व यहां की गवर्नमेन्ट ने एक सेमिनार किया था और उसमें कुछ बातें तै करके गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को भेजी थीं। यहां की मिनिस्ट्री को कुछ निश्चयात्मक निर्णय लेने में दिक्कत हुई हो इसलिये वह चुप हो गयी। लेकिन जहां तक अन्न का सवाल है जिसका बहुत कुछ असर चीजों पर

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

पड़ता है, इसलिये मिनिमम प्राइस गेंहूं की १३, १४ रुपये मुकर्रर कर दी गयी है और उससे नीचे अगर उसकी प्राइस जायगी तो प्राइस सपोर्ट दी जायगी। जैसा कहा, इसके लिये गवर्नमेन्ट आफ इंडिया स्वतः ही प्रयत्नशील है। दुबे जी ने नार्वे या स्वेडन का हवाला देते हुये कहा था कि वहां शुद्ध सामान लारियों पर रख कर फेयर प्राइस शाप्स चलती हैं। सुझाव बड़ा सुन्दर है। अगर हमारे प्रदेश में कोई समय ऐसा आयेगा तो सोचेंगे, क्यों कि अभी फेयर प्राइस शाप चल नहीं पा रही है। और आराम व चैन है, बड़ी खुशी की बात है कि गेंदा सिंह जी को दो तीन साल से कोई अन्न न मिलने से मरता हुआ नजर नहीं आया, उन्हें कम से कम इस गवर्नमेन्ट को बधाई दे देनी चाहिये थी, करीब दो साल से चैन से पड़े हैं, कोई अन्नाभाव के कारण मर नहीं रहा है।

कोयले के बारे में आज सुबह प्रश्न उठ ही गया था। लोहे और सीमेंट की कमी है ही नहीं, बड़ी अच्छी तरह से काम चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप अपोजीशन और गवर्नमेन्ट का खयाल अपने दिल से हटादें और यू० पी० के रहने वाले अपने आप को समझने लगें तो कभी आपके सामने यह प्रश्न पैदा ही नहीं होगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह गलत है या जो पैसा है उसका हम दुरुपयोग करते हैं। जैसा मैंने निवेदन किया था कि कुछ भेड़ों के बीच में एक शेर पहुंच गया। गड़रिये ने जब भेड़ों को पीटना शुरू किया तो वे सब चुप हो गयीं। देखा देखी शेर भी चुप हो गया और वह भी पिटते रहा। एक दिन एक जंगली शेर उसको मिला, तो उसने उस शेर से कहा कि अपने आप को पहचानो। मैं समझता हूं कि अगर विरोधी दल भी अपने आप को पहचान जाय तो ये सब बातें नहीं रहेंगी।

अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ यह समझता हूं कि देश के निर्माण के लिये जितने भी टैक्सेशन की जरूरत हो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिये।

श्रीमती चम्पावती (जिला आगरा)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने सदन में जो बजट पेश किया है उससे मालूम होता है कि हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था लगभग सही रास्ते पर चल रही है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं समझ लेना चाहिये कि उत्तर प्रदेश की जनता की, खासकर ग्रामीण जनता की, आर्थिक समस्याओं का कोई संतोषजनक समाधान हो गया है। गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बीमारी तथा बेकारी आदि की वह अब भी शिकार बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास की रफ्तार बहुत धीमी चल रही है। खेती को छोड़कर गांवों की कई अन्य आवश्यकताओं पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। जैसे घरेलू उद्योग, सड़कों तथा पुलों का निर्माण, किसानों को मकान बनाने की सुविधा आदि। श्रीमन्, जब तक इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जायगा तब तक ग्रामीण क्षेत्र की दशा सुधर नहीं सकती।

दूसरे, प्रशासन की कमजोरी के कारण निर्माण का कार्य ठीक नहीं हो पाता। जो धनराशि बजट में रखी जाती है उसका पूरा-पूरा लाभ जनता को नहीं मिल पाता। श्रीमन्, कृषि विभाग के कुछ कर्मचारियों की लापरवाही का एक नमूना मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने पेश करना चाहती हूं। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रदेश के किसानों को आगरा जिले के अरेहरा ग्राम के निवासी श्री नत्थीसिंह का अनुकरण करने की प्रेरणा दी है जिन्होंने प्रति एकड़ ३८ मन गेहूं उत्पन्न करके पद्मश्री की उपाधि प्राप्त की। किन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस बार पद्मश्री नत्थीसिंह तथा उनके साथियों को सरकारी कर्मचारियों ने अपनी लापरवाही से इस प्रतियोगिता से वंचित कर दिया। मुझे श्री नत्थीसिंह तथा उनके साथियों का एक पत्र मिला है जिसे मैं अधिष्ठाता महोदय की आज्ञा से सदन में पढ़ कर सुनाना चाहती हूं—

"सेवा में श्रीमती चम्पावती, एम० एल० ए०

निवेदन है कि शायद आपको जानकारी होगी कि हमारे ग्राम सेवक क्षेत्र सरसा से जिसमें सरसा, अरहेरा, रोझौली, टीकरी चार ग्राम सभायें हैं, उत्तर प्रदेश को ३५ मन प्रति एकड़ गेहूं

की औसत पैदावार करने के लिये सम्मिलित रूप से चुनौती दी थी। जिला अधिकारियों द्वारा नम्बर भी, जिनकी कटाई करानी थी छाट लिये गये थे। किन्तु आज तक वे खेत नहीं कटवाये गये। इन खेतों में आपके भी तीन खेत थे। हमें निवेदन करना है कि आप इस संबंध में विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, से पूछने का कष्ट करें कि इस गेहूं की फसल की कुल कटिंग क्यों नहीं कराई गई? हमारे क्षेत्र को इससे बेहद हानि हुई है। कुछ जिले से भेजे गये अधिकारियों ने सरसा में गेहूं के नौ खेत कटवाये जिनमें से सात खेतों के गल्ले को तोला गया। शेष दो खेतों की पैदावार की तौल भी नहीं कराई गई और सब के सब कटाई छोड़कर चले गये। हमारे क्षेत्र के साथ यह अन्याय क्यों किया गया है? यदि विकास आयुक्त महोदय, संतोषजनक उत्तर आपको न दें सकें तो हम क्षेत्रवासी यह आशा करते हैं कि यह प्रश्न विधान सभा के सम्मुख रख दिया जाय तथा कृषि मंत्री महोदय से इस संबंध में पूछा जाय कि कृषि की योजनायें इसी प्रकार चलती हैं।

दूसरे, सरसा से इस प्रदेश को सब से अधिक गेहूं पैदा करने की चुनौती दी गई तथा अरहेरा से भारत को ४० मन गेहूं प्रति एकड़ पैदा करने की चुनौती दी गई। इन ग्राम सभाओं के खेत भी नहीं काटे गये। जब कि ये चुनौतियां आज से एक वर्ष पूर्व दी जा चुकी थीं। प्रदेश की बिजयी ग्राम सभा को दस हजार रुपया रखा गया है। अब आप ही सोचिये कि ग्राम सभा कैसे संतोष करे। जब कि इन दोनों ग्राम सभाओं, सरसा और अरहेरा को पूर्ण आशा थी कि उनको हराने वाला कोई नहीं है। जीत डंके की चोट थी किन्तु अधिकारियों ने धोखा दिया और घोर अन्याय हमारे साथ किया। जो खेत सरसा में काटे गये उनकी औसत पैदावार ३८ मन प्रति एकड़ चल रही थी कृपया हमको यह सूचित करने का कष्ट करें कि कार्यवाही क्या की गई और कहां। तुरन्त कार्यवाही के निवेदनक, हुकुमसिंह रोझोली, नत्थीसिंह अरहेरा, बस्तीराम, सरसा और श्रीराम रोझोली।"

श्रीमन्, यह खेदजनक घटना पद्मश्री नत्थीसिंह तथा उनके साथियों के साथ घटी है तथा इसी विषय से संबंध रखती है जिसके लिये श्री नत्थीसिंह जी को पद्मश्री की उपाधि मिली थी, जिसका उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में किया था।

मैं कृषि मंत्री महोदय से नम्र निवेतन करती हूं कि वे जल्दी से जल्दी इस मामले की जांच करके सदन को पूरी सूचना दें और श्री नत्थीसिंह तथा उनके साथी किसानों को तसल्ली दें।

श्रीमन्, यह हर्ष का विषय है कि प्रदेश के अधिकतर भागों में विकास खण्ड खोल दिये गये हैं और शेगा में भी खोले जा रहे हैं। यह भी खुशी की बात है कि इन विकास खंडों में कृषि की पैदावार बढ़ाने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं कि आने-जाने के साधन तथा घरेलू उद्योगों धंधों के अभाव में विकास अधूरा ही रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण का कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है। आगरा जिले की किरावली तहसील का ही उदाहरण ले लीजिये। १९४७ के बाद इस तहसील में एक इंच भी नई पक्की सड़क नहीं बनाई गई। यही नहीं लगभग १६ मील पक्की सड़क जो आगरा, बिचपुरी रायभा तथा अछनेरा को मिलाती है अब कच्ची से भी खराब हो गई है। कच्चे मार्ग से बैलगाड़ियां सही सलामत निकल जाती हैं किन्तु इस सड़क पर तो अब उनके पहिये भी टूट जाते हैं। इसकी वजह यह है कि मुद्दतों से इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई। इसी तहसील में एक अत्यन्त प्राचीन कच्चा मार्ग है जो खैरागढ़ तहसील के कागरोल कस्बे से किराबली, अछनेरा तथा मथुरा जिले के फरह नाम के कस्बे को मिलाता है। इस मार्ग पर इतना भारी ट्रैफिक होता है कि इसे इस देहाती इलाके की लाइफ लाइन कहा जा सकता है। अन्तरिम जिला परिषद् आगर ने इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में पहला स्थान देने की सिफारिश की थी।

श्री अधिष्ठाता—आप बहुत पढ़ चुकी हैं।

श्रीमती चम्पावती—लेकिन जहां तक मैंने देखा है वित्तीय वर्ष में इसके लिये कोई रकम नहीं रखी गयी है । संभवतः तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी इसे शामिल नहीं किया गया है । श्रीमन् मैं आपके द्वारा संबंधित मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि वे सदन में इस विषय पर प्रकाश डालें । जिला आगरा के अन्य इलाकों में भी सड़कों का शोचनीय अभाव है ।

यही हाल देहाती क्षेत्रों में घरेलू उद्योग धंधों का है । किरावली तहसील में दो बड़े कस्बे हैं, अछनेरा और फतेहपुर सीकरी इनकी आबादी पंदरह पन्दरह हजार से भी अधिक है । इनमें पीने के पानी, सफाई तथा रोशनी का इन्तजाम बड़ा खराब है । अधिकतर जनता निहायत गरीब है । यहां दरी, सिकियों के मूढे, कुर्सी, मेज इत्यादि, पत्थर का काम, खादी, चमड़ा, हैन्डलूम आदि का खूब विकास हो सकता है । छोटे-छोटे गांवों में भी इस प्रकार के धंधों को बढ़ाने की काफी गुंजायश है । सरकार का कर्त्तव्य है कि इन कार्यों की उचित व्यवस्था करके जनता की गरीबी दूर करे और बेकारी मिटाए ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा के बारे में दो शब्द और कहना चाहती हूं । यह संतोष की बात है कि सरकार ने प्राइमरी शिक्षा का खूब विस्तार किया है और किया जा रहा है । लेकिन इसकी व्यवस्था को सुधारने की बड़ी आवश्यकता है । अधिकतर स्कूलों की इमारतें खराब हैं । स्कूलों में अध्यापकों की कमी है । प्राइमरी अध्यापकों के वेतन बहुत कम हैं । एक नये अध्यापक को ६० रुपये माह मिलते हैं जब कि केन्द्रीय सरकार के चपरासियों को भी ८५ रुपये माह के लगभग वेतन मिलता है ।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सन् १९६० में प्रदेश में एक सैनिक स्कूल खोला गया था जिसमें अब १०० विद्यार्थी पढ़ते हैं । इस स्कूल का उद्देश्य यह है कि हमारे प्रदेश के होनहार युवकों को सेना में कमीशन प्राप्त करने का अवसर मिले । श्रीमन्, इस विशाल प्रदेश के लिये यह प्रयत्न नहीं के बराबर है । बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि इसी समय में यानी पिछले दो सालों में पंजाब जैसे छोटे प्रान्त मे चार सैनिक स्कूल खोले गये हैं अर्थात नाभा, कपूर्थला करनाल और चैल में, इन स्कूलों में जहां तक मुझे मालूम है लगभग एक हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं । भारतीय सेना में उत्तर प्रदेश के निवासी सैनिक अफसरों की संख्या उगलियों पर गिनी जा सकती है । जिस प्रदेश ने मालवीय, मोती, जवाहर, पंत, किदवई, डाक्टर सम्पूर्णानन्द, श्री लालबहादुर शास्त्री तथा हमारे माननीय मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त जैसे रत्न पैदा किये हैं वह पंजाब तथा अन्य क्षेत्रों की तरह सैनिक अफसर भी पैदा कर सकता है ।

अधिष्ठाता महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको हार्दिक धन्यबाद देती हूं ।

***श्री ए० सी० ग्राइस** (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—चेयरमैन साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया । मैं श्री गेंदासिंह और डाक्टर जेड० ए० अहमद से सहमत हूं । उन लोगों ने सरकार का ध्यान कुछ बातों की तरफ दिलाया । परन्तु मैं उनके साथ थोड़ा सा ही सहमत हूं । डाक्टर अहमद कहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश बिलकुल गया गुजरा है । कुछ उम्मीद नहीं है कि यू० पी० कुछ भी कर सकता है । पर मैं उनसे कहूंगा कि वह नकशा खोल कर देखें । हमारे विरोधी दल सिवा क्रिटिसिज्म के आगे बढ़ नहीं सकते हैं, सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि वह जरा विरोधी दलों की तरफ थोड़ा सा सोचे । वह जो कुछ कहते हैं सब गलत नहीं है, उसमें भी कुछ बात है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बहरहाल जेड० ए० अहमद साहब ने कहा था हमारे कानपुर की बाबत कि कानपुर में टैक्सटाइल मिल बिलकुल खराब है। पर कैपिटा इनकम वहां खराब है, मिलों की मशीनरी खराब है लेकिन वह शायद कभी कानपुर गये नहीं है और शायद उन्होंने कानपुर की मिलों को देखा नहीं है कि वहां क्या हो रहा है? आज मिल वाले चाह रहे हैं कि रैशनलाइजेशन हो जाय एजेक्टिसिटी और मिल जाय। पर क्यों रैशनलाइजेशन नहीं हो पाता है? उसका कारण यह है कि हमारे विरोधी दल रैशनलाइजेशन नहीं होने देते हैं। रैशनलाइजेशन हो जाय तो उससे इनकम बढ़ेगी। हमारा रिडेंडेण्ट लेबर मिलों में बहुत काफी है। उनकी नयी मशीनरी है प्रोडक्शन ज्यादा है। उनको आदमियों की जरूरत नहीं है तो क्या होता है? फालतू लेबर घूमता रहता है और कुछ काम नहीं हो पाता। तो अगर विरोधी दल पोलिटिक्स में रहे, इंडस्ट्री को छोड़ दे, तो मुमकिन है इंडस्ट्री यू० पी० में बढ़ जाय।

मेरा क्षेत्र ऐसा है क्योंकि मुझे यू० पी० भर में घूमना पड़ता है तो मुझे एक बात की बहुत शिकायत है हमारे शिक्षा मंत्री के डिपार्टमेन्ट से और वह यह है कि शिक्षा यू० पी० में ऐसी है—मैं ऐंग्लो इंडियन एजूकेशन के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं जनरल एजूकेशन की बात कह रहा हूं—मैं बिलकुल परेशान हूं, देहरादून, आगरा, इलाहाबाद जितने शहर हैं उन सबमें अनरिकग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल इतने बढ़ गये हैं कि जिनकी तादाद नहीं है। सरकार ने कहीं उनको थोड़ा सा रुपया दे दिया, ग्रान्ट दे दो और इस तरह उनको और भी एन्करेज कर दिया। इसका क्या नतीजा होगा? जब वह बच्चे स्कूल से छूटते हैं तो उनको रिकग्नाइज्ड स्कूल कहीं ले नहीं पाते हैं क्योंकि आबादी भरी हुई है बहुत बढ़ गई है और ट्रेन्ड टीचर्स बहुत कम हैं। तो इन्तजाम क्या है? लड़के इधर-उधर फिरा करते हैं, इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह जो अनरिकग्नाइज्ड स्कूल्स अंग्रेजी या हिन्दी में पढ़ा रहे हैं उनका सेन्सज हो जाय। इनको बन्द तो कर नहीं सकते क्योंकि कांस्टीट्यूशन के मातहत ऐसा किया नहीं जा सकता। तो अगर यह सेंसस हो जाय तो इससे सरकार तो पता लग जाय कि उम्मीदवार लड़के कितने हैं जो कि अनरिकग्नाइज्ड स्कूलों से रिकग्नाइज्ड स्कूलों में भरती होने के लिये आ सकते हैं या जितने रिकग्नाइज्ड स्कूल हैं उनको परमीशन दी जाय कि वह और सेक्शंस खोलें। इंगलिश में ज्यादातर डिमांड है। हमारे सोशलिस्ट भाई चिल्ला उठेंगे। लेकिन यू० पी० में इतनी ज्यादा डिमांड है इंगलिश की कि यह प्राइवेट स्कूल्स ९० परसेंट इंगलिस में पढा रहे हैं और मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हम एडेड स्कूल्स को इंगलिश में सेक्शन शुरू करने की परमीशन दें।

हम लोगों के पास पैसा है नहीं। १३ करोड़ के करीब लास है, लेकिन जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में है २८ करोड़ रुपया, सोशल सर्विस ७५ करोड़ रुपया और एजूकेशन पर है २५ करोड़ या २६ करोड़ रुपया और मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि फ्री कम्प्लसरी एजूकेशन जो है वह बिलकुल बोगस है। माफ कीजिये जो मैं कहता हूं वह बिलकुल सच है। आप कानपुर या किसी बड़े शहर का सेन्सस ले लीजिये। तो आप यह मेहरबानी कर दीजिये कि जितने रिकग्नाइज्ड ऐडेड स्कूल्स हैं उनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्रेड के लिये एलाऊ कर दीजिये कि वह एक रुपया या दो रुपया फीस से बढा लें उससे आपकी ग्रान्ट बच जायगी और दूसरी तरफ वह उससे उनके एजूकेशन के साधन सब पूरे कर लेंगे।

मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि रि–ओरियन्टेशन का नाम नहीं लेना चाहिये। जब भी रि-ओरियन्टेशन का नाम लिया गया तो डिग्रेडेशन हो गया। जहां पर भी इस रि-ओरियन्टेशन का नाम लिया गया है हमारी शिक्षा बहुत नीचे गिर गई है और कहीं से कहीं चली गई है जैसे यह चल रहा है इसको वैसा ही चलने दीजिये। मेहरबानी करके रि-ओरियन्टेशन न कीजिये। इसको करने से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ बेहतर हो जाय। मैं जानता हूं कि हमारे आचार्य जुगुलकिशोर जी एक काबिल आदमी हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन उनके जो दूसरे एडवाइजर हैं उनकी वजह से ऐसी बात आ जाती है। मैं आपके द्वारा गवर्नमेन्ट से यह प्रार्थना करता हूं कि हमको परमीशन दी जाय कि जो गवर्नमेन्ट ऐडेड

[श्री ए० सी० ग्राइस]

प्राइवेट पब्लिक स्कूल है उनमें, १, १।। रुपया चार्ज कर लिया जाय। इस तरह से आप उन स्कूलों को खोलने की सेक्शंन देने की मेहरबानी करें।

एक बात मैं अपने लेबर डिपार्टमेन्ट से भी कहना चाहता हूं। शायद इस हाउस को पता है कि मैं एक क्वालिफाइड इंजीनियर हूं। उस इंजीनियरिंग के मुताल्लिक भी कुछ कहना चाहता हूं और वह यह है कि आपने अपने लेबरर के लिये काफी इन्तजाम कर रखा है लेकिन ३५० से ४०० तक जो हमारे सुपरवाइजर हैं या उनके नीचे से जो सुपरवाइजर होकर आता है उनकी सर्विस के लिये कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस चीज की तरफ ध्यान दे। कानपुर में या जहां जहां पर इंडस्ट्रलाइजेशन है वहां पर हमारी जाति का इंजीनियर या सुपरवाइजर या वर्कमैन जितने भी टैक्नीकल लोग हैं इस तरह से उनकी कोई सिक्योरिटी आफ सर्विस नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान देने की मेहरबानी करे और हम लोगों की सिक्योरिटी आफ सर्विस कर दे।

आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जैसा कि गेंदासिंह जी ने कहा था फूडग्रेन्स पर टैक्सेज का बढ़ाना गलत बात है तो मैं भी कहूंगा कि इससे हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। जो उन्होंने कहा है वह बहुत सही बात है। जितने भी ब्लैक मार्केटियर हैं वह इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ग्रेन को रोके और दाम बढ़ाये उसका नतीजा यह हो रहा है कि गरीब आदमी को इसमें बहुत नुकसान होता है। इसी पर ऊपर से दूसरी तौल आ गई है। जब बेचारे गरीब आदमी अपना गल्ला बाजार में ले जाते हैं तो वे बहुत परेशान होते हैं। पहले सेर छटांक का हिसाब था। उसको वह समझते थे। इस नये तौल को वह समझते नहीं हैं। इस वजह से उनको बड़ी मुश्किल हो जाती है। थैंक यू वेरीमच।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट की बहस में भाग लेने के लिये जो मुझे अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। ४ दिन से जो बजट पर बहस मुबाहसा हो रहा है सरकारी और विरोधी पक्ष की तरफ से उसके ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करना चाहता हूं। बहुत सावधानी से दोनों तरफ की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यह सदन केवल सरकार और विरोधी पक्ष के रूप में बटा हुआ है बल्कि दिल दिमाग में अपनी विचारधारा में जनतांत्रिक भावना में भी बटा हुआ मालूम पड़ता है। ऐसा लगा यद्यपि यह कहने के लिये मुझे थोड़ा.सा दुख मालूम होता है कि जैसे यह सदन देशी और विदेशी २, ३ समूह में बंटा हुआ है। विरोधी दल की तरफ से सचमुच बहुत उपयोगी बातें कही गईं। देश की गरीबी जनता के दुख दर्द का ध्यान रखकर प्रभावकारी बातें कही गईं। तर्कपूर्ण आंकड़े भी दिये गये। सचमुच बिल दिमाग पर असर डालने वाली बातें भी कहीं गईं, परन्तु सरकारी पक्ष के वक्ताओं के भाषण से ऐसा मालूम हुआ कि जैसे हमारी सरकार के लोग ध्यान से सुनने के लिये भी नकारात्मक रुख अख्तयार कर चुके हैं। विरोधी पक्ष से उपयोगी सुझाव दिये गये, तब भी सरकारी पक्ष के वक्ताओं ने सुझाव मांगे साथ ही कुछ लोगों को समाजवादी का ठेकेदार कह कर ताना मारा गया। मुझे कहते हुये दुख मालूम होता है कि एक जिम्मेदार मंत्री महोदय ने यह कहा कि हमारे विरोधी पक्ष के लायक दोस्तों में जब ऐसा ही था, तो एक दूसरा बजट क्यों नहीं प्रस्तुत किया। बजट भला बना या बुरा, लेकिन उसके बनने में कितना समय लगा, कितनी परेशानी हुई और कितना खर्च लगा, यह सब उपमंत्री महोदय को अच्छी तरह मालूम है। हमारा एक भी सुझाव तो मान्य नहीं होता, लेकिन दूसरा बजट प्रस्तुत करने की बात कही जाती है और उसका उलाहना दिया जाता है। वह हम कैसे करते ? तो इस तरह की बातों को सुन कर दुख होता है। इस सदन में कांग्रेस का सरकारी पक्ष है, जिसके द्वारा अब तक के सबसे महान व्यक्ति श्री बापू के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में एक अभूतपूर्व कार्य हुआ। इस दल ने देश को आजाद कराया। जब देश को आजाद कराने में जननायकों ने यह

पराक्रम दिखाया तो जब देश को आबाद करने में प्रमाद क्यों? आज देश बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है। जब हम सदन में उपस्थित होकर बात करते हैं, तो उसमें कुछ खर्च होता है। मैं जो यह १०, १२ मिनट का समय बोलने के लिये पा रहा हूं उसमें भी अनुमानतः दो ढाई सौ रुपया खर्च होगा। हम यहां जनप्रतिनिधि की हैसियत से आये हैं और इसलिये हमें उस लिहाज से उपयोगी बातें ही करनी चाहिये। हमें ध्यान से सुझावों को सुनना चाहिये और जो उसमें उपयोगी बात हों उन्हें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिये। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारी यह बहस की सारी प्रणाली व्यर्थ और खर्चीली साबित होगी। यदि बहस में हम विरोधियों की खिल्ली ही उड़ायी जाय तो इस बहस का मतलब क्या होगा?

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे विरोधी प क्षके बहुत से बोलने वालों ने माननीय वित्त मंत्री महोदय को बजट के लिए जिम्मेदार समझ कर उन्हें सम्बोधित करते हुए बातें की हैं। वित्त मंत्री का भार तो उन्होंने अभी हाल ही में सम्हाला है। इस बजट की रूप रेखा तो पहले से ही तैयार हो चुकी होगी उन के स्थान पर कोई भी वित्त मंत्री होता, उसको ऐसा ही बजट भाषण पढ़ना पड़ता और यही बजट पेश करना होता जो आपको करना पड़ा। यह तो पूरे ढांचे का सवाल है। यह बजट तो सरकारी नीति, उसकी आर्थिक नीति और उसकी जनहित विरोधी भावना का द्योतक है। इसके लिये वित्त मंत्री को ही दोषी ठहराना उचित नहीं है। इसमें किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है। इसमें तो उस आर्थिक मान्यता का दोष है जिसमें ऐसा बजट तैयार किया है। मैं यह जानता हूं कि हमारे वित्त मंत्री महोदय अग्रिम जनायकों में से रहे हैं उनमें बहुमुखी प्रतिभा है, सुलझा हुआ ज्ञान है और जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया उसमें उनका अपना कोई दोष नहीं है। यह दोष तो पूरी व्यवस्था का है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अपनी जानकारी के आधार पर जहांतक हो सके बजट के आय-व्यय में कांटछांट कर के धन का उपयोग अच्छे ढंग से उनको कराना चाहिये ताकि अधिक से अधिक जनहित के काम हो सकें।

श्रीमन् हमारे प्रदेश की जनता की तीन प्राथमिक आवश्यकतायें हैं भोजन, चिकित्सा और शिक्षा। हम यह अनुरोध करेंगे कि सरकार इन तीनों चीजों पर विशेष ध्यान देने की कृपा करे।

एक बात में सिंचाई के संबंध में कहना चाहता हूं। बड़ी बड़ी नहरों पर नलकूपों पर सरकार का अधिक धन व्यय होता है। उसकी जगह पर सरकार को छोटी छोटी योजनाओं पर जैसे कुएं आदि बनवाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। यह ठीक है कि कुवों से सरकार को आमदनी नहीं होती इसके लिये आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको आप गांव पंचायतों के सुपुर्द कर दें और उनको यह अधिकार दे दें कि उन कुओं से जो भी सिंचाई करें वे उसका मामूली कर उनको दें। अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाय तो उससे बहुत फायदा हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता—आप का समय समाप्त हुआ।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूडी (जिला चमोली)— माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत अभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, मैं अपने देश के ऐसे भाग जिसकी सीमा तिब्बत से मिली हुई है और वह क्षेत्र जो बद्रीनाथ क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है से आया हूं। वह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ी हुआ क्षेत्र है। उस क्षेत्र की अपनी कुछ विशेष समस्यायें हैं, विशेष परिस्थिति है, और गरीबी बहुत है। उत्तराखंड डिवीजन का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ उसे विचारने की जरूरत हमारे माननीय सदस्यों को है। चीनी अतिक्रमण के कारण तथा पाकिस्तानी हमले के कारण जो आज हमारे देश में परिस्थिति है उससे सभी भलीभांति परिचित हैं और उससे एक नयी समस्या हमारे देश में पैदा हो गयी है। हमारे देश में गरीबी,

[श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी]

बेरोजगारी आदि मुख्य समस्यायें हैं। आज देश में जिस प्रकार की साम्प्रदायिक भावनायें भीतर ही भीतर बढ़ती जा रही हैं वह भी एक चिन्ता का विषय है। इस समय हमें सबसे पहले जो इलाज करना है वह है गरीबी। मैं समझता हूं कि हमारे देश में पाकिस्तान और चीनी हमले का तो भय अवश्य है लेकिन सबसे बड़ा खतरा आज जाति-पाति और साम्प्रदायिकता का पैदा होता जा रहा है और यह एक भयानक खतरा है।

यहां पर सदन में माननीय सदस्यों ने अपने अपने जिलों की अनेक बातों का जिक्र किया लेकिन मुझे दुख है कि पूर्वी जिलों का और जो पिछड़े हुए पर्वतीय जिले हैं उनका जिक्र बहुत कम माननीय सदस्यों ने किया मैं चमोली और बद्रीनाथ क्षेत्र के विषय में विशेष तौर से कहना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे वित्त मंत्री जी माननीय कमलापति त्रिपाठी जी श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ की समस्याओं से परिचित हैं। बद्रीनाथ की दो घाटी—नीती घाटी और माना घाटी —चीनी बार्डर से मिली हुई हैं और उसही काफी क्षेत्र से चुन कर मैं आया हूं। यद्यपि यह सदन का विषय नही है लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि आज रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और आज किसी भी विदेशी आक्रमण के मुकाबले के लिये इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम यातायात के अच्छे साधन बनायें। मैं देखता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० विभाग की तरफ से जो काम हो रहा है वह बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है और वह ढीलाढाला काम है। और उसके लिये सबसे पहली शर्त है अच्छे यातायात और अच्छी सड़कों की व्यवस्था। उत्तराखंड के निर्माण के बाद कितनी प्रगति हुई है यह तो विभाग और वहां के जनता अच्छी तरह से परिचित है। चमोली जिले में यातायात की कितनी कठिनाइयां हैं इसका अनुभव वहां की जनता के उन फौजी और दूसरे लोगों को जो छुट्टियों में आते हैं होता है, जो श्रीनगर में, कई दिनों तक गाड़ियों का इंतरजार उन्हें करना पड़ता है। उन्हें इंतजार करने के बाद वापस जाना पड़ता है। यह हालत वहां यातायात की है। यह सही है कि पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे यहां अनेक कार्य हुये हैं। जो आलोचनायें और प्रत्यालोचनायें यहां सदन में हुई हैं, यह स्वाभाविक है इसलिये यहां विभिन्न आदेशों, विभिन्न विचारों और विभिन्न सिद्धान्तों के मानने-वाले मौजूद हैं और इसलिये यह स्वाभाविक है कि इस बजट पर विभिन्न दृष्टिकोण उपस्थित हों। बहुत सारे मामले में हमारे यहां बहुत प्रगति हुई है लेकिन मैं एक बात बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण दृष्टिकोण से हमारी दो पंचवर्षीय योजनाओं में जितना ग्राम साधनों व उद्योगों का संगठन होना चाहिये था वह नहीं हुआ है और विशेषकर मेरे बदरीनाथ क्षेत्र में ग्रामीण उद्योगों का जिह तरह से संगठन होना चाहिये था नहीं हुआ है उस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गरीबी के निराकरण पर जिस तरह से जोर होना चाहिये था उतना नहीं हो सका है उस क्षेत्र में। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गांव पंचायतों के तत्वाधान में आपको ग्रामीण योजनाओं में ग्रामीण साधनों के विकास पर जोर देने की जरूरत है।

हिमालय के लिये स्कन्दपुराण, केदारखंड़ में उदारहण हैं, ऐटिकिन्सन और दूसरे उदाहरणों से यह पता चलता है कि हिमालय खनिज पदार्थों के लिये और जड़ी बूटियों के लिये बहुत प्रसिद्ध था। ऊन के लिये वह क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध था। चीन के कारण अन्य स्थिति पैदा हो जाने में ऊन के उत्पादन काम में बहुत दिक्कत पैदा हो गयी है, लेकिन फिर भी यहां ऊन के कारोबार में बहुत तरक्की हो सकती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी व वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने चमोली में छोटा बिजली का केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसी तरह से मैं उनसे कहूंगा खनिज पदार्थों के साधन खोजने के लिये जो आफिसर्स गये थे उनके बारे में मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, मैंने उसे पढ़ा नहीं है। मेरा निवेदन यह है धनपुर पट्टी में तांबे की खोज के लिये कुछ किया जा रहा है। उसी तरह से अन्य साधनों की खोज पर विशेष बल वहां दिया जाय। तो पहाड़ों में गरीबी के निराकरण के लिये बहुत ज्यादा सहायता मिल सकती है। हमारे क्षेत्र की, बद्रीनाथ और उत्तराखंड की हालत पूर्वी जिलों और बुन्देलखंड की तरह से खराब है। शिक्षा के मामले में भी मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान

आकृष्ट करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में प्राविधिक, वैज्ञानिक तथा उच्च शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर प्रारम्भिक अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता है, एक डिग्री कालेज जो गढ़वाल में आरम्भ हुआ है, श्रीनगर में एक डिग्री कालेज की घोषणा हुई है, लेकिन चमोली में कोई कालेज नहीं है। प्राविधिक शिक्षा की मेरे जिले में बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिससे कि वे आगे बढ़ सकें और देश के साथ बढ़ने में सहायता पा सकें और जिससे वे देश का साथ देने में कामयाब हों।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान इन सब बातों की ओर और अपने क्षेत्र बद्रीनाथ में फैली बेकारी और बेरोजगारी की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर रक्षा की व्यवस्था और मजबूत की जाय और वहां से गरीबी के निराकरण के लिये अच्छे से अच्छा प्रबन्ध किया जाय, ताकि वहां की जनता भी सुखी और सम्पन्न जीवन बीताने के काबिल हो सके।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री भगवानदास का नाम पुकारने पर)

श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)—अधिष्ठाता महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि १० मिनट के स्थान पर अब ७ मिनट का ही समय रखा जाय ताकि अधिक लोगों को बोलने का अवसर मिल सके।

श्री भगवान दास (जिला मिर्जापुर)—श्रीमन् अधिष्ठाता महोदय तथा उपस्थित वित्त मंत्री महोदय, आपने १९६२–६३ का जो बजट पेश किया है उसमें आपने इस प्रान्त की तरक्की के लिये, शिक्षा के लिये, स्वास्थ्य के लिये, और अन्यान्य तमाम समस्याओं के लिये बहुत कुछ रखा है। इतना मानने के लिये मैं मजबूर हूं कि इसमें कुछ सच्चाइयों को छिपाने की कोशिश की गई है। यह कहा गया है कि हमारे बजट में करीब १३ करोड़ और ३५ लाख रुपयों का घाटा है और उस रुपये को जनता से टैक्स द्वारा वसूल करने की बात कही गई है। जनता टैक्स देती है और जनता के टैक्स से आप निर्माण कार्य करते हैं, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, लेकिन जिस जनता से टैक्स लिया जाता है उसके हित में यदि कार्य न किये जांय तो उससे जरूर शिकवा और शिकायत की गुंजायश पैदा होती है। डाक्टर जेड० ए० अहमद ने इसी कारण यू० पी० को इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड कहा है, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक दशा शोचनीय है क्योंकि यहां पर जो कुछ इंडस्ट्रीज पनपी हैं वह व्यक्तिगत हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर के कुछ थोड़े से मुट्ठी भर बुजुर्गों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में काटेज इन्डस्ट्रीज और लघु उद्योगों की भारी कमी है। छोटे २ उद्योगों के नाम पर आपने जो धनराशि रखी है वह कोई अधिक धनराशि नहीं है।

साथ ही इसके मैं आपको बताऊं कि इस हाउस में बैठकर मुझे एक नया अनुभव हुआ है और वह यह कि यहां पर एक अजीब सी बीमारी पैदा होती जा रही है। जितने भी सम्मानित सदस्य विभिन्न दलों से सम्बन्ध रखने वाले यहां पर बोले वह अपने जिले और अपने इलाके की तरक्की के सम्बन्ध में ही बोले। इससे हमारी संकुचित मनोवृति का प्रदर्शन होता है। जिस तरह से आज देश में प्रान्तों का झगड़ा है उसी तरह से मैं इस हाउस में ऐसा महसूस करता हूं। साथ ही इसके कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ जिले काफी तरक्की पर हैं। मैं मानता हूं कि पूर्वी जिले काफी पिछड़े हुये हैं लेकिन पश्चिमी जिलों में भी काफी कमियां हैं बहुत सी समस्यायें हैं। यहां पर जो इस तरह से पूर्वी जिलों की समस्यायें उठाई जाती हैं उससे ऐसा मालूम पड़ता है, एक खतरा उत्पन्न होता है कि कहीं इस प्रदेश के टुकड़े न हो जायं।

मुझे आपके द्वारा यह निवेदन करना है कि मैं एक ऐसी जगह से चुनकर आया हूं, चूंकि अपने अपने क्षेत्रों की बातें लोग कह रहे हैं इसलिये मैं भी इस बात को कहने के लिये मजबूर हूं मेरा नगर जहां पर एशिया की सबसे बड़ी ग्लास इन्डस्ट्री है। वहां पर करीब १०० कारखाने हैं जिसमें करीब साठ हजार मजदूर काम करते हैं। वहां पर उनसे आठ

[श्री भगवानदास]

घंटे काम लेने की बात है, लेकिन इस ओर हमारी लेबर मिनस्ट्री पिछले १५ वर्षों से कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है वहां पर आज भी ९–१० घन्टे मजदूरों से काम लिया जाता है साथ ही वहां से कर के रूप में प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार लगभग ५० लाख रुपया सालाना वसूल करती हैं । इसका मतलब यह है कि ५ वर्षों में ढाई करोड़ रुपया उस क्षेत्र से प्राप्त होता है और १५ वर्षों में ८ करोड़ रुपया के लगभग प्राप्त किया जा चुका है, लेकिन फिर भी आपने वहां पर कोई भी निर्माण नहीं किया है । फीरोजाबाद, आगरा जिले के पूर्वी भाग में स्थित है । वहां की इन्डस्ट्रीज के बारे में ग्लास टेकनोलोजिस्ट कोई परवाह नहीं करता है । चूड़ियों की टेकनोलोजी के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । सरकार ने भी जब कि ६१–६२ के बजट में १,१३, ५०० रुपया रखा था इस साल उसको केवल १,११,१०० रुपया ही कर दिया है, जब कि वित्त मंत्री जी वहां से ५० लाख के करीब हर साल टैक्स वसूल करते हैं लेकिन इस बजट में रुपया दो हजार उसमें और भी कम कर दिया है । इस प्रकार से वहां के नागरिकों की तरक्की के बारे में कोई खयाल नहीं जाता है । क्या आपका यही न्याय है ?

जहां तक कोयले का संबंध है हमारी केन्द्रीय सरकार ने ३० प्रतिशत कोयला कम कर दिया है तथा पिछले दिनों वैगन्स की कमी के कारण ५०० वेगन्स में से केवल ४०० वेगन्स ही मिल पाते थे अब तो कोटा ही फिक्स कर दिया है । आज जब कि इस प्रकार से कोयले में कमी की जा रही है प्रदेशीय सरकार ने भी २० प्रतिशत कम कर दिया है । इसके अलावा वर्तमान मंत्रिमंडल के कोई मंत्री महोदय हैं, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता वे भी इसमें बड़ी हथकंडेबाजी से काम कर रहे हैं । नये नये लोगों को कोटा दिया जा रहा है और उसके द्वारा उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जा रहा है । ग्लास टेकोनोलाजिस्ट आजकल छुट्टी पर हैं । उनके स्थान पर उप-संचालक श्री पी० एन ० अग्रवाल काम कर रहे हैं। वे अपने नजदीकी आदमियों को इन्डायरेक्टली कोटा देकर ब्लेकमेलिंग कर रहे हैं, उन्होंने १०-१५ नयी फैक्टरियों को कोटा दिया है । जिन पुरानी फैक्टरियों में ६० हजार मजदूर काम करते हैं उनको तो कोटा पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं है और नयी नयी फैक्टरियों को दिया जा रहा है । फिरोजाबाद प्रदेश की एक ऐसी गिलास इंडस्ट्री है जहां पर मानव आवश्यकता की ऐसी ऐसी सुन्दर चीजें बनती हैं मेरा विश्वास है कि जापान आदि दूसरे देशों में भी उनका प्रोडक्शन नहीं होता है उस इंडस्ट्री की प्रगति के लिये बजट में इस प्रकार कम प्रावीजन किया गया है ।

पुलिस के संबंध में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं । पिछले साल पुलिस का बजट १०, ५१, ७२, २०० रुपया था जब कि इस साल उसको ११,६६,९८,१०० रुपया कर दिया गया है । पिछले साल इतना रुपया बढ़ाया गया लेकिन फिर भी प्रदेश में चोरी, डकैती और किडनैपिंग बढ़ी है, लोगों की शांति और सुख छिन गया है । इस साल और भी रुपया बढ़ा दिया गया है । पुलिस में अजीब असमानता है । एस० पी को घोड़े के लिये १०० रुपया भत्ता दिया जाता है जब कि उसी प्रकार के घोड़े के लिये थानेदारों को केवल ३५ रुपया ही दिया जाता है । यह १०० और ३५ का इतना बड़ा फर्क क्यों है ? इसी प्रकार कान्स्टेबिल को ४५ रुपया तनख्वाह मिलती है ३५ रुपया महंगाई मिलती है और ३ रुपये ७५ न० पै० उसको निवास स्थान के लिये मिलता है । श्रीमन्, जरा ध्यान दिया जाय कि क्या आज ३ रु० १२ आने महीने में कोई मकान किराये पर मिल सकता है ? इससे साफ जाहिर है कि हमारी सरकार जानबूझ कर पुलिस के कानिस्टेबिल्स को रिश्वत लेने के लिये मजबूर करती है जिससे वे अपने लिये कोई अच्छे निवास स्थान का प्रबन्ध कर सकें । इस तरह पुलिस में असमानता बढ़ती हुई चली जाती है जो किसी तरह से भी उचित नहीं है । सरकार ने एस० एस० पी० और दूसरे लोगों को अन्धाधुन्ध अधिकार दे रखे हैं और

वहां पर सीनियारिटी, जूनियारिटी का कोई खयाल नहीं रखा जाता। उदाहरणतः १० वर्ष पुराना काबिल से काबिल सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ही बना रह जाता है जब कि एक नया सब इंस्पेक्टर जिसका किसी पुलिस अधिकारी से किसी तरह का कोई सम्बन्ध होता है, तो उसे फौरन ही इंस-पेक्टर या थाना इन्चार्ज बना दिया जाता है । चाहे दूसरा व्यक्ति १० वर्ष सर्विस में पुराना हो और उसने इस बीच में चाहे कितनी ही कत्ल, हत्या व डकैती का पता लगाया हो, मुजरिम को रेड हैन्डेड पकड़ लिया हो, लेकिन उसे कोई प्रगति का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से एकमात्र अधिकार पुलिस अधिकारियों को सरकार ने दे रखा है, वह जनतंत्र के विरुद्ध है और उससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस तरह के अधिकार नौकरशाही से छीन लेने चाहिये। यदि मुल्क के अन्दर सही जनतंत्र की स्थापना करनी है। अगर सही माने में हमें देश में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनानी है, तो हमें उन तमाम समस्याओं पर विचार करना चाहिये । अधिक समय मुझे नहीं दिया गया लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—अब श्री नियाज हसन साहब बोलेंगे लेकिन पेश्तर इसके मैं कहना चाहता हूं कि आज बजट का आखिरी समय है और अब समय बहुत कम है, इसलिये नियम १८८(३) के मुताबिक मैं ७ मिनट हर सदस्य के लिये नियत करता हूं सिवा मुख्य मंत्री व अन्य मंत्रियों के ।

श्री नियाज हसन खान (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं चूंकि इस सदन में पहली दफा चुन कर आया हूं और मेरी पहली स्पीच है, इसलिये अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ किया जायगा । मैं गवर्नर साहब के ऐड्रेस के मौके पर भी कुछ बोलना चाहता था और खयाल करता था कि उसके बाद भी कुछ बोलूं, मगर बावजूद इसके कि मैं इस सूबे में पैदा हुआ, पढ़ा, बहुत सी डिग्रियां हासिल कीं, १८ साल से बम्बई में भी हूं, वहां कुछ और भी जबानें सीखीं और थोड़ा सा कुछ लिंग्विस्टिक हो गया हूं, मगर जब मैं इस सदन में आया तो मुझे कुछ टैक्निकल भाषा के समझने में कठिनाई हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कमी को जल्दी पूरा कर लूंगा । मगर उसके साथ ही साथ आपके द्वारा इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि जनता के लिये अगर इस सदन में कुछ आसान भाषा में कार्यवाही की जाय तो जनता उसको बेहतर समझेगी ।

(इस समय २ बजकर ४४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

कब्ल इसके कि मैं बजट पर आऊं, मैं थोड़ा सा गवर्नर साहब के ऐड्रेस पर रिव्यू इस वक्त करना चाहता हूं क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नेता नहीं हूं और न ज्यादा भाषण देने का आदी हूं । मेरा जो सुझाव होगा, मैं समझता हूं कि वह प्रैक्टिकल होगा और इस खयाल से मैं बजट से पहले थोड़ा सा गवर्नर साहब के ऐड्रेस का रिव्यू करना चाहता हूं । उसमें तीन चीजों पर जोर डाला गया है । एक तो यह कि जो मिनिस्टरी की साईज है वह बहुत बड़ी है। मेरी समझ में उसका जवाब यह है कि अगर मिनिस्टरी की साइज इसलिये बढ़ाई गई है कि गवर्नमेंट और मिनिस्टरी स्टेबिल हो तो यह ठीक है । अगर स्टेबिल मिनिस्टरी या गवर्नमेन्ट बनाने में ज्यादा खर्च भी हो जाय तो मैं समझता हूं कि वह खर्च अनस्टेबिल गवर्नमेन्ट या मिनिस्टरी से कहीं ज्यादा कम होगा । अगर अनस्टेबिल गवर्नमेन्ट हो और वह रोज बदलती रहे तो उससे ज्यादा खर्च होता है । मिसाल के तौर पर आप फ्रांस को देखें जहां पहले रोज गवर्नमेन्ट बदला करती थी और उस पर क्या खर्च होता था। तो सबसे बड़ा एप्रोप्रिएट जवाब यही है कि स्टेबिलिटी के लिये कुछ ज्यादा खर्च करना पड़े तो वह मेरी समझ से बिलकुल जायज है।

दूसरे इलेक्शन में जो इर्रेगुलेरिटी हुई हैं उन के बारे में कुछ कहा गया । मेरा खयाल है कि जिस तादाद में इर्रेगुलेरिटीज बताई गई, अगर वह वाकई में होती तो जिस तादाद में विरोधी दल के लोग यहां आये हैं वे न आने पाते । इसके अलावा एलेक्शन के जमाने में, जो जहरीले किस्म का प्रचार हुआ उस के बारे में मेरा सुझाव माना जाय तो कम्युनलिज्म और कास्टइज्म में रुकावट होगी. । जो कैन्डीडेट्स चुनाव में हिस्सा लें उनके लिये यह लाजमी कर दिया जाय कि उस को अपना चुनाव वैलिड कराने के लिये हर कमुनिटी के वोट पाना जरूरी होगा ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य विषय पर नहीं बोल रहे हैं ।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)—श्रीमन्, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उन्होंने जिक्र किया कि गवर्नर एड्रेस के समय मुझे बोलने का मौका नहीं मिला था इसलिये उस सम्बन्ध में जो सवाल उठाये गये थे उनका मैं उत्तर देना चाहता हूं । तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि क्या इस मौके पर उन बातों का लाना उचित है ?

श्री अध्यक्ष—अगर वह कहते हैं कि गवर्नर एडरेस में जो बातें कही गई थीं उन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें २ बातों पर विचार करना चाहिये । एक तो यह कि वह पहली बार बोल रहे हैं और इसलिये उन के साथ कुछ सहिष्णुता और उदारता भी बरतना चाहिये और यह भी हो सकता है कि जो कुछ वह कह रहे हैं उसका सम्बन्ध बजट से भी हो ।

श्री नियाज हसन खान—मैं यह सुझाव दे रहा था कि कोई केन्डीडेट अगर हर कम्युनिटी का वोट न पाये तो उसका एलेक्शन वेलिड न हो । दूसरे यह जो वोट देने का बालिग मताधिकार दिया गया है वह मुनासिब नहीं है । बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको यही नहीं मालूम होता है कि मोहर कहां लगाई जायगी । मेरी राय में वोटर की कोई स्टेंडर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिये । तीसरे जो यह एलेक्शन के जायज खर्च की क्लाज रखी गई है वह भी मुनासिब नहीं है । उसका दुरुपयोग होता है, उसमें सवाल 'हेव और हव नाटस्', का होता है । सिर्फ इतना खर्च दिखा सकते हैं इस से ज्यादा नहीं दिखा सकते, चाहे खर्च कुछ भी हो कोई ठीक नहीं दिखाता । उस क्लाज को भी हटाना चाहिये ।

अब चूंकि विरोधी दल के लोगों को घबराहट हो रही है इसलिये मैं बजट पर आता हूं । हमारे सूबे की एक डेवलपिंग एकनामी है और जहां विकास के काम हो रहे हों वहां के लिये यह जरूरी होता है कि कहीं न कहीं बजट डैफिसिट हो जाय लेकिन इसे कोई घबराहट की बात नहीं है । श्री जेड०ए० अहमद साहब ने कहा कि कहां तक हम बेग एन्ड बारो करेंगे । अब चूंकि समय कम है इसलिये मैं सुझाव ही देना चाहता हूं । मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से सरकार की आमदनी बढ़ सकती है । प्राहिबिशन को माडिफाई करना चाहिये और उन पर टैक्स बढ़ाना चाहिये । लारीज और ट्रक्स के जो परमिट दिये जाते हैं उन के बारे में मैं कहूंगा कि नई सड़कें बनाई जायं उस पर परमिट दिया जाय और उसपर टैक्स लगाया जाय । इसके अलावा जो एक इंडस्ट्रीयलिस्ट एक दो इंडस्ट्री के बाद तीसरी इंडस्ट्री खोलें तो उस पर भी टैक्स लगाना चाहिये । इससे यह होगा कि या तो वह खोलेगा नहीं और यदि खोलेगा तो टैक्स देगा । फैक्टरी लगाने के लिये लोग लोन भी लेते हैं उस लोन पर भी टैक्स लगना चाहिये । मेरे यह सुझाव किसी मिडिल क्लास मैन या किसान पर बोझ नहीं डालते ।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि हम में एक यह मर्ज सा हो गया है कि हम लोग स्पीच बहुत देते हैं । अगर मरने पर टैक्स है तो स्पीज पर और फूल, हार पर भी टैक्स लगना चाहिये, इससे भी काफी आमदनी हो सकती है । हमको मंत्री जी का मशकूर होना चाहिये कि उन्होंने इस बजट में कोई नये टैक्स नहीं लगाये । जो यह कहा गया कि हमारे सूबे में दो चीजों की बहुत कमी है, एक तो बिजली और दूसरे रोड की, मैं समझता हूं इस पर सरकार ध्यान देगी क्योंकि बिना बिजली के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम होगा ।

आखिर में मैं मंत्री जी को धन्यबाद देता हूं कि उन्होंने इतनी कठिनाई से इस बजट को बनाया और उम्मीद करता हूं, हमारा सूबा इस बजट से तरक्की करेगा।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया । जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दिया कि ८० करोड़ रुपया १९५५–५६ से ज्यादा वसूल किया जायगा, प्लानिंग के नाम पर । प्लानिंग में जो टैक्सेज लगायेंगे और जो रुपया खर्च होगा उसके लिये करीब ८० करोड़ रुपया इस साल ज्यादा वसूल होगा और १३ करोड़ का जो घाटा है उसके लिये भी टैक्सेज लगेंगे । इस तरह करीब १०० करोड़ रुपये के टैक्सेज से वसूल होगा । देखने की बात यह है कि प्लानिंग के नाम पर कुल ३७ करोड़ रुपया लगेगा बाकी जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर ही खर्च होता है, और पहले भी होता आया है । जब हम एक तरफ ज्यादा खर्च डीसेंट्रेलाइजेशन का जिक्र करते हैं और सरकार भी यही चाहती है फिर यह टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन क्यों हो ? पिछले सालों में देखा गया है सेक्रेटेरियट के ऊपर ही ८४ परसेंट ज्यादा खर्च होता है, तो डीसेंट्रेलाइजेशन कैसे हो सकता है । ऐसे ही पुलिस विभाग, तथा अन्य विभाग हैं जिन पर ज्यादा खर्च होता है । यदि १३ करोड़ का घाटा दिखाने के बजाय वित्त मंत्री कोई ऐसा सुझाव रखते जिससे कि सेक्रेटरियट पर जो दुनिया भर का खर्च होता है, वह कम होता तो संभव है घाटे का बजट न होता ।

मंत्री जी के बजट भाषण से ऐसा मालूम होता है कि ऐग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज के लेबिल पर लाना चाहते हैं और इसके मुताल्लिक उन्होंने कुछ रकम भी रखी है । यह सरकार इंडस्ट्री पर ८.६९ करोड़ रुपया खर्च करेगी और ऐग्रीकल्चर पर सिर्फ ५.१६ करोड़ । हर एक सदस्य जानता है कि यू०पी० कृषि प्रधान देश है, ७५ फीसदी जनता खेती पर ही निर्भर है तथा यू०पी० की ग्रास इंकम का ६६ परसेंट रूरल मासेज से मिलता है । तो जहां की रूरल मासेज इतना परसेंटेज देती हों यू०पी० की इकोनोमी में तथा ७५ फीसदी जनता कृषि पर ही निर्भर करती है तथा रूरल एरिया में रहती हो, उनकी बढ़ोत्तरी के लिये यदि हम ५.१६ करोड़ रुपया ही खर्च करें और इंडस्ट्री के लिये ८.६९ करोड़ खर्च करें तो हम ऐग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के लेबिल पर तो नहीं लाये । हमारी तो ३.५३ करोड़ रु० की कमी रही । यह मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिये । पर यह कह कर कि ऐग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के लेबिल पर ला रहे हैं यह बिलकुल गलत है । मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि ऐग्रीकल्चर के लिये यदि कुछ और प्रावीजन कर सकें तो उन पर बड़ा अहसान होगा जिनसे महात्मा गांधी का नाम लेकर वोट लेकर यहां आये हैं । वैसे तो हमसे कहा जाता है कि सरकार ने काश्तकारों के ऊपर ही सब खर्च किया है । इर्रीगेशन में १९५५–५६ में १ करोड़ २५ लाख एकड़ भूमि पर इर्रीगेशन होता था, उसके बाद कितना रुपया खर्च किया गया प्लानिंग में और उस सबके बावजूद १ लाख एकड़ भूमि पर ज्यादा इर्रीगेशन हुआ है । जब हम प्लानिंग में इतना रुपया खर्च कर रहे हैं तो क्या वजह है कि हमारा काश्तकार उस प्लानिंग से फायदा नहीं उठा पाता । ऐग्रीकल्चर, जिससे मुतासिर है यह प्लानिंग का ऐम पूरा नहीं हो सका और स्वयं हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि इस प्लानिंग का रुपया कहां गया, उन्हें पता नहीं । "हैव नाट" आज भी हैं और पहले भी थे । अगर इस बजट में उन काश्तकारों की बढ़ोत्तरी के लिये उतना ध्यान दिया जाता जिनसे वोट मांग कर आये हैं, चाहे किसी भी पक्ष के हों, तो हम उनके साथ ज्यादा न्याय कर पाते और काश्तकारों के साथ जो बर्ताव होता है उसका अहसास हमारे वित्त मंत्री जी के उस भाषण के उस पैसेज से मिल जाता है जिसमें ४२ करोड़ रुपये को काश्तकारों को लोन के जरिये वह देना चाहते हैं । हमारा काश्तकार गरीब है और उसे कर्ज लेने की आदत सरकार सिखा रही है जहां काश्तकार को ४२ करोड़ रुपया ९ परसेंट पर दिया जायगा वहां हैवी इंडस्ट्रीज को लांग टर्म लोंस ४,५ परसेंट पर मिलते हैं । इस तरह से जहां इंडस्ट्रीज को ४,५ परसेंट पर हैवी लोन्स दिये जाते हैं वहां गरीब काश्तकार को १००,२०० रुपये पौने ९ परसेंट पर दिये जायेंगे ।

[श्री चैतन्यराजसिंह]

रुपया रिजर्व बैंक से सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक में आयेगा, फिर दूसरे बैंक में जायगा और इस रेडटेपिज्म में काश्तकार को पौने ९ परसेंट पर लोन मिलेगा। काश्तकार की बहबूदी के लिये मैं चाहूंगा कि रुपया सीधे रिजर्व बैंक से डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर कोआपरेटिव बैंक्स को मिले जहां से सीधे काश्तकार रुपया पा सके। इस तरह से उसे कम सूद पर रुपया मिल सकेगा।

मैंने यह भी देखा कि इस सदन में जहां तक सोशलिस्टिक पैटर्न का ताल्लुक है वहां पर सरकारी पक्ष के लोग यह कहते हैं कि हमने जमींदारी अबालिशन कर दी और सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम कर दी। सन् ५२ में जमींदारी खत्म हुई। अगर उनका सोशलिस्टिक पैटर्नआफ सोसाइटी जमींदारी अबालीशन तक ही महदूद है तो "It is high time they resigned and let someone else come and establish socialistic pattern of society" हमसे कहा जाता है कि हमजोली वाली पार्टी हैं। ३६ परसेंट वोट पाने पर हमसे यह कहा जाता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपोजीशन में अगर आपस में इतना मतभेद न होता तो हम लोग आज उधर होते।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, ५ रोज से इस बजट पर इस सदन में माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। कई माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव उपस्थित किये हैं, कई ने आपत्तियां प्रस्तुत की हैं, आलोचनायें प्रस्तुत की हैं। मैं सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं उनके सुझावों के लिये, उनको आलोचनाओं के लिये। सुझाव हमें मार्ग दर्शन कराते हैं और आलोचनायें हमें अपने विचारों को पुनः विचार करने का अवसर देती हैं और दोनों के द्वारा कुछ सीखने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं।

जो बहसें, आपत्तियां और आलोचनायें सदन में की गयीं सदन के विभिन्न दलों के माननीय नेताओं ने तथा अन्य सदस्यों ने अपनी नजर से इस बात को ओझल कर दिया कि यह बजट जिसे हमारे योग्य वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है एक बड़ी योजना का हिस्सा है, उस बड़ी योजना का जिसके बनाने में देश के नेताओ का, प्लानिंग कमीशन का, विशेषज्ञों का और उच्चतर कोटि के अधिकारियों का समय व्यतीत हुआ है। साथ ही में उन व्यक्तियों ने भी इस योजना के आदर्शों के चलाने के विषय में अपने विचारों से हमें मदद पहुंचायी है। कौन नहीं जानता कि तीसरी योजना की रूपरेखा का कार्य १९५८ से प्रारम्भ हुआ। प्लानिंग कमीशन के सदस्यों ने बहुत सी कमेटियों के सदस्यों ने, विशेषज्ञों ने, एक ड्राफ्ट प्लान जुलाई १९६० में तैयार कर दिया और वह ड्राफ्ट प्लान पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया और उसके विषय में माननीय लोक सभा और राज्य परिषद् के सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये और उन विचारों के प्रकट करने के उपरान्त फिर से उन विशेषज्ञों ने अपने विचारों में जहां परिवर्तन करने की आवश्यकता थी उसमें परिवर्तन किया। और साथ ही में प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लोक सभा के विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत करके इस प्लान की रूपरेखा आखिरी तौर से लिखने का प्रबन्ध कराया। मैं जब ये बातें इस सदन के समक्ष रख रहा हूं तो मेरा तात्पर्य यह है कि जब हम उस नेशनल प्लान को अपनी नजर के सामने नहीं रखते हैं और उससे थोड़ा अलहैदा हो जाते हैं तो हम, पार्लियामेंट ने जो निर्णय, जो दृष्टिकोण प्लान बनाने के समय देश के समक्ष प्रस्तुत किये थे उससे अपने को दूर हटा लेते हैं। इसलिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष इस सरकार के द्वारा जो बजट इस सदन में प्रस्तुत होगा या अन्य प्रदेशों की सरकारों के द्वारा अपनी अपनी विधान सभाओं में प्रस्तुत होगा, वह तो उस बड़ी योजना का एक हिस्सा होगा, जो कि योजना सारे देश ने पार्लियामेंट के द्वारा मान कर रखी है और जिसे कार्यान्वित करना प्रत्येक नागरिक का परम और पुनीत कर्त्तव्य है। यदि आज ही बजट को अलहैदा से सोचें विचारें और उसे इस बड़ी योजना का हिस्सा मानकर न चलें तो हमारी एक बड़ी भारी भूल होगी, एक बड़ी भारी गलती होगी क्योंकि तब तो हम यह सिद्ध करेंगे कि हम नेशनल प्लान को

मानते ही नहीं हैं और जब हम इसे मानते नहीं हैं तो हमें अधिकार है कि हम किसी भी प्रकार के विचार इसके संबंध में व्यक्त करें और फिर क्या हमने यह अनुभव नहीं किया कि इस योजना को बनाने में करीब-करीब सभी विचार वाले व्यक्तियों का योगदान रहा है। यदि इस थर्ड फाइव ईयर प्लान के बनाने में श्री थानू पिल्ले जो पी०एस०पी० के नेता हैं और केरल के मुख्य मंत्री हैं, वे योगदान दे सकते हैं और उन्होंने अपनी स्वीकृति इसके लिये प्रदान की है और यदि हमारे कांग्रेस के मंत्रियों में वह व्यक्ति जिसे हमारे कम्युनिस्ट साथी बहुत मानते हैं, श्री वी०के० कृष्णा मेनन, यदि वह व्यक्ति इस पर हस्ताक्षर कर सकता है, यदि वह व्यक्ति जो महात्मा गांधी जी के साथ रहा है और जो उनकी फिलासफी को प्रतिपादित करता है, मेरा मतलब श्री मन्नारायण से है, वह इसको प्रतिपादित कर सकते हैं तो हमारा सभी का परम पुनीत कर्त्तव्य है, कि हम इस पर गम्भीरता से विचार करें कि यह प्लान कैसा है ? क्या वह उस समाज को लाने की व्यवस्था करने जा रहा है जिसके लाने के लिये हमारी ख्वाहिश है, अभिलाषा है और तमन्ना है।

यदि ऐसे महान व्यक्ति इस प्लान को अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं, यदि अशोक मेहता जैसे व्यक्ति इसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं, जब कंसल्टेटिव कमेटी के द्वारा पार्लियामेंट के सदस्य उसमें बैठकर इस प्लान को स्वीकृत कर सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि आज उन दलों के नेतागण, जो उन नेताओं के पीछे चलते हैं, वे यदि ऐसी आलोचनायें और आपत्तियां करते हैं कि जो वास्तविकता से परे हैं, तो मैं यही कह सकता हूं कि वे अपने साथियों के विचारों के साथ, संगठनों के साथ न्याय नहीं करते हैं।

मैं समझ सकता हूं माननीय दुबे जी की आपत्ति को, क्योंकि वे प्लान में विश्वास नहीं करते हैं और व समाजवाद में यकीन नहीं करते हैं। मैं उनके विरोध को तो समझ सकता हूं लेकिन उनके विरोध को नहीं समझ पाता जो समाजवाद की रचना करना चाहते हैं, जो नये समाज की समाजवादी ढंग से स्थापना करना चाहते हैं, हमारे बीच में जब डाक्टर जेड०ए० अहमद और गेंदासिंह जी यह कहें कि यह प्लान और इसके अन्तर्गत जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, यह एक पैरासाइट बजट है, यह मुफ्तखोरों का बजट है, तो मैं हैरान हो जाता हूं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि यदि देश के विशेषज्ञ, योग्य अधिकारीगण और नेतागण जिन्होंने वर्षों देश की सेवा में व्यतीत किये हैं, देश को आजाद कराने में तरह तरह की यातनायें सही हैं, यदि वे नेशनल प्लान बनाते हैं और देश को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जिसमें ले जाने के लिये इस देश की जनता को वचन दे रखा है तो आज उनकी बनायी हुई योजना को यह कहा जाय कि पैरासिटिक योजना है, यह मुफ्तखोरों की योजना है और यह योजना उस दृष्टिकोण को प्रस्तुत नहीं करती जिसको वे व्यक्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो देश को शीघ्र ही उठता और उभरता हुआ देखना चाहते हैं और उस दरिद्रय की कहानी को हमेशा के लिये दूर करना चाहते हैं, जिस ने हम को सदियों से घेर रखा है। इसलिये मेरा यह नम्र निवेदन है कि जब हम इस साल के बजट को और अगले साल जो बजट प्रस्तुत हो उस पर विचार करने के लिये बैठें तो हमें बराबर उस नक्शे को अपनी नजर के सामने रख लेना चाहिये जिसकी तहत में इस योजना के आगे आने वाले चार वर्षों में अपने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति करना चाहते हैं, उद्योगों का निर्माण करना चाहते हैं, पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं और किसान के स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं, वह किसान जो सदियों से पिछड़ा रहा है, जिसने गुरबत में जीवन व्यतीत किया है और जो असली भारत को बनाने वाला है, जो असली भारत को जीवित रखने वाला है। उस दृष्टिकोण को हटा कर जब आलोचनाये की जायंगी तब यही होगा कि यह कहा जायगा कि यह सरकार बराबर डेफिसिट बजट पेश करती है इसलिय कि अधिक टैक्स लगाना चाहती है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्यों को इस बात का पता है या नहीं कि यह बजट उस योजना के अन्तर्गत बना है जिसको हमने मंजूर कर रखा है, और जिसकी घोषणा सारे देश में कर रखी है, जिस पर जगह-जगह पर प्रत्येक व्यक्ति ने अपने विचार प्रकट किये हैं। तो जब कभी अपनी राय दें तो वह राय हमारी उस सीमा के अन्दर

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

रहनी चाहिये जिसके तहत में रहना हमने स्वीकार कर रखा है। अगर हमने डैफिसिट बजट पेश किया है, तो क्या यह अनोखी बात है? क्या इस देश की बहुत सी प्रदेशीय सरकारें केंद्र की सरकार डैफिसिट बजट पेश नहीं करती है। क्या उनका डैफिसिट बजट वर्ष के अन्त में सरलप्स बजट में परिवर्तित नहीं हो जाता है? क्या पंजाब का बजट, महाराष्ट्र का बजट, बंगाल का बजट यदि डेफिसिट रहा हो तो साल के अन्त में क्या सरप्लस नहीं हो जाता? इन प्रदेशों के और केंद्रीय सरकार के तीन साल के बजटों को हम देखें तो हमें पता चलेगा कि अगर इस साल हमारा डेफिसिट बजट है तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? जिस तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और कार्य करना चाहते हैं, जिस तेजी के साथ हम योजनाओं को पूरा होते हुये देखना चाहते हैं वह तेजी इस बात की मांग करती है कि हम जिन उद्देश्यों को पूरा करने का निर्णय करें उन उद्देश्यों को वर्ष के अन्त तक पूरा करने की चेष्टा करें। परन्तु कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी चेष्टा विफल हो जाती है। आज एक योजना को पूरा करने में हमें कई चीजों को पूरा करना पड़ता है। मान लीजिये हमें कोई उद्योग लगाना है। उसके लिये पहले जमीन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके बाद हमें पावर की व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि उस योजना में कोई भारी मशीन बाहर से मंगानी है तो फारेन एक्सचेंज की व्यवस्था करनी पड़ती है। आज की इकानोमी में ये सारी चीजें किसी एक सरकार के हाथ में नहीं हैं। जैसे फारेन एक्सचेंज की बात है। अगर हमें समय से फारेन एक्सजेंज नहीं मिला, यदि केन्द्र की सरकार ने समय से फारेन एक्सचेंज के लिये सहयोग प्रदान नहीं किया, तो वर्ष के अन्त में वह रुपया जो उस पर खर्च होने वाला था वह बच जाता है। इस एक्सपैंडिंग इकोनामी में यह बात हमेशा होगी। जब कि वार फुटिंग पर हम कार्य करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी देश की उन्नति हो, पैदावार बढ़े, आमदनी बढ़े, लोगों को रोजगार मिले तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। माननीय दुबे जी ने बड़ी आपत्ति की और माननीय जेड०ए०अहमद साहब ने भी शिकायत की कि हम जानबूझ कर डेफिसिट बजट पेश करते हैं और महज टैक्स लगाने के लिये डेफिसिट बजट पेश करते हैं।

जहां तक टैक्स लगाने का विषय है यह सरकार उस जिम्मेदारी से भागती नहीं है जो टैक्स लगाने के सिलसिले में उसके कंधों पर पड़ती है। डेफिसिट बजट बना और वह नया टक्स लगाने का रास्ता तैयार करे, न यह उसकी नीति है और न यह उसकी पद्धति है। नया टैक्स हमें लगाना है, हम लगायेंगे, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। आज वह नया टैक्स लगाना कोई नयी चीज नहीं है। जब हमने साढे सात हजार करोड़ की योजना को सारे देश के ऊपर लागू करने का निर्णय ले लिया और उस योजना में सारे प्रदेशों ने, कहां-कहां पर साधन उपलब्ध होंगे, कहां कहां पर चीजों पर टैक्स लगाना पड़ेगा, इन सब चीजों को ब्योरेवार प्लानिंग कमीशन के सामने पेश कर दिया, उसके बाद प्लानिंग कमीशन ने, विशेषज्ञों ने, केंद्रीय सरकार ने, नैशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने और पार्लियामेन्ट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी तो फिर आज उस चीज से क्या कोई भाग सकता है? यदि आज हम इस प्रदेश में इस योजना को पूरा करना चाहते हैं, तो कौन नहीं जानता कि यह प्रदेश जैसा कि माननीय सदस्यों ने खुद कहा, अन्य प्रदेशों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है। जब प्लानिंग कमीशन के सामने उत्तर प्रदेश की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया तो प्लानिंग कमीशन ने इस बात की स्वीकृति प्रदान की कि उत्तर प्रदेश को दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में, आने-वाले जमाने में, अधिक से अधिक धनराशि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाय, जिसकी तहत में उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन दूर करने में आगे कदम बढ़ाया जा सके। ४९७ या पांच सौ करोड़ की योजना की स्वीकृति क्यों मिली, क्यों प्लानिंग कमीशन ने, उन विशेषज्ञों ने स्वीकार किया? इसी कारण कि वह महसूस करते थे कि यदि उत्तर प्रदेश तृतीय पंचवर्षीय योजना में तरक्की नहीं करेगा और अन्य प्रदेश के बराबर चलने की क्षमता नहीं पैदा करेगा तो वह आगे आने वाले वर्षों में पिछड़ा रहेगा और उसका पिछड़ापन यहां के नागरिकों के स्तर को ऊंचा

करने में बाधित होगा। इसीलिए ४९७ करोड़ की योजना को स्वीकृत किया। लेकिन एक शर्त के साथ स्वीकृत दी। वह शर्त यह थी कि उत्तर प्रदेश के निवासी और नागरिक स्वतः अपने पैरों पर खड़े हों, स्वयं अपनी शक्ति और त्याग और बलिदान द्वारा धनराशि उपलब्ध करें, जिससे यह ४९७ करोड़ की योजना कार्यान्वित की जा सके। इसीलिए प्लानिंग कमीशन ने यह कहा कि साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया तो केन्द्र की सरकार प्लान के तहत में दी हुई योजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण के रूप में और अनुदान के रूप में प्रदान करेगी और बाकी १४७ करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार को स्वतः अपने बूते पर अपने त्याग और अपने बलिदान से, अपने प्रदेश के निवासियों के त्याग और बलिदान से पूरा करना होगा। यह एक भारी जिम्मेदारी थी। १९६० के जुलाई के महीने में जब हमारे उस वक्त की गवर्नमेन्ट के मन्त्रि परिषद् के सदस्यगण और हमारे उस समय के मुख्य मंत्री प्लानिंग कमीशन से बात करने गये तो प्लानिंग कमीशन ने यह शर्त रखी कि हां, उत्तर प्रदेश को आगे तरक्की करने के लिये वह अधिक से अधिक धनराशि अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में देंगे, परन्तु उत्तर प्रदेश को भी उस धनराशि को पूरा करने में एक कदम उठाना पड़ेगा और उनका यह कथन था कि उत्तर प्रदेश का निवासी अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में कम मात्रा में टैक्स अदा कर रहा है। मैं आंकड़ों में इस समय नहीं जाऊंगा। मेरे योग्य वित्त मंत्री जी उन आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि हमने जो थर्ड फाइव ईयर प्लान की पुस्तिका आप सब के सामने रखी है, उसका आप अवलोकन करेंगे तो उससे स्वतः आपको विदित होगा कि उत्तर प्रदेश का निवासी अन्य प्रदेशों के निवासियों के मुकाबिले में कम टैक्स दे रहा है और अन्य प्रदेशों के निवासी कई वर्षों से अधिक टैक्स देते आ रहे हैं। यह बात तो रिज़र्व बैंक की जो इन्क्वायरी थी उससे भी सिद्ध हो चुकी है, टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी से भी सिद्ध हो चुकी है और अब इसके आंकड़े तो प्रत्येक माननीय सदस्य की मेज पर हैं ही। इस पुस्तिका में वह देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के निवासी उस मात्रा में टैक्स नहीं अदा कर रहे हैं। तो आज जब हम एक बड़ी योजना को मंजूर किए हुए हैं और एक बड़ी भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़े हुए हैं तो प्रत्येक इस प्रदेश के नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि यदि उस पिछड़ेपन को उसे दूर करना है तो तकलीफों में रहते हुए, परेशानियों में रहते हुए और मैं मानता हूं कि हमारे इस प्रदेश के निवासी, काफी तकलीफ में हैं, काफी परेशानी में हैं, परन्तु तकलीफ और परेशानी में रहते हुए भी उन्हें उस बोझ को अपने कन्धों पर ओढ़ना है जिसके द्वारा कि १४७ करोड़ की रकम या १०९ करोड़ रुपये जो नये टैक्सेज के द्वारा हमें इस प्रदेश में इकट्ठा करना है, वह इकट्ठा कर सकें और इस तरह से उस वचन को, उस दिये हुए वचन को पूरा कर सकें जो कि आज से दो ढाई साल पहले उस समय की सरकार ने केन्द्र की सरकार को दिया था और सही दिया था, क्योंकि प्रत्येक हममें से यह महसूस करता है कि यदि हम इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी उत्तर प्रदेश पीछे रह गया तो फिर उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में न तो जगह पा सकेगा और न वह खड़ा रह सकेगा और उसकी सारी एकोनामी बहुत पिछड़ जायगी।

मुझे दुख हुआ जब डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने यह फरमाया कि यह तो पैरासाइटिक बजट है। हम तो केन्द्र की सरकार से भीख मांगते हैं और वह चाहते हैं कि जो यह भीख मांगने की नीति है वह खत्म की जाय। मैं हैरान था, समझ नहीं पाया कि उनका मतलब इस कथन से क्या था? वह क्या चाहते हैं? आखिर केन्द्र की सरकार तो आज बहुत से उन टैक्सेज को इकट्ठा करती है इन्डाइरेक्ट ढंग से जिनको उत्तर प्रदेश का प्रत्येक निवासी देता है। केन्द्र की सरकार, एक फेडरल सरकार की तरह से उस को मान लेना चाहिए, एक फेडरेशन की सरकार की तरह से उसको मानना चाहिए और यदि उस सरकार के पास, यह प्रदेश की सरकार अपनी यह मांग प्रस्तुत करती है तो यह कौन सा कसूर करती है? कहां भिखारीपन का परिचय देती है? आखिर तो, दुनिया के और फेडरेशंस हैं, जहां फेडरल यूनियन्स हैं, वहां जो स्टेट्स उनके तहत में काम करती हैं उनको वह मदद देती हैं। फेडरल यूनियन्स के पास टैक्सेज के लगाने के बहुत से साधन होते हैं, जितनी उनके पास जरूरत होती है, जितना उन्हें काम होता है, उससे कहीं ज्यादा धन उनके पास होता है, तो उन्हीं का तो यह कर्त्तव्य होता है

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कि वह अपनी स्टेट्स को अधिक पैसा दें, जिससे जो स्टेट की अधिक आवश्यकता है वह पूरी की जा सके। जो कमियां और खामियां हैं वे पूरी की जा सकें। तो आज इस प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार के समक्ष यह कहती है कि यह प्रदेश लम्बा चौड़ा प्रदेश है और इसकी आबादी सारे प्रदेशों से बढ़ी चढ़ी है, इसकी आवश्यकतायें भी ज्यादा हैं और इसका पिछड़ापन भी जैसा कि प्लानिंग कमीशन स्वतः मंजूर करता है कि यह पिछड़ा हुआ है, तो आज इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिये क्या आज इस बात की आवश्यकता नहीं है ? जब समाजवाद की व्यवस्था लाना है, जब यह प्रदेश और प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है, जहां समाजवाद की व्यवस्था लाने के लिये हमें इस समय अधिक परिश्रम और प्रयास करना है तो उस सरकार का यह कर्त्तव्य है कि अधिक से अधिक धनराशि वह जुटावे जिससे जो वर्षों का पिछड़ापन है, वह हमारे बीच से हटे। तो यदि इस बजट के सम्बन्ध में प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने यह कह दिया कि जो फाइनेन्स कमीशन बैठा था और उसने जो सिफारिश की, जहां तक इन्कमटैक्स के हिस्से के मिलने की बात है और जो उन्होंने नीति बरती है और जो उन्होंने पैमाना अपना बनाया है उससे हमारे प्रदेश का नुकसान है तो उसमें कौन सी ऐसी बात है जिसे इस सरकार के वित्त मंत्री को नहीं कहना चाहिए। आखिर इस सरकार के वित्त मंत्री का कर्तव्य है कि यदि वह इतना लम्बा चौड़ा बजट पेश करता है, उसी योजना के तहत में तो वह उन कमियों की तरफ केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करे कि जो कमियां आज फाइनेन्स कमीशन को जो नीतियां हैं, उसकी जो सिफारिश हैं उनके करने से हमारे बीच में पैदा हो जाती हैं। जब प्लान बनाने लगा तो उसके लिये धन जहां से जुटाया जा सकता था और जहां से इकट्ठा किया जा सकता था वह तो इस प्रदेश की सरकार ने प्लानिंग कमीशन को बतला दिया। तो प्लानिंग कमीशन ने जब हमारे देश के लिये इतनी बड़ी योजना तैयार की और उसी योजना को कार्यान्वित करने के लिये यदि इस बीच में कोई ऐसी चीज हमारे सामने आये जिससे घाटा नजर आये तो क्या यह हमारा कर्त्तव्य नहीं है कि हम केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें।

डाक्टर अहमद ने कहा कि हम भीख मांगते हैं। फेडरल गवर्नमेन्ट की तरफ से या जो कांस्टीट्यूशन हमारा है उसके तहत में यदि कोई फाइनेन्स कमीशन नियुक्त होता है तो उस कांस्टीट्यूशन के तहत में हमें केन्द्रीय सरकार के समक्ष अपनी बात रखने का अधिकार है। तो यदि हमने अपनी बात को रखा जो हमारे बीच में कमी महसूस हुई उसको यदि हमने इस बजट के द्वारा प्रस्तुत करने की चेष्टा की तो हमने कोई भीख मांगने की बात नहीं की। हमने उस अधिकार को बरता जो हमारा अधिकार विधान के तहत में है। हमने उसी अधिकार को बरता है जो इस प्रदेश के नागरिकों के हित में इस सरकार को प्राप्त है। कौन नहीं जानता कि दूसरे फाइनेन्स कमीशन ने इस बात की सिफारिश की थी कि प्रदेश को इन्कम-टैक्स का हिस्सा किस तरह से बाटा जाना चाहिये। जैसा कि सब जानते हैं उन्होंने कहा था कि पापुलेशन की बेसिस पर ९० फीसदी हिस्सा प्रदेशों को दिया जाय और १० फीसदी कलेक्शन की बेसिस पर बाटा जाय लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि उत्तरोतर आगे आने वाले वर्षों में सारा इन्कमटैक्स का रुपया पापुलेशन की बुनियाद पर बाटा जाय न कि कलेक्शन की बुनियाद पर लेकिन हम सब ने देखा कि तीसरी फाइनेंस कमीशन ने नीति में परिवर्तन कर दिया। जो पहला निर्णय दूसरे फाइनेन्स कमीशन का था उसमें उसने परिवर्तन कर दिया। उन्होंने कहा कि २० फीसदी रुपया कलेक्शन की बेसिस पर इन्कम टैक्स का हिस्सा और ८० फीसदी पापुलेशन की बेसिस पर बाटा जाय। दूसरे कमीशन ने ९० फीसदी पापुलेशन की बेसिस पर बांटने की सिफारिश की थी और १० फीसदी कलेक्शन के आधार पर बांटने की सिफारिश की थी लेकिन उस सिफारिश के साथ जैसा कि मैंने कहा उन्होंने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि आने वाले वर्षों में यह सारा रुपया इन्कमटैक्स का रुपया, जो केन्द्रीय सरकार वसूल करती है, जितना हिस्सा प्रदेशों को बांटना है वह इन्कम टैक्स का हिस्सा पापुलेशन की बुनियाद पर बंटे। और आज हमारे हिसाब से इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि हम बहुत पिछड़े प्रदेश के रहने वाले हैं और यह कह कर कि कलेक्शन के आधार पर, बुनियाद पर इन्कम टैक्स का हिस्सा बाटा जाय यदि उस पैसे का बंटवारा किया जाता है तो वह उचित नहीं होगा। इस बात को सोचने

और समझने में भूल की जाती है। जिन प्रदेशों से कलेक्शन में अधिक रुपया मिलता है वे क्षेत्र ऐसे हैं कि जो आगे बढ़े चढ़े हैं और ऐसे क्षेत्र हैं कि जो तरक्की कर चुके हैं। वह ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां अधिक मात्रा में कमोडिटीज पर टैक्स लगा कर सरकार अधिक रुपया इकट्ठा कर लेती है। कौन नहीं जानता कि यदि कलेक्शन के आधार पर रुपया बांटा जाय तो ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां सेल्स टैक्स की आमदनी बहुत बढ़ी चढ़ी है, वहां की सरकारें सेल्स टैक्स से बहुत रुपया इकट्ठा करती हैं और वे उस रुपये की बुनियाद पर अधिक सुविधायें अपने क्षेत्र के लोगों को दे सकती हैं, लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश तो नहीं कर सकता। ऐसी बात उत्तर प्रदेश के लिये नहीं कही जा सकती। आज यहां वह हालत नहीं है। यहां सेल्स टैक्स से जो रकम इकट्ठा होती है उसकी मात्रा बहुत कम है। आज बंगाल, महाराष्ट्र ,गुजरात आदि में सेल्स टैक्स से जो रुपया इकट्ठा होता है उसमें और हमारे यहां जो रुपया इकट्ठा होता है उसमें बहुत अंतर है और यदि दस परसेंट की बुनियाद पर वे अधिक रुपया पा लें तो वहां के नागरिकों को अधिक सुविधायें मिल सकती हैं और जो प्रदेश पिछड़े हुए हैं उनका पिछड़ापन तेजी के साथ मिट नहीं सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत बड़ी आपत्ति इस विषय में की गयी और कहा गया कि यह पैरासेटिक बजट है, यह भीख मांगने वाला और मुफ्तखोरी का बजट है। मैं नम्रता से इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह न तो भीख मांगने वाला बजट है और न पैरासेटिक बजट है, यह बजट है जरूरतों को पूरा करने वाला, उन अभिलाषाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला, जिनकी घोषण हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सारे देश के समक्ष कर रखी है। उत्तरोत्तर उस घोषण के अन्तर्गत हम कार्य करना चाहते हैं। इस तृतीय और चतुर्थ योजना के अन्तर्गत हम उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं कि जिस दिशा में चल कर जो हमारी आज दुर्गति है, जो गरीबी है, वह जल्द से जल्द हमारे बीच से हटे।

यह कहा गया कि यह पैरासेटिक बजट है। मैं नहीं समझता कि यह कैसे पैरासेटिक बजट है। यदि इस साल के बजट का हम अध्ययन करें जो इस योजना के अन्तर्गत है और यदि इन आंकड़ों की तरफ हम नजर डालें कि जो हम विभिन्न मदों में व्यय करने वाले हैं तो उससे हमें पता चलेगा कि यह बजट पैरासेटिक बजट है या उन लोगों की सेवा में इस्तेमाल होने वाला है जो इस देश के कामन मैन हैं, जो इस देश का पिछड़ा वर्ग है, जो इस देश का सदियों से सताया हुआ व्यक्ति है। इस बजट के अन्तर्गत हम ६ करोड़ रुपया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर, ८ करोड़ रुपया माइनर इरिगेशन पर, ११ करोड़ रुपया कम्युनिटी डेवलपमेन्ट पर, दो करोड़ रुपया कोआपरेटिव मूवमेंट और उसके डेवलपमेन्ट पर, १० करोड़ रुपया मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर, १२ करोड़ रुपया पावर प्रोजेक्ट्स पर और ३ करोड़ रुपया स्माल इंडस्ट्रीज पर, ७ करोड़ रुपया एजूकेशन पर, २ करोड़ रुपया टेक्निकल एजूकेशन पर, ६ करोड़ रुपया मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज पर, १ करोड़ रुपया हाउसिंग पर, २ करोड़ रुपया सोशल वेलफेयर और बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर पर, १ करोड़ रुपया लेबर और लेबर वेलफेयर पर खर्च कर रहे हैं और इस योजना के अन्तर्गत हम यह करने वाले हैं अलावा उन रकमों के जिन रकमों को हम वर्षों से उन्हीं क्षेत्रों में खर्च करते रहे हैं। यह तो हमारे नार्मल बजट का एक हिस्सा है। तो क्या इन तमाम खर्चों के ब्यौरों को देखते हुए कोई यह कहने की धृष्ठता कर सकता है कि यह उन लोगों की सेवा में व्यय होने वाला है, उनकी तरक्की के लिये, उनके विकास के लिये, जिनको कि हम तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और जो हमारा प्रथम कर्त्तव्य है, नहीं है और उससे उन लोगों का विकास नहीं होगा। आखिर को हमने योजनाओं को मंजूर किया है, आखिर को हमने इस बात का फैसला किया है कि १०-१५ वर्षों के अन्दर जो आज विभिन्न स्तरों में असंतुलन है उसको कम करें। तो वह कैसे होगा? वह क्या बातों से होगा? आलोचनाओं से होगा? वह तो उन कार्यों से ही होगा जिन्हें करने में यह सरकार लगी हुई है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि बजट हमें उस दिशा में उत्तरोत्तर ले जा रहा है। यह नहीं कि हम ५ वर्षों में ही बेरोजगारी खत्म कर देंगे। माननीय गेंदासिंह अपने भाषण में कह रहे थे कि यह ६ लाख व्यक्ति पहले बेरोजगार थे और अब आने वाले वर्षों में उनकी संख्या और बढ़ेगी। तो हमने तो इन योजनाओं के होते हुये यह स्वीकार किया है कि हम यदि तृतीय योजना के सभी लक्ष्यों को पूरा भी कर दें, तब भी हम, जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है,

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

सब को रोजगार नहीं दे पायेंगे। लेकिन दो चार योजनाओं को पूरा करने के बाद अवश्य हम वह अवसर ला सकेंगे जब कि हम प्रत्येक नागरिक को रोजगार दे सकेंगे।

मेरे भाई मुझसे कह रहे हैं कि तब तक तो हम मर जायेंगे। तो आज जो हमारी इतनी बड़ी योजना है वह इस बात की दावत दे रही है कि प्रत्येक नागरिक को तकलीफ उठानी पड़ेगी, प्रत्येक को त्याग करना पड़ेगा, प्रत्येक को अपना खून देना पड़ेगा। यदि यह सब होने पर ही हम अपनी आने वाली औलाद के लिए वह सुविधा प्रदान कर सकेंगे और उनको सुखमय बना पायेंगे। इसके लिये यदि हमको तकलीफ झेलते हुए संसार से विदा भी होना पड़े तो हमें इसके लिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये। जो व्यक्ति आज इस आदर्श को मानने के लिये तैयार नहीं हैं, मैं उनसे यह नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वे नेशनल प्लान के जो उद्देश्य हैं उनसे परिचित नहीं हैं और वे उनसे दूर रहना चाहते हैं।

आपको देखना होगा कि आखिर दुनिया के और देशों ने कैसे विकास किया है, वहां पर निर्माण कैसे हुआ है? उनको भी तो तकलीफों से गुजरना पड़ा है और वर्षों तक लोगों को अनेक चीजों से वंचित रहना पड़ा है। वह कम्युनिस्ट भाई जो रूस के गीत गाते हैं, क्या वे उस जमाने की बातों को भूल गये जो रूस के किसानों ने उस समय उत्पन्न कीं। उन्होंने कितनी मेहनत की। क्या उन्होंने वर्षों तक अपने को उन चीजों से वंचित नहीं रखा। उन देशों को भी अपने देश के निर्माण में अनेकों परेशानियों से गुजरना पड़ा है। यदि आज हम अपनी इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को बना कर, देश के निर्माण में कार्य कर रहे हैं तो उसके लिये देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता को, प्रत्येक नेता को, दावत दे रहे हैं कि वे इन योजाओं को सफल होते हुए यदि देखना चाहते हैं तो उसमें विश्वास रखें। यदि वे यह समझते हैं कि जो योजना हमने बनाई हैं वह उन विशेषज्ञों ने, उन नेताओं ने बनाई हैं जो हमें उन्नति की ओर ले जाने वाली नहीं है तो हमें उनसे कुछ नहीं कहना है किन्तु यदि वे यह विश्वास करते हैं कि यह उन व्यक्तियों द्वारा बनाई गई है जो अपने देश का भविष्य गौरव मान देखना चाहते हैं और विशेषज्ञों ने इतनी मोटी मोटी पुस्तकें केवल यों ही लिखने का कष्ट नहीं किया है वरन कुछ आदर्शों को सामने रख कर इस कार्य को अपने ऊपर लिया है तो फिर हमार कर्त्तव्य है कि हम उनके उन विचारों से सहमत न रहते हुए उनके ऊपर गम्भीरता से विचार करें। तो मैं यह कह रहा था कि हमें यदि योजना को पूरा करना है और यह हमारे लिये कोई आसान चीज तो थी भी नहीं कि हम थोड़े ही समय के अन्दर सारे प्रदेश में सिचाई की व्यवस्था भी कर देते, बांधों की भी व्यवस्था कर लेते, शिक्षा के क्षेत्र में भी विस्तार कर लेते, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तरक्की कर लेते और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी भी सेवा कर लेते और विद्युत् को भी पैदा कर लेते, क्या यह सब एक साथ सम्भव था? कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश पिछड़ गया और पिछड़ गया अपनी कमियों के कारण, उसके पास न मिनरल रिसोर्सेज हैं और न कोई ऐसे साधन हैं जिनसे हम अपने ही साधनों से अपने प्रदेश की उन्नति कर देते।

एतराज किया गया कि करोड़ों रुपया कर्ज लिया जा रहा है और देश को गिरवी रखा जा रहा है। तो मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का सम्बन्ध है और उसकी क्रेडिट का सम्बन्ध है उसके असेट्स भी हैं। वह असेट्स आप को इन बजट की पुस्तकों में मिल जायगा। यदि हम कर्जा लेते हैं तो कोई कर्जा ऐसा हमारा नहीं है जिसके पीछे असेट न हो। शायद ३४० करोड़ का कैश कर्जा हमारे ऊपर है लेकिन उसी के साथ साढ़े पांच सौ रुपये के असेट्स भी हमारे पास हैं। यदि हम कर्जा कैपिटल खर्च के लिये लें तो इसमें कौन सी परेशानी है और कौन सी बुरी बात हम कर रहे हैं। यदि हम कर्जा लेकर आज फैक्टरियां लगाते हैं और अगर कोई पावर प्रोजेक्ट स्थापित कर लेते हैं और थोड़े समय में उस कर्जे से उसे चलाकर उससे मुनाफा करते हैं और उससे उस कर्जे को अदा कर देते हैं तो क्या यह कोई नुकसान की बात है? आखिर, दुनिया के अन्य देशों ने भी तो कर्जा लिया है और तरक्की के रास्ते ढूंढ़े हैं। जब आज हमारे पास कोई साधन नहीं है, ऐसी चीजें नहीं हैं जिनकी

बुनियाद पर फैक्टरियां कायम हो सकें, कल कारखाने लगाये जा सकें और यदि हमें उनको विदेशों से मंगाना पड़ेगा तो कर्जा लेकर ही तो मंगाना पड़ेगा और यदि है तो फिर इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए। हमारा देश गरीब है, हमारा प्रदेश गरीब है और जब हम कोई कर्जा लेकर कोई उन्नति की तरफ चलना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि कर्जा क्यों लेते हो? कर्जा तो हमारा ओवरसबस्क्राइव हो जाता है थोड़े दिनों के अन्दर यह तो हमारी साख है कि हम कर्जा लेकर कैपिटल खर्च करते हैं, चीजों का निर्माण करते जा रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। हम यदि कर्जा लेकर उद्योग धंधों को बढ़ा सकते हैं, पावर प्राजेक्ट्स को स्थापित कर सकते हैं और थोड़े समय में ही उस पावर के द्वारा उद्योग-धंधों को विकसित करते हैं और उद्योग धंधे ही क्यों यदि हम ऐग्रीकल्चर में भी उन्नति कर सकते हैं और लोगों को उस ओर आमंत्रित कर सकते हैं। आज ४७९ करोड़ में से १०७ करोड़ की योजना हमारी पावर प्राजेक्ट्स की इसीलिये है कि वह हमें किस दिशा में ले जाने वाली है। आज हमारे पास ४.२५ मेगावाट बिजली है, हम चाहते हैं कि हमारे पास बिजली अधिक मात्रा में हो क्योंकि आज उद्योग धंधे ही नहीं खेती में क्या बिना बिजली के हम तरक्की कर सकते हैं? हम कोई ट्यूबवेल चलाना चाहते हैं तो भी बिजली की आवश्यकता है। हम वहां और चीजें खेतों के ऊपर लगाना चाहते हैं तो भी बिजली की आवश्यकता है। तो जो हम योजना के अन्तर्गत जो अधिक बिजली पैदा करने की चेष्टा इस बजट की तहत में करना चाहते हैं तो उस दिशा में ले जाने वाली बात है जिधर चलकर इस देश के किसानों का स्तर ऊंचा किया जा सकता है। एक सवाल और उठाया गया–यद्यपि हमने कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया है कि हम देहात में टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जो टैक्स की व्यवस्था है यदि उसी व्यवस्था को हम रखना चाहते हैं तो फिर वह साधन उपलब्ध नहीं हो सकेंगे जिनको उपलब्ध करना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है। आज मेरे सामने आंकड़े हैं और उनके अलावा जो मैं हालत देख रहा हूं वह तो यह है कि आज जो इनडाइरेक्ट टैक्स केन्द्रीय सरकार लगाती है उसका बहुत बड़ा भार शहर में रहने वालों पर पड़ता है और कम भार देहात में रहने वालों पर पड़ता है। मिसाल के तौर में बतलाऊं। जैसा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया, मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस की ओर से इन्सीडेंस आफ इनडाइरेक्ट टैक्सेशन पर एक किताब छपी है, उसमें बताया गया है कि शहर में रहने वाले आदमी, जिसकी कि आमदनी एक रुपये से ५० रुपये तक है, उसको आज की हालत में ३५ फीसदी टैक्स देना पड़ता है जबकि इसी आय का देहात में रहने वाला व्यक्ति को १३ और १४ फीसदी के बीच में देना पड़ता है। यद्यपि आंकड़े मेरे सामने सन् १९५८–५९ के हैं .....

अनेक सदस्य—शहर के विशेषज्ञों ने आंकड़े तैयार किये होंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अगर ये विशेषज्ञ सभी झूठे हैं तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। देश के जो विशेषज्ञ हैं, वह देश के विषय की जानकारी रखते हैं और वह अपने विचार प्रकट करते हैं, उनके विचारों को आप स्वीकार नहीं कर सकते और कह सकते हैं कि उनकी बातें झूठी हैं तो आपको इस बात के कहने का अधिकार है, लेकिन जब आप उन्हीं आंकड़ों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं तो उनसे इस बात को सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया, तो उस समय तो व्यक्ति या विशेषज्ञ सच्चा और ईमानदार बन जाता है और जब हम उन्हीं व्यक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह झूठा व्यक्ति हो जाता है। मैं ऐसे तर्कों का उत्तर नहीं दे सकता।

तो मैं उस किताब से सदन के समक्ष कुछ पढ़ना चाहता हूं :—

"In 1953-54 urban households paid twice the proportion of consumer expenditure paid in indirect taxes by rural households. By 1958-59 the proportion paid by urban households became 2.1 times that paid by rural households. This implies that the increase in the relative burden on urban

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

households over the period was slightly more than the increase on rural households. While central excise was the greatest single contributor to the increase in the proportion paid by both rural and urban households, the relatively greater increase in the proportion paid by urban households was mainly due to sales taxes, which by and large fall on the urban households."

इसमें जो रेशियो दिया हुआ है ५८–५९ का वह इस प्रकार से हैं:—

आमदनी	रूरल	अरबन
एक से ५० रुपये तक	२.५	५.८
५१ से १०० रुपये तक	३.६	७.१
१०१ से १५० रुपये तक	४.१	८.०
१५१ ३०० रुपये तक	४.८	९.०
३०१ से ऊपर	६.९	१३.८

लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया यह दो साल के आंकड़े हैं। इसके बाद सेल्स टैक्स तथा और भी इनडायरेक्ट टैक्सेज़ बढ़ गये हैं, केन्द्रीय सरकार की ओर से भी टैक्स बड़े हैं। उनसे भी अरबन एरियाज़ में जो व्यक्ति रहते हैं उनके ऊपर अधिक टैक्स का बोझा पड़ा है। आज जो मजदूर फैक्टरी में काम करता है, उसको भी यह ड्यूटी देनी पड़ती है। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि लोगों के द्वारा यह बात अक्सर कही जाती है कि देहात में टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये। लेकिन यदि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें कभी भी इस निगाह से नहीं देखना होगा कि कोई आदमी शहर में रहता है अथवा देहात में देश के लिये कुरबानी का हिस्सा हरएक को बटाना होगा। कहा जाता है कि हम देहात में टैक्स लगाकर देहात के लोगों के खून को चूसना चाहते हैं तो क्या जो शहर का मजदूर जो देहात से आता है और जब उसको टैक्स देना पड़ता है तो क्या उसका खून नहीं चूसते हैं? शहर में ५१ रुपया से १०० रुपया तक के जो आदमी काम करते हैं उनको जो टैक्स देना पड़ता है, क्या उनका खून नहीं चूसते हैं? अतः हमें इन बातों पर विचार करते समय शहर और देहात के सवाल को सामने नहीं रखना चाहिये बल्कि केवल देश के निर्माण का सवाल ही सामने रखना चाहिये ताकि हम नयी आने वाली औलाद के लिये सहूलियतें पैदा कर सकें, उनके लिये शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार कर सकें, स्वास्थ्य और सुरक्षा में वृद्धि कर सकें सिंचाई बढ़ा सकें और पैदावार बढ़ा सकें तथा उद्योग धंधों को बढ़ा सकें। यदि ऐसे कार्यों को हमें पूरा करना है तो हमें यह बलिदान करना होगा। और अगर हमारे ये कार्य पूरे हो जाते हैं तो क्या देहात के आदमियों को उनसे लाभ नहीं होगा। देहात में जिस आदमी के पास आज पूरे समय काम करने को नहीं है, उसे आधे दिन का ही कार्य मिल पाता है, तो ऐसे उद्योग धंधों में उसी को तो कार्य मिलेगा। क्या उससे उनकी दिक्कतें रफा नहीं होंगी। यह हम तभी कर सकते हैं जब कि हम अधिक चर्चा करेंगे, अधिक उद्योग धंधों को लायेंगे।

पिछले वर्षों में हमारे प्रदेश में यह इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहा है। जिन प्रदेशों में ऐसे उद्योग धंधे सेंटर की ओर से लगाये गये उन प्रदेशों का स्तर हमारे प्रदेश से ऊंचा हो गया। पिछले सालों में सेंटर ने हमारे प्रदेश में भी ऐसे उद्योग धंधों को लगाने का प्रयत्न किया है और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार १०० करोड़ रुपये के ऐसे उद्योगों को लगाने की घोषणा की गयी है। जबकि अन्य प्रदेशों में करोड़ों रुपये के उद्योग धंधें लग गये हैं। जिनके द्वारा वहां के निवासियों को सहायता मिली है और उनको अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिली है। इसलिये हमें अधिक इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। लेकिन वह होगा कैसे? यह तभी होगा जब हम इसके लिये अपने कोष से अधिक धनराशि निकाल सकेंगे। यह तभी हो सकेगा जब कि हर एक नागरिक की इसमें मदद होगी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कार्य हम जगह-जगह

कर रहे हैं उनके सम्बन्ध में हममें से प्रत्येक का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि हम उनको इसी दृष्टिकोण से देखें कि वे कल के नागरिक के जीवन को सुधारने के लिये किये जा रहे हैं। हो सकता है ऐसा करने में बहुत से व्यक्तियों को परेशानी उठानी पड़े और उन परेशानियों को उठाते हुये वे इस दुनियां से चल भी बसें लेकिन जिस संस्कृति में हम पले हैं क्या हमने उस संस्कृति से यही सीखा है कि हम मौज में रहें चाहे हमारे बच्चों को अपना जीवन मुसीबत में व्यतीत करना पड़े। भारतवर्ष का कौन ऐसा पिता और मां नहीं है जिसकी यह ख्वाहिश न हो कि हम चाहे न खायें लेकिन हमारा बच्चा सुख से रहे? यदि हम उस संस्कृति में पले हैं तो हमें अपने बच्चों के लिये त्याग करना होगा। फिर ऐसे नागरिकों जिन्होंने बहुत से बच्चे पैदा किये हैं, जिन्होंने ऐसा करके अपने देश और प्रदेश की समस्याओं को बढ़ाया है, जिन्होंने इस प्रकार का पाप किया है, एक ही प्रकार से पाप का निराकरण कर सकते हैं कि वे अपनी उस तकलीफ को उठावें, अपनी उस परेशानी को झेलें और उन परेशानियों को झेल कर वे उस भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश को बनाने में अगुवाई करें जिस उत्तर प्रदेश का अगुवा बन कर वे देश की ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं, आगे आने वाली औलादों की समस्याओं को सुलझा सकते हैं और उन्हें समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। मैं और मेरे साथी जिन्होंने बजट को आपके सामने प्रस्तुत किया है, इस भावना को लेकर ही प्रस्तुत किया है।

आपने खर्च कम करने की बात कही। जहां तक मेरा अपना स्वतः विचार है, उस विचार के साथ मैं बराबर कार्य कर रहा हूं और कोई मिनट मेरा गलत दिशा में कार्य करने में व्यय नहीं होता। जब कोई नया प्रश्न, कोई भी जगह कायम करने का आता है या कोई नयी योजना ऐसी आती है तो उस सम्बन्ध में हमारे अधिकारी बराबर जांच करते हैं और मैं आपसे कहता हूं कि जो हमारे वित्त सचिव हैं वे उन योग्य अधिकारियों में हैं जो प्रत्येक योजना को आंकते हैं, तौलते हैं, इसमें काफी समय लगता है जिससे दूसरे विभागों के अधिकारी उनसे नाराज हो जाते हैं लेकिन वे सभी योजनाओं को तौल कर ही तैयार करते हैं, वे एक-एक चीज को देखते हैं। यहां पर वित्त मंत्री जी भी मौजूद हैं, उनकी सहायता और सहयोग से प्रदेश अवश्य ही उस दिशा में बढ़ेगा जिस दिशा में चलने के लिये सदन कहता हूं ताकि कोई फिजूलखर्ची या धन का अपव्यय न हो। हम कहां चाहते हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया ऐसी चीजों पर व्यय हो जिसका फायदा जनता को न पहुंचे। हो सकता है कि भूलें हों, गलतियां भी हों, कभी कभी अपव्यय भी हो जाता है लेकिन विरोधी पार्टी का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उन गलतियों को हमें बतलायें ताकि उससे हमारी जानकारी बढ़े, उससे प्रेरणा व प्रोत्साहन भी मिले और जहां गलतियां हो रही हैं या ऐसी चीजें हो रही हैं, उनको रोका जा सके। हम उस दिशा में चलने की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ कर रास्ते की कठिनाइयों को दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं।

दुबे जी ने कहा कि हमने कई कमिश्नरों के पद बढ़ा दिये। मैं आपसे कहता हूं कि जहां तक कुछ कमिश्नरों के बनाने का विषय है, यहां एक बड़ी दिक्कत हमारे सामने यह है कि जो योग्य अधिकारी यहां कार्य कर रहे हैं उनके लिये केन्द्र में जगहें खाली हैं। जो यहां का जूनियर आफिसर है वह केन्द्र में जाकर ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाता है और जहां वह ज्वाइंट सेक्रेटरी बना कि उसे कमिश्नर की तनख्वाह मिलने लगती है। अब यहां का कोई योग्य अधिकारी है, जैसे मान लीजिये कि हमारे वित्त सचिव हैं जिनकी कई दफा सेंट्रल से मांग आ चुकी है, उनको वहां एप्वाइंटमेंट मिल चुका है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे के लिये और इस तरह से वहां उनको जाने पर २,२५० रु० तनख्वाह मिलेगी। अब हम अपनी आवश्यकता को समझ कर इनको यहां रखना चाहते हैं तो इसमें क्या आपत्ति की बात हो सकती है जबकि एक बड़ी जगह उनको मिल रही है। ऐसे आदमी को अगर कुछ अधिक एमालुमेंट्स देकर रखना पड़े, अपने प्रदेश के हित में रखना पड़े और उसके लिये अधिक वेतन देकर भी रखना पड़े तो हमें इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिये आपत्ति की जा सके। दूसरी बात यह है कि जब हमने ४० हजार रुपये की बचत की वहां ९ हजार रु० दो तीन आदमियों पर खर्च भी हो जाय तो इसमें क्या बात है। साथ ही कोई हमेशा के लिये हम यह चीज नहीं करने जा रहे हैं। हमारे कई आफिसर तो सेंट्रल पुल में हैं जिनको वहां से बुला लिया जाता है। ऐसी हालत में यदि हम किसी का प्रमोशन करते हैं या किसी की तनख्वाह

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

में कुछ वृद्धि करते हैं तो वह इसलिये नहीं करते हैं कि हम उसकी तनख्वाह में महज यों ही वृद्धि कर देते हैं। अपनी जरूरत और आवश्यकता को देखते हुये ही ऐसा करते हैं। साथ ही ४० हजार की बचत में से जो ९ हजार रु० तीन व्यक्तियों पर खर्च करने जा रहे हैं वह भी आगे के महीने से नहीं होगा क्योंकि दो व्यक्तियों में से एक तो फर्टिलाइजर फैक्टरी के कमिश्नर बना दिये गये हैं और दूसरे लेबर ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं। इसलिये यदि ऐसा करना पड़ता है तो उसका एक व्यावहारिक दृष्टिकोण होता है। यदि आज हमें अपने यहां अच्छे योग्य व्यक्तियों को रखना है तो उन्हें सन्तुष्ट रखना है और संतुष्ट रखकर ही उन से काम लेना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —आप लोग खामोश रहें और शांति से सुनें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं तो मितव्ययिता की बात सब से कहता हूं लेकिन अगर केन्द्रीय सरकार हमारे ही अधिकारियों को स्वयं अधिक वेतन देकर बुलाती है तो हमारी दिक्कत बढ़ जाती है और मैं कहूंगा कि साल भर से जब से यह वित्त सचिव केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगे जा रहे हैं हमने उनको नहीं दिया, वहां उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया लेकिन हमने कहा कि हम उनको अभी नहीं दे सकते और फलतः वह साल भर से उसी वेतन पर यहां हैं जो उनको मिलता रहा है, इधर दस १५ दिन से साल भर के त्याग के बाद हमें उन को थोड़ी सी वृद्धि स्वीकार करना पड़ी।

फिर भी यह हम नहीं कहते कि हमारे विभागों से गलतियां नहीं होतीं और न हमारा यह दावा है कि हम से भूलें नहीं हुई हैं। वह बराबर होती रहती हैं लेकिन हमें उन के ऊपर काबू पाना है और हम इसे अपने कर्त्तव्य समझते हैं कि आप के सुझावों के द्वारा और आप के द्वारा दी गई जानकारियों के द्वारा जो आप समय समय पर हमें देते रहते हैं—हम आप को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम उन सुझावों का आदर करते हुये, जहां तक उन को कार्यान्वित किया जा सकता है बराबर हमारी यह चेष्टा रहेगी हम उस दिशा में चलें जिस से अधिक से अधिक मात्रा में हम प्रदेश की जनता को और आप को सन्तोष दे सकें। और, उस को देकर आप के द्वारा आप का सहयोग पा सकें जिसकी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये अधिक आवश्यकता है और जिस के द्वारा हम प्रदेश की जनता की सेवा के कार्य को कार्यान्वित कर सकें और कदाचित् जिस की सेवा कर के हम एक और माइल स्टोन देश की प्रगति की दिशा में रखेंगे। मैं और अधिक न कहते हुये आप के द्वारा सदन को विश्वास दिलाता हूं कि अभी मेरे बाद हमारे योग्य वित्त मंत्री जी आपके सम्मुख बहुत से प्रश्नों का उत्तर देंगे जिनके ऊपर कि आप चाहते हैं कि वह प्रकाश डालें।

एक सदस्य—लैन्ड रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—लैन्ड रेवेन्यू बढ़ाने के बारे में अभी तो कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अभी उस विषय पर हम विचार कर रहे हैं लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह कह देना चाहता हूं कि देहात में जो व्यक्ति रहते हैं वह टैक्स से बरी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है और न इस सरकार की ऐसी नीति है और न यह हो सकेगा। इस योजना को जब देश ने मंजूर किया है तो उसमें साफ तौर पर यह बात घोषित की गई है कि १०९ करोड़ रुपया इस योजना के लिये हमें एकत्रित करना होगा वह रुपया देहात से भी इकट्ठा होगा, शहर से भी इकट्ठा होगा, मिलों में काम करने वालों से, सचिवालय में काम करने वालों से, गांव के रहने वालों से सभी से इकट्ठा होगा, पढ़े लिखे और अनपढ़ सब से इकट्ठा होगा। और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हम अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना में सफल हो सकते हैं। हमने अपने को बचनबद्ध किया है कि हम योजना को सफल बनायेंगे, जब तक हमें आप का और जनता का विश्वास प्राप्त है हमारी बराबर यह चेष्टा रहेगी कि एक एक चीज जिसको पूरा करने का हमने इस योजना में व्रत लिया है उसको हम पूरा करें और पूरा करने के बाद प्रदेश के निवासियों के स्तर को ऊंचा करें।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि लोग डेफिसिट बजट पर एतराज करते हैं। हो सकता है कि डेफिसिट बजट पर एतराज न किया जा सके। किन परिस्थितियों में वह अच्छा होता है यह देखने की बात है। हो सकता है अगर हमारा डेफिसिट बजट है तो हमारे रिसोर्सेज सूख गये हैं या नहीं यह भी देखा जाय। यह कि हम और टैक्स लगा सकते हैं या नहीं यह देखने की बात होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि जिनके पास बाल-बच्चे हैं वह त्याग कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह बात याद आई कि माननीय मुख्य मंत्री जी कदाचित् उस त्याग को इतना आसान न समझ लें जितना कि वह समझ सकते हैं जिन के बाल-बच्चे हैं। अच्छा होता उनकी जगह कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसके कि बाल-बच्चे होते।

उनके कथनानुसार यह प्लान का युग है और यह प्लान का बजट है। बजटिंग के सम्बन्ध में कुछ कहना मुश्किल काम है। तो ऐसा देखा गया कि हमारी सरकार की नीति पता नहीं कैसी है, ऐक्सपेंसेज़ की फेंजिग नहीं हुई। जैसी कि बजट की फेंजिग हुई उस तरह से खर्च की फेंजिग नहीं हो पायी। यह तय नहीं हो पाता कि अमुक समय में यह कार्य किया जायगा और इतना खर्च होगा। इसके कारण बड़ी गलतियां हो गई हैं। उसको इस दृष्टि से देखें, इस बजट को देखने के पहले इसका मूल्यांकन इसलिये नहीं हो सकता कि अभी वह कार्यान्वित नहीं हुआ। इसका मूल्यांकन करने के पहले पुराने बजट को देखें तो उसमें बहुत से दोष पायेंगे। वह बजट भी दोषपूर्ण रहा और अगर वह अनुभव सही है तो सरकार ने उससे लाभ नहीं उठाया।

बजट बनाने की एक प्रणाली है। ऐप्रोप्रिएशन एकाउन्ट १९५९-६० और आडिट रिपोर्ट १९६०-६१ और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है बजट बनाने में जो मापदंड रखा जाना चाहिये, जो मौलिक सिद्धांत दृष्टि में रखना चाहिये उस पर ध्यान नहीं दिया गया। वह सिद्धांत यह हैं, पहली बात तो यह है कि बजट बनाते समय एस्टीमेट्स करेक्ट होने चाहिये।

(लाल बत्ती जलने पर।)

श्रीमन्, ५ मिनट में और चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष---७ मिनट का समय तय हो गया है। अब आपके २ मिनट और हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---तो एस्टीमेट्स करेक्ट होने चाहिये। दूसरे जिस काम के लिये वह रुपया लिया गया है उसी में खर्च होना चाहिये। तीसरे यदि कोई सेविंग हो गया तो उसे वापस करना चाहिये और चौथे ऐक्सपेंसेज़ पर कंट्रोल होना चाहिये। यदि इस दृष्टि से ऐप्रोप्रीएशन एकाउन्ट्स को देखते हैं, ऐस्टीमेट्स देखते हैं तो ५० में से ४० ग्रान्ट्स ऐसी हैं जिनमें भारी बचत हुई, जितना रुपया ग्रान्टेड था उसमें भारी बचत हुई। इसी प्रकार से ५२ वोटेड ग्रान्ट्स में से १० ऐसी हैं जिनमें बहुत अधिक खर्च हुआ, इसे आप १९ पेज पर देख सकते हैं। इसी प्रकार इर्रीगेशन और इलेक्ट्रिसिटी में देखें, इर्रीगेशन में ५२.५५ और इलेक्ट्रिसिटी में ६६.७ परसेंटेज रहा है। इसी प्रकार ऐक्सपेंसेज़ को देखें। उन पर कोई कंट्रोल नहीं, इस सम्बन्ध में आप ऐप्रोप्रीएशन रिपोर्ट के पेज १९ को देखें जिसमें ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एक योजना थी जिसके अनुसार पहले ६,२९,३५७ रुपया खर्च करने को कहा गया तीन वर्ष में। लेकिन वह योजना पूरी की गई १३ लाख कुछ हजार रुपये में। दूसरी तरफ ७० लाख रुपये के कापर कंडक्टर खरीदने थे, लेकिन वह रुपया पूरा खर्च नहीं हुआ, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। इसी तरह से जो एड दी गई लोगों को उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स १०, १० साल तक नहीं लिये गये और लाखों रुपयों का हिसाब नहीं। इसलिये यदि खर्चे पर कंट्रोल किया जाय, यदि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

ऐप्रोप्रियेशन को देखा जाय, यदि ऐस्टीमेट्स करेक्ट बनाये जांय तो मैं समझता हूं डेफिसिट बजट का प्रश्न बहुत कुछ दूर हो जाय । इसके लिये मेरे सुझाव ह कि अगर किसी अधिकारी ने ऐसा कार्य किया कि ५ रुपये की जगह ५० रु० खर्च कर दिया, या ५० रु० की जगह ३० रु० खर्च किया, स्कीम ऐसी उन्होंने सामने रखी जिसको कार्यान्वित नहीं किया और रुपया ले लिया तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन क्यों नहीं लिया ? अगर ऐक्शन लिया जाय तो इसका सेल्यूटरी असर पड़ता है ।

दूसरी बात यह कि एक ऐसा फाइनेंशियल ऐडवाइजर होना चाहिये हर मुहकमे में जो पीरियाडिकल चेकिंग करे, जो फाइनेंस विभाग और वर्किंग विभाग में कनेक्टिंग लिंक रहे तथा जो प्रोग्रेस रिपोर्टस् काम की आती है उनको देखें और यह देखे कि कहां तक काम हुआ है और कहां तक खर्च किया। तो इसका नतीजा यह होगा कि ऐस्टीमेट्स करेक्ट बनेंगे, अधिक खर्चा नहीं होगा, आदमी उतना ही रुपया लेगा जितना खर्च कर सकता है और कोई काम अधूरा भी नहीं रहेगा । मैं समझता हूं कि अगर एक हाई पावर इकोनामी कमेटी बना दी जाय तो इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है । अगर मेरे बताये हुये सुझाव अमल में लाये जायेंगे तो खर्चा भी सही होगा, अधिक खर्च नहीं होगा, ऐस्टीमेट्स सही बनेंगे, काम समय में पूरा होगा, बचत भी नहीं होगी और जो सरप्लस का क्वेश्चन आता है वह भी खत्म हो जायगा और अधिक टैक्सेज लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी जिनके बारे में आज कहा जा रहा है ।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, मैं आपके प्रति नम्रतापूर्वक आभार प्रकट करता हूं और बधाई देता हूं कि ५ दिनों तक इस बजट पर जो वादविवाद इस माननीय सदन में हुआ, उसे जिस शांति और नियंत्रण के साथ, जिस सुनियत और जिस सौहार्द से आपने संचालित किया उसके लिये हम सब आपके कृतज्ञ हैं । श्रीमन्, मैं इस आदरणीय सदन के समस्त माननीय सदस्यों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ अपनी सहमति प्रकट करता हूं जिन्होंने सरकार की ओर से उन सब माननीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जिन्होंने इस बजट के वादविवाद में भाग लिया । श्रीमन्, मैं स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्होंने इस वादविवाद में भाग लेकर उन बहुत से प्रश्नों का उत्तर दिया जिन्हें माननीय सदस्यों ने यहां प्रस्तुत किया था और इस प्रकार मेरे भार को हल्का कर दिया,बहुत सी बातों का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं दे दिया और पुनः उनकी आवृत्ति मैं करूं यह सदन का बड़ा बहुमूल्य समय व्यर्थ ही अपव्यय करना होगा ।

मैं आपकी आज्ञा से कुछ थोड़े से विषयों की चर्चा करूंगा और उन थोड़े से प्रश्नों को सम्मुख रखूंगा जो मेरे मन में इस सदन के वाद विवाद के सुनने के बाद उत्पन्न हुये हैं । श्रीमन्, नव-निर्वाचित विधान मण्डल का और इस विधान सभा का यह पहला वर्ष है जिसमें मुझे इस सरकार के पहले बजट को प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । मैं १९३७ से इस सदन का सदस्य हूं । प्रायः २५ वर्ष हो गये इस सदन की सदस्यता करते हुये । अनेक बार बजट यहां प्रस्तुत होते रहे हैं और उन पर होने वाले विवाद को सुनने का अवसर मिला है । यदाकदा उस वाद विवाद में भाग लेने का भी अवसर रहा है । फिर, श्रीमन्, मैं अपनी पूरी नम्रता के साथ और अपना पूरा आभार प्रदर्शित करते हुये इस आदरणीय सदन के प्रति और आपसे क्षमा चाहते हुये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विचारों की विशृंखलता, अव्यवस्था, लक्ष्य की हीनता और अस्पष्टता का जैसा उदाहरण इस बार मिला वैसा इससे पहले कभी नहीं मिला । मेरी समझ में नहीं आया कि विरोधी दल की एक बेंच पर हमारे भाई दुबे जी महाराज बैठे हुये हैं और वहां से घूमते हुये अर्द्ध-चन्द्राकार स्थान के इस अन्तिम कोने पर जहां हमारे भाई चन्द्रजीत जी बैठे हुये हैं, डाक्टर अहमद साहब बैठे हुये थे । एक कोना उन्होंने संभाला और एक कोना डाक्टर अहमद साहब ने संभाला और दोनों ही अव्यवस्थित और अस्पष्ट विचारों के ऐसे स्त्रोत बने कि मेरी बुद्धि चकरा गयी ।

श्रीमन्, आखिर सरकार का बजट हमारे सम्मुख पेश है । उचित यह था कि हमारे जो प्रश्न हैं, जो समस्यायें हैं उन पर आदरणीय सदन और माननीय सदस्य, विशेष कर के हमारे विरोधी दल के नेतागण और सदस्यगण विचार प्रकट करते और हमारा मार्ग दर्शन करते । आवश्यकता इस बात की थी कि जो समस्या है उस समस्या का क्या समाधान हो, इस विषय में अपने स्पष्ट विचारों को सामने रखते और कदाचित उससे प्रदेश की प्रगति का मार्ग कुछ प्रशस्त होता । पर हुआ क्या ? मान्यवर, यही समझ में नहीं आया कि किस लक्ष्य को लेकर यह बहस हुई । केवल उसका तात्पर्य और अर्थ यह था कि जैसे भी हो तैसे जहां सूचिका प्रविष्ट न होती हो वहां मूसल प्रवेश कर दिया जाय । अगर इस विचार से यह विवाद हुआ, श्रीमन्, तो यह बड़ा सफल हुआ । और यदि इस विचार से विवाद हुआ कि एक ऐसा सुन्दर चित्र बनाया जाय जिसमें दोष न रहें, जहां कमियां हों उनका परिहार हो और प्रदेश की प्रगति के लिये एक उत्साहवर्द्धक चित्र बने जिसे लेकर के इस प्रदेश की जनता, जिसके हम और आप सब प्रतिनिधि हैं, अग्रसर हो सके तो इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई ।

श्रीमन्, इस बजट को किसी ने कहा कि यह निराशाजनक बजट है, किसी ने कहा कि दिवालिया बजट है, राजा साहब मनकापुर बैठे हैं । सम्भव है कि प्रदेश का दिवाला पिटा हो और सम्भव है लोगों के दिमागों का दिवाला पिट गया हो । हमारे भाई, अहमद साहब की समझ में यह मुफ्तखोर या पैरासाइट बजट है । हमारे एक भाई सोशलिस्ट पार्टी की बेंचेज से उठे, उन्होंने तो ऐसी संज्ञा प्रदान की इस बजट को कि जो मुझे पहले कभी सुनने को नहीं मिली थी । उन्होंने कहा कि यह मूर्खतापूर्ण बजट है । जिस पांडित्य के साथ उन्होंने अपनी विद्वता का परिचय इस सदन में दिया उसका मैं क्या उत्तर दे सकता हूं ? किसी ने कह दिया कि समाजवादी बजट नहीं है । श्रीमन्, किसने दावा किया है कि यह समाजवादी बजट है ? कहां दावा हुआ है ? हमारे भाषण में राष्ट्र के सम्मुख जो दो लक्ष्य हैं उनकी ओर निर्दिष्ट किया गया है । एक लक्ष्य है धर्मनिर्पेक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के आधार पर शासन पद्धति की स्थापना और दूसरा लक्ष्य राष्ट्र का यह है कि एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण इस लोकतंत्रात्मक संसदीय जनहितकारी शासन की छत्रछाया में किया जाय जो समाज को समाजवादी स्वरूप प्रदान कर सके जिसके भीतर रह कर के शोषण और अवसरों की हीनता से प्रत्येक नागरिक बच सके और समान अपनी उन्नति के अवसर प्राप्त कर सके, आर्थिक और सामाजिक विषमता का परिहार हो । (व्यवधान) आप बोलते बहुत हैं मैनेजरसिंह जी । यह यहां की पद्धति के विरुद्ध है । जब आप बोल रहे थे मैंने बीच में टोका नहीं । इसमें किसी दल और व्यक्ति का सम्मान नहीं बढ़ता, मान्यवर । मैं बोल रहा हूं, आप सुनिये ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह लक्ष्य है राष्ट्र का । इस लक्ष्य को राष्ट्र ने स्वीकार किया और इसे मूर्तिस्वरूप प्रदान करने के लिये देश की जनता ने पिछले १०-१२ वर्षों से कांग्रेस के ऊपर भार डाला है । वह लक्ष्य हम पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास की अभिव्यक्तियां हमारी पंचवर्षीय योजनायें हैं । यह हमने कहीं नहीं कहा कि यह समाजवादी बजट है । समाजवादी बजट आता है जब समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो जाय और इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनियां के पर्दे पर कहीं भी आज समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हुई है । जो समाजवाद का सब से बड़ा गुरु, आचार्य और संदेशवाहक बनता है-रूस वहां भी आज सम्पूर्णतया समाजवादी व्वयस्था स्थापित नहीं हुई है क्योंकि मार्क्स के सिद्धान्त के अनुसार जिस दिन पूर्ण समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो जायगी वह स्टेट व्हिदर अवे कर दो जायगी । आज वहां दुनिया का सब से जबरदस्त केन्द्रीभूत शस्त्र और शक्ति के ऊपर स्थापित प्रचंड शासन सत्ता स्थापित है जिसकी छत्र छाया के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वातंत्रय और विचारों की भी स्वतंत्रता नहीं है । अगर वहां पर सम्पूर्ण रूप में ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती तो वहां की सरकार ही लुप्त हो गई होती । यह मार्क्स ने स्वयं ही कहा है । चीन में भी नहीं है । हमारे देश में तो अभी बहुत दूर है । समाजवाद कोई आसमान से टपकने वाली व्यवस्था नहीं है । हर चीज को समाजवादी व्यवस्था कह देना, हमारे घर पनाला नहीं

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

बना और तुम कहते हो समाजवादी व्यवस्था, हमारे गांव में ड्रेन नहीं बने और तुम कहते हो समाजवादी व्यवस्था। जितने दुनिया के काम हैं सबको समाजवाद कह देना, समाजवाद के यह अर्थ नहीं है। यह क्या कोई अनाथालय है? यह एक दर्शन है, यह एक जीवन की व्यवस्था है जिसके आधार पर समस्त समाजवाद की स्थापना होती है। जीवन की और समाज के और जीवन के आंकने के मूल्य होते हैं, वह बदलते हैं और दृष्टि बदलती है। समाज की समस्त व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक तथा जीवन के समस्त लक्ष्य के संबंध में जो मूल होते हैं वे बदलते हैं। रूस ने पीढ़ी बदल दी, ब्रेन वाश किये और जीवन के प्रत्येक पहलू पर नियंत्रण किया तब भी वहां पर समाजवादी व्यवस्था नहीं हो सकी।

हमारे भाई भानुप्रतापसिंह जी बैठे हैं, उन्होंने गांधी जी का नाम दो तीन बार लिया। अरे भाई इस अभागे को भी उनके पीछे चलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मालूम नहीं आपने कितने दिन उनका साथ दिया है यह तो एक अभागा है जो १५ वर्ष उनके पीछे रहा है, जब तक वे जीवित रहे हैं और आज भी उनका नाम लेता है। वे गांधी जी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि पंडित नेहरू जी का समाजवाद क्या है? उन्होंने कहा कि डाक्टर राममनोहर लोहिया जी का समाजवाद है, गेंदासिंह जी का है और हमारे डाक्टर जेड०ए० अहमद साहब का दूसरा है और उन्होंने पूछा कि नेहरूजी का समाजवाद कैसा है? नाम गांधी जी का लेते हैं और नेहरू जी का समाजवाद पूछते हैं। यह देश के इतिहास के प्रति अज्ञान का परिचय है। हमारे देश में कोई पूंजीवाद व्यवस्था कायम नहीं हुई। स्वयं डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने कहा कि समाजवाद पूंजीवाद के बाद आता है। अभी भी मार्क्स वाली बात उनके दिमाग को पकड़े हुये हैं। हमारे भाई ऊदल जी ने कहा कि पंडित नेहरू जी ऐसे हैं जब चाहे समाजवाद को पूंजीवाद में बदल दें और जब चाहे पूंजीवाद को समाजवाद में बदल दें। हमारे पंडित जी की बात तो आपने समझ ली। अब आप मेरी बात सुनते चलिये। आपकी बात मैं क्या कहूं? जो महान पंडित होता है, वही छोटे पंडितों की पंडिताई समझता है। आप विशाल पंडित होंगे तभी हमारी पंडिताई आपकी समझ में आ गई। मान्यवर, उनकी समझ में पूंजीवाद के बाद समाजवाद आता है। हमारे देश में हमारे गांधी जी का आन्दोलन एक विशेष दिशा की ओर प्रवाहित था इसमें हमारी संस्कृत, हमारी सभ्यता और परम्परा के अनुसार धारणा व्यक्त हुई कि देश में शोषण न हो, पूंजी का केन्द्रीकरण न हो, देश में पूंजी के द्वारा छोटे की मेहनत से कमाई का लाभ उठाकर थोड़े लोग स्थूल न होते जायं। देश में उत्पादन बढ़े, उत्पादन का समुचित बटवारा हो जिससे जनसमाज की आय बढ़े, उनके जीवन का स्तर ऊंचा हो। शासन की व्यवस्था ऐसी हो कि जो नीचे से प्रस्फुटित हो, गांवों में लोकतंत्रात्मक शक्ति का प्रस्फुटन हो, ऊपर पहुंचते-पहुंचते केन्द्र शासन की व्यवस्था ऐसी हो जाय कि जिसका कम से कम हस्तक्षेप ऊपर से नीच तक हो। साधन हों विकेन्द्रित उत्पादन के, प्रक्रिया हो विकेन्द्रित। जहां केन्द्रित साधन और केन्द्रित उत्पादन की प्रक्रिया की आवश्यकता है वहां जनता की सरकार का नियंत्रण हो ताकि विवेकहीन अन्ध शोषण न हो सके। यह है हमारे समाजवाद की व्यवस्था का रूप। इसकी तरफ हम देश को ले जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि कहां है इसमें समाजवाद? समाजवाद तो नहीं है क्योंकि वह समाजवाद स्थापित नहीं हुआ। आज हमारा देश तो एक फ्यूडल सिस्टम से देश की स्वाधीनता के बाद निकला है। अब अगर डाक्टर अहमद साहब यह समझते हैं कि पूंजीवाद आ जायगा तब समाजवाद आयेगा तो 'न भूतो न भविष्यति' और यह उनकी बात भी गलत है। रूस में कहां बहुत बड़ा इंडस्ट्रिअलाइजेशन था जब वहां समाजवाद आया? चीन में कौन सा इंडस्ट्रिअलाइजेशन था? और जहां इंडस्ट्रिअलाइजेशन है अमेरिका में वहां समाजवाद की शक्ल तक देखने को नहीं मिलती। वह थ्योरी एक्सप्लोड कर गई है। हमारे यहां फ्यूडल सिस्टम था। पराधीन, कालोनिअल और फ्यूडल सिस्टम से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। अब हम कहा जांय, किधर जांय? यह मैं नहीं कहता कि खाली जमींदारी को मिटा देना समाजवाद हो गया। जमींदारी को मिटा देना

समाजवाद की ओर एक बड़ा जबरदस्त कदम रहा है इससे कौन इनकार कर सकता है ? फ्यूडलिज्म, फ्यूडल लैंड सिस्टम रहा है और चूंकि ऐग्रीकल्चरल, कृषिमूलक हमारी व्यवस्था रही है आर्थिक और सामाजिक, करोड़ों आदमियों का जीवन उस सामन्तवादी शासन व्यवस्था और समाज व्यवस्था तथा अर्थ व्यवस्था में कराह रहा था । हमारे भाई भानुप्रतापसिंह जी ने एक बात कही, मुझे बड़ा कष्ट हुआ उनकी बात सुनकर । उन्होंने कहा कि किसान आज जब यह कहता है कि अंग्रेजी राज के जमाने में हम बड़े सुखी थे और अब दुखी हो गये, तो हमारा मस्तक लज्जा से झुक जाता है । अब मैं क्या कहूं ? अगर हमारे देश का किसान, हमारे देश का मजदूर, हमारे देश के पढ़ेलिखे, हमारे देश की जनता के प्रतिनिधि यदि अंग्रेजी राज से आज भी स्थिति का मुकाबिला करके यह समझते हैं कि आज हम दुखी हैं और तब अच्छे थे और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी राज के प्रति अपनी श्रद्धा,आदर और शायद मौका मिले तो आवाहन की चेष्टा करें तो मैं समझता हूं कि गर्दन लज्जा से झुकने की आवश्यकता नहीं है चुल्लू भर पानी में इस सारे राष्ट्र को डूब मरने की बात है । लज्जाजनक है हमारा और आपका उनका प्रतिनिधि होकर इस सदन में आना । क्या वह जमाना भूल गया हमको और आपको जब एक चवन्नी पैसे के लिये किसानों की दस दस बीघे की खेती बेदखल होती थी,वह दिन भूल गया जबकि किसान की परती पर से खूंट उखाड़कर फेंक दिये जाते थे और चरनी खोदकर फेंक दी जाती थी ? वह दिन भूल गया जब बेगार ली जाती थी, मीलों दौड़ा दिया जाता था किसान को और न बेगार करने पर कोड़ों से पीटा जाता था ? वह दिन भूल गया जब तीन-तीन वर्ष का लगान वसूल किया जाता था और रसीद नहीं दी जाती थी और जिससे नाराजी हो जाय तीन साल का बकाया लगान का दावा ठोंक कर उसकी सारी की सारी जमीन बेदखल करा ली जाती थी वह दिन भूल गया ? वह दिन भूल गया जब हथियौना, घोड़ौवना, बियहवना और कभी-कभी राजा साहब के यहां पेट पिरौना भी लिया जाता था ?

एक सदस्य—आज भी है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—होगा, किसी महान् व्यक्ति के यहां । लेकिन वह दिन वह भूल गये क्या ? आज किसान अपनी गर्दन ऊंची करके चल सकता है जब वह अपनी भूमि का, धरती का मालिक स्वंय है । आज जब उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिये, देश में प्रयास हो रहा है, जब उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की चेष्टा हो रही है, तो फिर अब मैं क्या कह सकता हूं सिवाय इसके कि बड़ा भारी दुर्भाग्य है देश का और मैं राजा साहब जौनपुर से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने टीका की वह टीका क्या थी ? आपके पास इस प्रदेश के उत्थान का कोई नक्शा है ? मैं समझता हूं जो उनके पास है वह उन्होंने नक्शा यहां पर दिखला दिया । सब चीजों को मिलाकर यहां पर एक पंचमेल उन्होंने पेश कर दिया । आपके डा० लोहिया की अनइकनामिक होल्डिंग की बात को लेकर कह दिया कि उसको लगान से बरी कर दिया जाय । इस बात से श्रीमन्, मैं यह समझा कि विरोधीदल में जितने दल हैं चाहे कोई तीरघाट हो और चाहे कोई मीरघाट हो सब की बात कहकर एक पंचमेल बनाकर खिचड़ी यहां पर पेश कर दी । इसी कारण आपने कह दिया कि अनइकानामिक होल्डिंग को लगान से बरी कर दिया जाय । उन्होंने गेंदासिंह जी की यह राय ले ली कि यह देश बहुत दरिद्र हो रहा है तो उनकी दरिद्रता की बात कह दी । कम्युनिस्टों की यह राय ले ली कि सारी जमीन का फिर से डिस्ट्रीव्यूशन कर दिया जाय । तो उनकी इस राय को पेश कर दिया । स्वतन्त्र पार्टी की उन्होंने यह राय ले ली कि इन्डिवीजुअल ओनरशिप होनी चाहिये और इस बात को लेकर उन्होंने अपनी राय पेश कर दी । अपनी बात सहकारिता खेती के विरोध में पेश कर दी । इस तरह से एक खिचड़ी बनाकर पंचमेल यहां पर पेश कर दिया । पता नहीं आप कौन से समाजवाद की बात करते हैं । आप भी कम्युनिस्टों का समाजवाद चाहते हैं या स्वतंत्र पार्टी के साथ आपकी सांठ-गांठ है या लोहिया साहब के समाजवाद को चाहते हैं या गेंदासिंह जी के समाजवाद को मानते हैं इसका कुछ पता नहीं है ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

आपने कहा कि ६५ फीसदी ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा होता है । मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ । हमारे पास भी आंकड़े मौजूद हैं । कहां से ६५ फीसदी खर्च होता है । मैंने उनको देखा और आज वह आंकड़े हमारे पास मौजूद है । मैंने उनको नोट करके रखा है । वह केवल १४.२ प्रतिशत है । जब कि पहले २५.२ प्रतिशत था । ऐडमिनिस्ट्रेटिव, सर्विसेज, लेजिस्लेचर, एक्जिक्यूटिव, जुडीशियरी यह तीन शाखायें हैं ऐडमिनिस्ट्रेशन की । इसके बाद कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन, जेल और पुलिस यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं । इन पर पहले कुल क्या खर्च होता था वह मैं बतलाता हूं । १९५१-५२ में ५५ करोड़ कुल टोटल रेवेन्यू था । १४ करोड़ इनके ऊपर खर्च होता था जो २५.२ प्रतिशत था । १९५२-५३ में ६४ टोटल रेवेन्यू हो गया तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर खर्चा २२.८ हो गया । पहले से खर्चा घटा । उसके बाद १९५३-५४ में ७२ करोड़ रेवेन्यू हो गया तो उसमें २०.३ प्रतिशत ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर खर्चा हो गया । १९५५-५६ में ८४ करोड़ रेवेन्यू हो गया तो तब १८.५ खर्चा हो गया । १९५८-५९ में ११६ करोड़ रेवेन्यू हो गया तो तब १७.९ प्रतिशत खर्चा हो गया । १९६०-६१ में आप देखें कि उस समय ११४ करोड़ टोटल रेवेन्यू था उस समय २० करोड़ खर्चा होता था जो कि १४.२ परसेन्ट है । जब इतनी बड़ी आप योजना चलायेंगे तो खर्चा बढ़ेगा । इस वजह से कुछ खर्चा बढ़ा और जरूर बढ़ेगा और उसका बढ़ना जरूरी है । आप सुपरवीजन चाहते हैं, नये नये डिपार्टमेंट चाहते हैं तो खर्चा बढ़ना जरूरी है । पुलिस पर खर्चा बढ़ा है । जब रोज बराबर मांग होती रहती है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाइये और उनकी संख्या भी बढ़ाइये देश की सुरक्षा के नाम पर तो उसका खर्चा बढ़ना लाजिमी है । पुलिस कमीशन बनाया गया जिसकी रिपोर्ट को कुछ कार्यान्वित किया गया तो उससे खर्चा बढ़ा है । हां, बढ़ा है प्लान के आइटम्स में, सोशल सर्विसेज में । स्कूल खुलेंगे तो टीचर्स की संख्या बढ़ेगी । अस्पताल खुलेंगे तो डाक्टरों की संख्या बढ़ेगी । कौन कह सकता है कि नहीं बढ़ी है । सोशल सर्विसेज में उनकी संख्या बढ़ी है । बिजली का काम बढ़ेगा तो बिजली के इंजीनियरों की संख्या बढ़ेगी, सड़कों का काम फैलेगा, तो पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर्स की संख्या बढ़ेगी । लेकिन यह सब बढ़ाने के बाद भी है परसेंटेज ३४.२ इन्क्लुडिंग आल दि सोशल सर्विसेज ऐंड ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज । और आपने कह दिया ६५ परसेंट । अब मान्यवर, कहां से यह आंकड़े आ जाते हैं, पता नहीं ।

डाक्टर अहमद साहब यहां नहीं हैं । उनकी राय कुछ समझ में नहीं आयी । एक तरफ उन्होंने कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेशन कम कर दिया जाय, दूसरी तरफ कहा गया क्या आपको मालूम है ? वह बोले कि साहब अनुदान आप गांवों में क्यों देते हो ? कुंवा बनाना है तो अफसर के जिम्मे कर दो । वह कुंवा बना कर देगा । यह रूस की प्लानिंग की एक झलक उनके दिमाग से निकल आयी । लेकिन ऐसा करने से तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बहुत बढ़ जायंगी । फिर क्या हो ? मैं तो प्रश्न आप से करना चाहता हूं और उसका उत्तर आप सोच कर दें । यह कोई विवाद की बात नहीं है । आप कहते हो बड़ा गरीब है हमारा प्रदेश । मान लिया । बिलकुल १६ आना सही है । मैं भी कहता हूं । आप कहते हो कि हमारे किसानों के पास कुछ शेष नहीं है । मानता हूं बिलकुल । मैं उन लोगों में से हूं कि जो समझते हैं कि उनके पास कुछ सरप्लस नहीं है । बहुत बड़ी तादाद प्रदेश में किसानों की ऐसी है कि जिनको भरपेट खाने को मिल नहीं पाता । उन के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन नहीं हैं हमारे पास । यह भी मैं मानता हूं । यह भी मानता हूं कि गांवों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है कि जिन के पास खेती-बारी भी नहीं है और वे और भी ज्यादा गरीब है । मैं मानता हूं और इसमें कोई दो रायें भी नहीं हैं । यह देश की गरीबी है । क्या कहा जाय, बताइये । आप चाहोगे कि इस गरीबी को दूर करें । सही बात । आप चाहोगे कि उनके जीवन का स्तर ऊंचा हो । सही बात । आप चाहोगे कि जीवन के लिये अत्यन्त आरम्भिक नैसर्गिक, मानविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये

जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वह उन्हें उपलब्ध हों। सही बात, लेकिन यह सब कैसे हो ? आपने कहा कि परकैपिटा इन्कम कम है। सही है। ठीक है। यद्यपि हमारे भाई नेगी जी पेंश कर रहे थे कि हमारे टैक्सेशन का इंसीडेंस अन्य प्रदेशों में सब से कम है, लोगों की आमदनी ज्यादा है, लेकिन जाने दीजिये उस सब को। मैं मान लेता हूं कि हम बड़े गरीब हैं और किसी को कुछ देने लायक हम नहीं हैं, लेकिन फिर क्या करें ? एक दुष्चक्कर है आपके सम्मुख। और मैं आप से हाथ जोड़ कर पूछता हूं कि आप विचार करें और इसका उत्तर दें। एक विशश सर्किल कहिये या दुष्चक्कर कहिये, हम इसमें फंसे हुए हैं। गरीबी है, भयंकर गरीबी है जिसका चलने देना अधिक दिनों तक मानवता के विरुद्ध है। इसे तोड़ना ही चाहिये जब देश स्वाधीन हुआ है तो। दूसरी तरफ इस गरीबी को दूर करने का उपाय क्या है ? कौन इस कुष्चक्कर को या दुष्चक्र को तोड़े। परकैपिटा इन्कम कम है, क्यों ? इन्वेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है हमारी। अरे भाई, आमदनी बढ़ती है तब जब प्रोडक्शन बढ़ता है। यह इकोनामी का सिद्धांत है। जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तब तक आमदनी नहीं बढ़ सकती। पापुलेशन बढ़ती है तो पापुलेशन जिस अनुपात में बढ़ रही है उसी अनुपात में अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तो हमारी इन्कम नहीं बढ़ती। दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है।

हमारे यहां इनवेस्टमेंट होना चाहिये, वह नहीं हुआ। पहले प्लान में जितना खर्चा हुआ तथा दूसरे में जितना हुआ उसको अगर मिला दिया जाय तो तीसरी प्लान की रकम आ जाती है और वह सब मिलाकर करीब ४९७ करोड़ आती है। सारे प्रदेश की हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है। रामैटीरियल ऐसा है। बाम्बे की तरह हमारे यहां एक्सपोर्ट नहीं होता। वहां इन्डस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं। इन बातों को आप क्यों भूल जाते हैं ? हमारे यहां ३३ रुपये और ३७ रुपये इन्वेस्टमेंट हुआ जब कि दूसरे प्रदेशों में ५६ और ६० तक हुआ। हमारे यहां कोई भी नयी सेन्ट्रल सेक्टर की चीज नहीं आई। रिसोर्सेज भी हमारे यहां नहीं थे। भाखड़ा नंगल में भी कई सौ करोड़ रुपये खर्च हुए और फर्स्ट प्लान में और दूसरी प्लान में कहीं बाहर से हमारे यहां इन्डस्ट्री नहीं आई। हमारे यहां तो दूसरे प्रदेशों से अधिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिये था क्योंकि हमारे यहां आबादी अधिक है। डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब कह रहे थे कि हमारे यहां १० हजार आदमी ऐसे हैं जो इतने से ऊपर इन्कम टैक्स देते हैं। ठीक है। मगर आप यह भी देखते हैं कि आपके यहां लोग कितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो गरीबी जरूर बढ़ेगी। आलसी अगर एक कुवें में गिर पड़े और यह कहे कि मुझे उसी में पड़ा रहने दिया जाय तो उसका क्या नतीजा होगा ? अगर हम इसी गरीबी में पड़े रहना चाहते हैं तो ठीक है—नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमोनमः। और अगर उससे निकलना चाहते हैं तो सिवाय इसके कि इन्वेस्टमेंट किया जाय और दूसरा कौन-सा तरीका है ? आप कहते हैं कर्ज मत लो, टैक्स मत लगाओं, पैसा कहां से आये ?

डाक्टर जेड० ए० अहमद यहां वकील बनकर आते हैं कहते हैं कि सेंटर से हमको बहुत मिल रहा है, हम भीख मांगते हैं। यह कहते हैं और प्रदेश के सेवक हैं। संविधान में जो व्यवस्था है उसी के अनुसार तो हम मांगते हैं। फाइनेन्स कमीशन ने कौन-सी सिफारिश कर दी वह भी मैं आपसे निवेदन कर दूं। विधान के मुताबिक जो हमें मिलना चाहिये वह मिला नहीं और फिर भी आप कहते हैं कि हम भीख मांगते हैं। सन् १९५२ से लेकर १९६० तक कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ और कौन-सी स्कीम आई ? तो टैक्स लो मत, कर्जा लो मत, इन्वेस्टमेंट इतना कर दो कि ५०० पर कैपिटा हो जाय, जगह-जगह सड़क भी बन जाय, लड़के भी पढ़-लिख जांय, बेकारी भी दूर हो जाय, तो यह सब कैसे होगा ? बेकारी आज है और वह बढ़ेगी। उसे हम दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं और उसे पूरा करते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तीसरी योजना के पूरे होने के बाद भी ३० लाख आदमी बेकार रह जायेंगे। चौथा, पांचवां, छठवां और न जानें कितने प्लान्स लाना पड़ेंगे। तब तक ले जाना पड़ेगा जब तक स्टेप बाई स्टेप और इंस्टालमेंट बाई इंस्टालमेंट हर आदमी को अपने प्रदेश में काम नहीं देते। घटने बढ़ने का सवाल ही कहां है। किससे बढ़ता है अनएम्प्लायमेंट ? अंग्रेजों के जमाने में कहां इतना इम्प्लायमेंट था ?

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

आज धरती के ऊपर बोझ है। उसको हटाना है। जब तक हटाओगे नहीं तब तक रूरल इंडेटेडनेस जा नहीं सकती, गरीबी मिट नहीं सकती। गरीबी दूर करने के लिये इंडस्ट्री लानी पड़ेगी और तभी बेकारी दूर होगी और इंडस्ट्री के लिये पावर, रा-मेटीरियल, बड़ी-बड़ी मशीनों को लगाना और न जाने क्या करना पड़ता है और इन सबके लिये इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी होगा। यह कोई बिजली का बटन तो नहीं है कि दबाया और गरीबी दूर हो जायगी। उसकी ओर चलना होगा। हम उस ओर चल रहे हैं या नहीं ?

श्री गेंदासिंह---नहीं चल रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---भाई गेंदासिंह जी कहते हैं कि जिस तरफ चल सकते हो नहीं चल रहे हो। तो कर क्या रहे हैं ? चल ही तो रहे हैं। एक प्लान पूरा किया, दूसरा प्लान पूरा किया और तीसरा प्लान चला रहे हैं। आप जहां १९५२ में थे, वहीं पर १९५७ में रहे और अब १९६२ में भी वहीं पर हैं। आप नहीं चल रहे हो। हम तो चलते ही जा रहे हैं। वे मुझे बतायें कि क्या करें ? आप कहिये क्या प्लान को कट आउट कर दें ? आपने कहा कि साढ़े ७ अरब काहे नहीं मांग लाये ? इसी असेम्बली में प्लान के ऊपर बहस हुई थी कि कितने की मांग की जाय। आज हल्ला मचा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में प्लान का ऐलोकेशन सबसे ज्यादा क्यों हुआ। बंगाल दे सकता है अधिक रेवेन्यू, बम्बई दे सकता है तो फिर यह उत्तर प्रदेश ने ५ सौ करोड़ के प्लान का ऐलोकेशन क्यों किया कि हमको दे दिया हम रेवेन्यू अदा करते हैं। ५ सौ करोड़ के ऐलोकेशन के कुछ माने होते हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया का यह कहना है कि १४७ करोड़ रुपये का जो गैप है पूरा करो। हमारा और जो हिसाब उनका है वह यह है कि इतना हम देंगे, लेकिन पहले तुम इतना पूरा करो। ३ रुपया तुम दोगे तो हम ७ रुपया देंगे, लेकिन अगर तुम ३ रुपया नहीं दोगे तो हम ७ रुपया भी नहीं देंगे। हमारा तो कचूमर निकला हुआ है ५ सौ करोड़ में, आप कहते हैं कि साढ़े सात सौ करोड़ और काहे नहीं ले आये। क्या ले आवें ? पहले १४७ करोड़ का गैप पूरा करो। नहीं पूरा करोगे तो ३५० करोड़ नहीं मिलेगा। अब १४७ करोड़ का गैप कैसे पूरा होगा ?

इस साल ८५ करोड़ का प्लान का ऐलोकेशन है, ३१ करोड़ का रेवेन्यू हेड से तो प्लान का खर्चा है। इस देश के इतिहास में पूरे १ हजार वर्षों से इस प्रकार का सोशल डेवलपमेंट या इकानामिक डेवलपमेंट किसी राज्य की सत्ता में इस प्रकार का ऐलोकेशन नहीं हुआ। एक भी इतिहास के किसी पन्ने में दिखा दीजिये कि जब ८५ करोड़ में से ३७ करोड़ रेवेन्यू हेड से ऐलोकेशन हुआ। कभी नहीं हुआ। इस प्रदेश के अन्दर इंडस्ट्री आवे तो उसके लिये पहले बिजली आवे, बिजली लाने के लिये पहले मशीनें आवें, सब फैक्टर्स एक दूसरे से सटे हुये हैं। आप समझते हैं कि इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकती जब तक रोड्स का डेवलपमेंट न हो जाय, रोडस् का डेवलपमेंट हो नहीं सकता जब तक पावर का डेवलपमेंट न हो जाय, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट न हो जाय, बिजली डेवलप नहीं कर सकती जबतक रा-मेंटीरियल यानी ऐग्री-कल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ाओगे। यह सब एक दूसरे से बंधे हुये हैं जैसे शरीर के सारे अवयव बंधे हुये हैं। एक भाग भी काट कर अलग कर दीजिये शरीर चल नहीं सकता। आप कहते हो कर्जा लो नहीं, टैक्स लगाओ मत, मांगों मत और ऐलोकेशन सब करो, ४० के ४० लाख आदमी को काम दे दो, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दो और सब ३, ४ वर्ष के अन्दर ऐसा कर दो कि किसी को किसी बात की आवश्यकता नहीं रहे, लेकिन खर्च न करो। फिर इसके साथ ही एक दूसरी बात भी है कि ८५ करोड़ रुपया खर्च करना मामूली बात नहीं है। एलोकेशन जो किया उसको आप उदारतापूर्वक देखें, टीका करने से कोई लाभ नहीं है। ८५ करोड़ रुपया खर्च करने के लिये आखिर कोई एजेन्सी होगी ? जो ५५ करोड़ खर्च करने के लिये एजेन्सी थी क्या वही ८५ करोड़ भी खर्च कर लेगी ? व्यूरोक्रैसी बढ़ेगी। मैं अहमद साहब से पूछता, यदि यहां होते, उनको शिकायत तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले रूस ने दुनिया में प्लान

चलाया। क्या उनके प्लान ऐसे ही चल गये ? हमसे तो कहा जाता है कि चमड़ी खींच रहे हो, हम चमड़ी नहीं, प्रदेश की जनता के सामने झोली फैला रहे हैं कि राष्ट्र के नाम पर अपनी कमाई में से कुछ डाल दो ताकि तुम्हारी गरीबी दूर हो सके। चमड़ी खीचने का काम तो रूस में हुआ। हम तो जनता का सहयोग लेकर चलना चाहते हैं, उसकी राय से चलना चाहते हैं। हमारे राजा साहब ने कहा कि कोई नया मोड़ नहीं दिखाई दिया। ठीक बात है। नया मोड़ तो १५ अगस्त, १९४७ को हो ही गया जिस दिन भारत स्वाधीन हो गया था और तभी से भारतवर्ष अपनी स्वतंत्रता का मुकुट लिये हुये अपनी प्रगति और विकास की ओर घूम पड़ा और उसी के कारण प्लान्स बने, पहला, दूसरा और तीसरा। यह देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अवस्था का मोड़ है। ऐसा मोड़ देश के कई हजार वर्षों के इतिहास में कभी नहीं आया। बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित हुये, लेकिन न कभी इस प्रकार का लोकतन्त्र आया और न इस प्रकार की लोकतन्त्रात्मक पंचवर्षीय योजनायें चलीं।

आज सेन्टर से प्लान बनते हैं, तमाम देश की ओवरआल पिक्चर उसमें फिटइन की जाती है। पांच साल के प्लान्स बनते हैं और एनुवल प्लान टार्गेट्स फिक्स होते हैं। तो नया मोड़ उसी दिन हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में कौन-सा मार्ग है ? या तो यह कह दो कि प्लान्स को काट दो, कोई टैक्सेशन की जरूरत नहीं है, न मांगने की आवश्यकता है या फिर यह कहिये कि मांगते मांगते जो ५०० करोड़ का प्लान आया है उसको किसी न किसी तरह से पूरा करो आज एग्रीकल्चर और इन्डस्ट्रियल दोनों प्रोडक्शन्स बढ़े और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी। मैं यह नहीं कहता कि बहुत काम हुआ, मैं मानता हूं कि १६ आने में दो आने हुआ है और १४ आने बाकी है। इसको कैसे पूरा किया जाय, इस पर विचार करो। आप कहते हैं कि दिवालिया बजट है। रिजर्व बैंक कहती है कि इतना कर्जा लो तो क्या वे बेवकूफ हैं ? गवर्नमेंट आफ इंडिया कहती है कि इतना कर्जा लो। हमारे ऊपर कुल ५१६ करोड़ की लायबिलिटीज हैं, लोन की, गवर्नमेंट आफ इंडिया की और जो आपकी एल० आई० सी० से पाते हैं, रिजर्व बैंक से जो लेते हैं, प्राविडेन्ट फंड से आता है, इस तरह से कुल ५१६ करोड़ है। ५१८ करोड़ होता है। अब १२१ करोड़ हमारा रिजर्व फंड है, गवर्नमेंट आफ इंडिया के हर किस्त को हमने अदा किया है। ४१६ करोड़ हम एडवान्स कर चुके हैं। इस प्रकार से ५३६ करोड़ तो यही हो जाता है। फिर दिवालिये हम कहां से हो गये ? इसलिये मैं कहता हूं कि यह मंथरावाद आप यहां पैदा न कीजिये जिससे राम को भी राज्य न मिले, दशरथ मर जायं और भरत भी राज्य करें नहीं। अतः इस मंथरावाद को कम से कम यहां न चलाइये। न समाजवाद रहे, न वर्गवाद रहे। यह केवल समाज की शक्ति और उसके तेज को हनन करने वाला होगा।

राजा साहब ने नेशनल इन्टीग्रेशन की बात कही। साहब, उसके लिये कोई नक्शा तो प्रस्तुत कीजिये। आपकी गाय की दुम तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। आप कोई रास्ता ऐसा बताइये जिससे जनता अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपनी दरिद्रता की बेड़ियों को तोड़ने में क्षम्य हो सके। बिना किसी टैक्स के लगाये, बिना गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से कुछ मांगे हम अपनी प्लान को किस प्रकार से पूरा कर सकेंगे, इसकी कोई योजना तो हमारे सामने प्रस्तुत कीजिये। अत्यन्त नम्रता के साथ हम उसको स्वीकार करेंगे।

गलतियां हो सकती हैं, होंगी और होती हैं और भविष्य में भी होंगी। आप कान पकड़ कर हमारी गलतियों को सुधारिये। कोई नहीं कह सकता कि हम सर्वज्ञ हैं, निर्दोष हैं, किसी काम में भूल होती ही नहीं। हो सकता है अपव्यय भी हुआ होगा। ऐसे भी देश हैं जहां लाखों आदमियों की गर्दन काटने के बाद भी कहा गया कि गलती हो गयी। मुमकिन है कहीं गलती हो गयी हों, टार्गेट रह गये हों, कोई आदमी सुस्त हो, लेकिन हमारी प्लानिंग डेमोक्रेटिक है, उसी को लेकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिये वह बिना जनता के उत्साह के पूरा नहीं हो सकता, उसको पूरा करने की शक्ति जनता के तेज से ही उत्पन्न होगी। अगर हम जनता में उत्साह और तेज उत्पन्न न कर सकेंगे तो वह केवल हमारा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

अरण्यरोदन ही होगा। हम रहे या न रहें, हमारा प्रदेश रहेगा, लेकिन आपके जो मनोभाव आज की परिस्थिति में हैं, उनसे प्रदेश और देश की जनता का उत्थान कदापि नहीं हो सकता। आपको उसमें उत्साह और तेज उत्पन्न करना होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक युग होता है। आज का युग है जनता को जगाने का। महात्मा गांधी का नाम बहुत लिया जाता है। अगर उन्होंने निहत्थी जनता में विश्वास उत्पन्न न किया होता कि उस प्रभुतासम्पन्न साम्राज्यवादी शासन की व्यवस्था के तुम घुटने तोड़ सकते हो तो किस प्रकार से उसको यहां से निकाला जा सकता था। उसी उत्साह के बल पर इस देश की दबी हुई जनता जागी और इतने बड़े साम्राज्य के विरुद्ध मोर्चा लेने के लिये खड़ी हो गयी। आज जनता से उसका खून और औलाद नहीं मांगते हैं, उससे केवल इतना कहते हैं कि हमारी यह प्लानिंग है, वह जिस प्रकार से भी पूरी हो सकती हो वह करे। देश या राष्ट्र की झोली में जो कुछ भी वह डाल सके डाले जिससे उसका उत्थान हो सके, उसका दुखदर्द दूर किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपकी आज्ञा से इस बजट को सदन को सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब समय समाप्त हो गया है इसलिये अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२३ अप्रैल, १९६२।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५७ पर)

तालिका 'क'

तालिका जिसमें इस प्रदेश की चीनी मिलों पर वर्तमानदुसीजन १९६१–६२ तथा गत वर्ष १९६०–६१ के गन्ने के मूल्य के रूप में जो ३१ मार्च, १९६२ को बकाया रकम थी उसका मिलवार विवरण दिया गया है—

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	१९६०–६१ सीजन के गन्ने का मूल्य जो ३१–३–६२ को शेष था (लाख रु० में)	टिप्पणी	१९६१–६२ सीजन के गन्ने का मूल्य जो ३१–३–६२ को शेष था (लाख रु० में)	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६
१—सिम्भौली	..	..	..	६.३७	१५ मार्च तक
२—मोदीनगर	..	..	..	७.५१	,,
३—मोहिउद्दीनपुर	..	..	..	१३.२५	,,
४—जसवन्त	..	..	..	६.१९	,,
५—दौराला	..	..	..	४.३०	,,
६—मवाना	..	..	..	६.३९	,,
७—सखोती टांडा	..	..	..	३५.६६	,,
८—बागपत	..	..	..	११.९३	,,
९—बुलन्दशहर	..	०.१७	..	६.८०	,,
१०—खतौली	..	०.११	..	१२.८१	,,
११—मन्सूरपुर	..	..	..	१५.७६	,,
१२—रोहाना	..	..	..	२१.६५	,,
१३—शामली	..	..	..	३५.८०	,,
१४—सहारनपुर	..	..	..	७.३३	,,
१५—देवबन्द	..	०.०१	..	१५.१३	,,
१६—इकबालपुर	..	..	..	७.६१	,,
१७—लक्सर	..	..	..	१८.९१	,,
१८—दोइवाला	..	..	..	२.३८	,,
१९—बरेली	..	२.६२	..	१३.९९	,,
२०—बहेड़ी	..	..	..	११.४१	,,
२१—बिजनौर	..	६.२२	..	९.५३	,,
२२—धामपुर	..	०.०१	..	१८.४०	,,
२३—सेवहारा	..	०.०८	..	६.४९	,,
२४—काशीपुर	..	..	..	५.१५	,,

क्रम संख्या	चीनी मिल	१९६०–६१ सीजन के गन्ने का मूल्य जो ३१–३–६२ को शेष था (लाख रु० में)	टिप्पणी	१९६१–६२ सीजन के गन्ने का मूल्य जो ३१–३–६२ को शेष था (लाख रु० में)	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६
२५	—बाजपुर ..	..	..	१९.००	१५ मार्च तक
२६	—रामपुर ..	..	..	१२.४७	,,
२७	—पीलीभीत ..	..	..	१६.०८	,,
२८	—न्योली ..	०.२९	..	९.१०	,,
२९	—अमरोहा ..	०.०१	..	१३.३४	,,
३०	—बिलारी ..	०.०८	..	५.७०	,,
३१	—रोजा ..	०.०१	..	७.८५	,,
३२	—हरगांव ..	..	..	१.९७	,,
३३	—महोली ..	..	..	६.९२	,,
३४	—बिसवां ..	..	..	६.८७	,,
३५	—बाराबंकी ..	३.५३	..	६.००	,,
३६	—हुड़वल ..	..	..	५.१४	,,
३७	—गोला ..	..	..	११.९६	,,
३८	—एरा ..	..	..	३.४९	,,
३९	—हरदोई ..	..	..	८.१४	,,
४०	—बलरामपुर ..	..	..	९.२७	,,
४१	—तुलसीपुर ..	२.६६	..	१०.८४	,,
४२	—जरवलरोड ..	०.२०	..	१८.१३	,,
४३	—नवाबगंज ..	०.०२	..	१८.९९	,,
४४	—बभनान ..	..	..	१.८३	,,
४५	—खलीलाबाद ..	..	..	१.६२	,,
४६	—मेन्देरवा ..	..	..	७.८६	,,
४७	—बस्ती ..	..	..	७.०९	,,
४८	—वाल्टरगंज ..	..	..	५.६५	,,
४९	—मसोधा ..	..	..	१२.७०	,,
५०	—शाहगंज ..	..	..	६.३८	,,
५१	—पिपराइच ..	..	..	१०.३३	,,
५२	—घेघली ..	..	..	१२.१०	,,
५३	—सिसवाबाजार ..	..	..	६.११	,,
५४	—सरदारनगर ..	..	..	३५.४६	,,
५५	—आनन्दनगर ..	१.६६	..	४.४६	,,
५६	—गौरीबाजार ..	..	..	७.०२	,,
५७	—बैतालपुर ..	..	..	१२.३०	,,
५८	—देवरिया ..	..	..	१४.४९	,,

क्र० सं०	चीनी मिल	१९६०–६१ सीजन के गन्ने का मूल्य जो ३१–३–६२ को शेष था (लांख रु० में)	टिप्पणी	१९६१–६२ सीजन के गन्ने का मूल्य जो ३१–३–६२ को शेष था (लाख रु० में)	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६
५९	भटनी ..	..	..	९.८६	१५ मार्च तक
६०	प्रतापपुर ..	..	..	३.९८	,,
६१	छितौनी ..	०.१०	..	१३.७४	,,
६२	खड्डा ..	०.१८	..	७.३०	,,
६३	कप्तानगंज ..	०.०४	..	१३.७२	,,
६४	लक्ष्मीगंज ..	०.४३	..	१३.६६	,,
६५	रामकोला (पी०) ..	..	..	१७.७१	,,
६६	रामकोला (के) ..	..	..	१४.२४	,,
६७	पदरौना ..	..	..	११.००	,,
६८	कठकुइयां ..	..	..	८.०८	,,
६९	सेवराही ..	..	..	१७.०२	,,
	योग ..	१८.४३	..	७६८.३२	,,

तालिका 'ख'

सेस तथा क्रय-कर का विवरण जो कि प्रदेश की चीनी मिलों पर सीजन १९६०–६१ तथा १९६१–६२ को दिनांक ३१–३–६२ को देय शेष था

क्र० सं०	नाम चीनी मिल	सीजन १९६०–६१	सीजन १९६१–६२	टिप्पणी
१	२	३ लाख रुपयों में	४ लाख रुपयों में	५
१—सरदारनगर	..	१६.८३	४.३२	२८–२–६२ तक
२—पिपराइच	..	२.६२	१.१६	" "
३—घुघली	..	२.६६	२.००	१५–३–६२ तक
४—सिसवाबाजार	..	२.७४	२.१९५	
५—फरेन्दा	..	६.६४	१.९३५	२८–२–६२ तक
६—प्रतापपुर	..	३.२३	१.९७५	
७—बैतालपुर	..	५.३४	१.९६	२८–२–६२ तक
८—गौरीबाजार	..	१.५९	१.४८५	
९—देवरिया	..	५.९७	२.५०	
१०—कैप्टनगंज	..	३.७०	२.७८५	
११—खड्डा	..	४.५८	१.३०५	
१२—छितौनी	..	६.७३	०.९२	
१३—लक्ष्मीगंज	..	५.८६	२.०४	
१४—रामकोला (के)	..	६.१९	२.२३	
१५—रामकोला (पी)	..	७.०२	२.५५५	२८–२–६२ तक
१६—पडरौना	..	०.७८	२.३०५	
१७—कठकुइयां	..	१.६८	१.०६५	
१८—सेवराही	..	८.४६	२.३५५	
१९—मुन्डेरवा	..	४.०३	१.०५	२८–२–६२ तक
२०—बस्ती	..	२.९८	१.७५	२८–२–६२ तक
२१—वाल्टरगंज	..	२.३१	२.१९५	
२२—खलीलाबाद	..	३.२२	१.२४	२८–२–६२ तक
२३—बभनान	..	०.५४	०.९५५	"
२४—नवाबगंज	..	१.९०	३.०३५	
२५—बलरामपुर	..	१.२८	२.१३५	
२६—तुलसीपुर	..	..	१.२३५	२८–२–६२ तक
२७—जरवल रोड	..	६.३६	२.४२	
२८—बुढ़वल	..	१.६१	१.३२५	
२९—बाराबंकी	..	६.३६	१.०६	३१–१–६२ तक
३०—शाहगंज	..	३.३८	२.४३	
३१—बिसवां	..	२.४५	२.३०	
३२—हरगांव	..	६.७४	५.६१	२८–२–६२ तक
३३—महोली	..	३.४३	३.३४५	"
३४—मसोधा	..	६.०५	३.०२	"

क्र० सं०	नाम चीनी मिल	सीजन १९६०–६१	सीजन १९६१–६२	टिप्पणी
१	२	३ लाख रुपयों में	४ लाख रुपयों में	५
३५—हरदोई	..	..	३.८५	२८–२–६२ तक
३६—ऐरा	..	०.६१	१.२४	,,
३७—गोला	..	३.७४	८.०२५	,,
३८—रोजा	..	०.६५	२.१९	
३९—बरेली	..	६.०९	२.७१	१५–३–६२ तक
४०—बहेड़ी	..	७.५८	३.२०	
४१—पीलीभीत	..	६.२१	५.७७५	
४२—बिजनौर	..	११.०५	२.३७	२८–२–६२ तक
४३—धामपुर	..	१०.३०	२.१७५	,,
४४—सबहारा	..	४.२३	५.९७	,,
४५—दोईवाला	..	१.००	१.७०५	
४६—देवबन्द	..	११.६६	७.१२५	
४७—लक्सर	..	०.८४	०.९४	२८–२–६२ तक
४८—सहारनपुर	..	१२.१७	३.५८५	
४९—इकबालपुर	..	१०.४९	४.२२५	२८–२–६२ तक
५०—अब्दुल्लापुर	..	०.४१	..	
५१—मन्सूरपुर	..	१८.९३	६.१६	
५२—खतौली	..	१९.९०	५.९०	
५३—रोहाना कलां	..	८.४५	२.९३५	२८–२–६२ तक
५४—शामली	..	२९.२०	८.४०	
५५—सखोती टांडा	..	७.४७	१.९३	२८–२–६२ तक
५६—दौराला	..	..	१.४४	,,
५७—मवाना	..	०.५९	१.३६	,,
५८—जसवन्त	..	१.९०	३.८८	
५९—मोहिउद्दीनपुर	..	३.११	२.३०५	२८–२–६२ तक
६०—मोदीनगर	..	..	२.५१	,,
६१—सिम्भौली	..	१.९३	२.६५	,,
६२—पन्नीनगर	..	९.१५	३.४०५	
६३—काशीपुर	..	५.३७	३.१८५	२८–२–६२ तक
६४—न्योली	..	४.२७	२.५२५	
६५—अमरोहा	..	१२.२७	४.२६५	
६६—बिलारी	..	५.१३	४.६०५	
६७—रामपुर	..	..	४.१२५	२८–२–६२ तक
६८—भटनी	..	५.९३	१.८४	,,
६९—बाजपुर	..	९.९४	३.३४५	
७०—बागपत	..	५.६९	२.४९५	२८–२–६२ तक
	योग ..	३८१.५२	१९६.५४	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६० पर)

सन् १९६१–६२ में नगरमहापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं को उनके जलकल बढ़ाने हेतु दिये गये ऋण की सूची

(अ) पुनर्गठन अथवा जल संभरण विस्तार योजना (अधूरी योजनायें)

(लाख रुपयों में)

१—कानपुर नगरमहापालिका	१८.३६
२—इलाहाबाद नगरमहापालिका	१३.५२
३—लखनऊ नगरमहापालिका	८.४०
४—मेरठ नगरपालिका	४.४३
५—मिर्जापुर नगरपालिका	०.२२
६—मोगलसराय नगरपालिका	२.४९
७—मथुरा नगरपालिका	४.००
८—जौनपुर नगरपालिका	२.००
९—सीतापुर नगरपालिका	२.३८
१०—गोलागोकरननाथ नगरपालिका	१.१२
११—पीलीभीत नगरपालिका	०.५०
१२—हरद्वार नगरपालिका (कुम्भ मेला)	१.६७३
१३—कोसी नगरपालिका	१.००
१४—बहराइच नगरपालिका	१.१६
१५—बरेली नगरपालिका	३.००
१६—गोरखपुर नगरपालिका	१.००
१७—आजमगढ़ नगरपालिका	०.५०
कुल ..	६५.७५३

(ब) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में ली गई नवीन जलकल संभरण योजनायें जो तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में अधूरी योजनायें (१९६१–६२)

१—मुजफ्फरनगर नगरपालिका	३.००
२—बलरामपुर नगरपालिका	३.३३६
३—मऊरानीपुर नगरपालिका	३.००
४—अतरौली नगरपालिका	२.००
५—सिकन्दराराय नगरपालिका	२.००
६—रायबरेली नगरपालिका	१.१९
७—कौंच नगरपालिका	२.२१
८—बस्ती नगरपालिका	१.६२
९—शाहजहांपुर नगरपालिका	८.००
१०—बिन्दकी नगरपालिका	०.९९६
११—अमरोहा नगरपालिका	३.००
कुल ..	३०.३५२

(स) नवीन जल सम्भरण योजना जो तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के प्रथम वर्ष (१९६१–६२) में ली गई हैं—

	(लाख रु० में)
१—बिसवां नगरपालिका	३.५०
२—कन्नौज नगरपालिका	३.००
३—बिजनौर नगरपालिका	४.००
४—औरैया नगरपालिका	२.००
५—मऊनाथ भंजन नगरपालिका	३.००
६—जालौन नगरपालिका	१.००
७—टांडा नगरपालिका	४.००
८—बदायूं नगरपालिका	७.००
९—खाटौली नगरपालिका	२.००
१०—दिबई नगरपालिका	२.००
११—पिलखुवा नगरपालिका	२.००
१२—बिलग्राम नगरपालिका	१.००
कुल ..	३४.५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५७ एल० ए०—१९६२—८४५।